भारत डायनामिक्स लिमिटेड, 45वाँ वार्षिक विवरण 2014-15

लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर रखे जाने वाले प्रपत्र

अधिप्रमाणित

हस्ता./-
रक्षा राज्य मंत्री

Bharat Dynamics Limited, 45th Annual Report 2014-15

Papers to be laid on the table of Lok Sabha / Rajya Sabha

AUTHENTICATED

Sd./-
RAKSHA RAJYA MANTRI

निदेशक मंडल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वी उदय भास्कर

सरकारी निदेशक

कुसुम सिंह
संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय
(23 सितंबर, 2015 से)

आर जी विश्वनाथन
अपर वित्त सलाहकार (आर अण्ड डी), डी आर डी ओ
संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय

पूर्णकालिक निदेशक

एवीएम एन वी सिंह
अविसेमे, विसेमे (नि.)
निदेशक (तकनीकी)

एस पिरमनायगम
निदेशक (वित्त)
(01 जनवरी, 2015 से)

वी गुरुदत्त प्रसाद
निदेशक (उत्पादन)
(10 सितंबर, 2015 से)

स्थायी विशेष आमंत्रित

वाइस एडमिरल पी मुरुगेशन
अविसेमे, विसेमे
नौसेना उपाध्यक्ष
(31 मार्च, 2015 से)

ले. जनरल सी ए कृष्णन
उयुसेमे, अविसेमे
थल सेना उपाध्यक्ष
(01 मई, 2014 से)

एअर मार्शल बी एस धनोए
अविसेमे, युसेमे, विमे
वायुसेना उपाध्यक्ष
(01 जून, 2015)

डॉ. के जयरामन
उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं निदेशक, डी आर डी एल
(12 सितंबर, 2014 से)

पूर्व निदेशक / स्थायी विशेष आमंत्रित

जे रामकृष्ण राव
संयुक्त सचिव (ई एस)
(06 अगस्त, 2015 तक)

एस एन मंथा
भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(31 दिसंबर, 2014 तक)

एस वी सुब्बा राव
भूतपूर्व निदेशक (वित्त)
(31 दिसंबर, 2014 तक)

ए के कपूर
उत्कृष्ट वैज्ञानिक, डी आर डी ओ
(15 फरवरी, 2015 तक)

पूर्व निदेशक / स्थायी विशेष आमंत्रित

वाइस एडमिरल सुनिल लांबा
अविसेमे, विसेमे
नौसेना उपाध्यक्ष
(30 मार्च, 2015 तक)

एअर मार्शल आर के शर्मा
पविसेमे, अविसेमे, विमे, एडीसी
वायुसेना उपाध्यक्ष
(31 मई, 2015 तक)

कंपनी सचिव

के वी एल एन मूर्ति
(01 अगस्त, 2015 से)

भूतपूर्व कंपनी सचिव

एम लक्ष्मीनारायण
(31 जुलाई, 2015 तक)

बी डी एल के भूतपूर्व मुख्य कार्यपालक

डॉ. बी डी नागचौधरी
अध्यक्ष
22-09-1970 से 29-9-1975

प्रो. एम जी के मेनन
अध्यक्ष
29-9-1975 से 30-12-1977

एवीएम बी एस नारायणन
पविसेमे, अविसेमे, विसेमे (नि.)
अध्यक्ष
06-10-1978 से 01-04-1980

डॉ. राजा रामन्ना
अध्यक्ष
30-01-1981 से 30-08-1982

डॉ. बी एस अरुणाचलम
अध्यक्ष
30-08-1982 से 09-09-1990

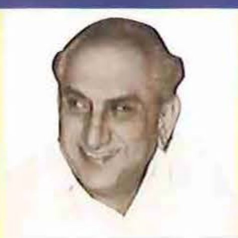

एवीएम एस जे दस्तूर (नि.)
प्रबंध निदेशक
22-09-1970 से 10-04-1974

ब्रिगेडियर जे पी अन्योनी (नि.)
प्रबंध निदेशक
11-04-1974 से 31-08-1977

विंग कमांडर वी एम चितले (नि.)
प्रबंध निदेशक
01-09-1977 से 30-09-1980

ज़ेड पी मार्शल
प्रबंध निदेशक
01-10-1980 से 07-11-1988

एयर कमाडोर आर गोपालस्वामी
अविसेमे, विसेमे (नि.)
प्रबंध निदेशक (1988-90)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
10-09-1990 से 30-06-1994

कमाडोर एस राव
विसेमे (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
01-07-1994 से 08-01-2000

एस गोविंदराजन
स्थानापन्न अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
09-01-2000 से 31-08-2000

वी वी गंगाधर राव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
01-09-2000 से 30-06-2002

जी वी वी वी शर्मा
स्थानापन्न अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
01-07-2002 से 23-07-2002

मेजर जनरल पी मोहनदास
विसेमे (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
24-07-2002 से 27-04-2005

मेजर जनरल रजनीश गोसाईं (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
28-04-2005 से 30-04-2008

कमाडोर पी के सामंता,
विसेमे (नि.)
स्थानापन्न अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
01-05-2008 से 30-06-2008

मेजर जनरल रवि खेतरपाल
विसेमे (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
01-07-2008 से 31-03-2012

एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
01-04-2012 से 31-12-2014

लेखापरीक्षा समिति *

1. **श्री जे रामकृष्ण राव,** आई ए एस - अध्यक्ष
संयुक्त सचिव (ई एस), डीडीपी, रक्षा मंत्रालय
सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक
2. **श्री आर जी विश्वनाथन,** आई ए अण्ड ए एस - सदस्य
अपर वित्त सलाहकार, संयुक्त सचिव (डीआरडीओ)
सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक
3. **एवीएम एन बी सिंह,** अविसेमे, विसेमे (नि.) - सदस्य
निदेशक (तकनीकी)
4. **श्री एम लक्ष्मीनारायण** - सचिव
कंपनी सचिव

Audit Committee *

1. **Shri J Rama Krishna Rao,** IAS - Chairman
Joint Secretary (ES), DDP, MoD
Government Nominee Director
2. **Shri RG Viswanathan,** IA & AS - Member
Addl. FA & JS (DRDO)
Government Nominee Director
3. **AVM NB Singh,** AVSM, VSM (Retd.) - Member
Director (Technical)
4. **Shri M Lakshmi Narayana** - Secretary
Company Secretary

प्रधान कार्यपालक गण *

डॉ. एन के राजू
अधिशासी निदेशक (का. एवं प्रशा.)

श्री बी शिव राम प्रसाद
अधिशासी निदेशक (सैम)

श्री अरूप कुमार माइती
महाप्रबंधक (सं.वि.)

श्री एन संपत कुमार
महाप्रबंधक (सैम)

श्री पी के दिवाकरन
महाप्रबंधक (अग्नि-बड़ामाफी)

श्री गुरुदत्त प्रसाद
महाप्रबंधक (भानूर इकाई) (9 सितंबर, 2015 तक)

श्री जी दत्तु कुमार
महाप्रबंधक (आकाश - जी एस डी)

श्री एन पी दिवाकर
महाप्रबंधक (आकाश)

श्री वी वेंकटेश्वर राव
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री के दिवाकर
महाप्रबंधक (एम अण्ड आर)

श्री सी वी वी कुमार
महाप्रबंधक (सेवाएँ - भानूर इकाई)

श्री एम नीलकण्ठप्पा
महाप्रबंधक (क.सं. एवं विश्रॉड)

श्री रमेश
महाप्रबंधक (विशाखापट्टणम इकाई)

श्री के वेंकटेश्वर राव
महाप्रबंधक (त.से.)

Principal Executives *

Dr. N K Raju
Executive Director (P&A)

Shri B Siva Rama Prasad
Executive Director (SAM)

Shri Arup Kumar Maiti
General Manager (BD)

Shri N Sampath Kumar
General Manager (SAM)

Shri PK Divakaran
General Manager (AGNI – BM)

Shri Gurudatta Prasad
General Manager (BU) (Upto 9 Sept 2015)

Shri G Dattu Kumar
General Manager (AKASH – GSD)

Shri NP Diwakar
General Manager (AKASH)

Shri V Venkateswara Rao
General Manager (Finance)

Shri K Diwakar
General Manager (M&R)

Shri CVV Kumar
General Manager (Services – BU)

Shri M Neelakantappa
General Manager (ER & VSHORAD)

Shri Ramesh
General Manager (Vizag Unit)

Shri K. Venkateswara Rao
General Manager (TS)

लेखापरीक्षक

मेसर्स गर्रे अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टंट्स, हैदराबाद

Auditors

M/s. Garre & Co.
Chartered Accountants, Hyderabad

* 31 मार्च, 2015 तक

*** As On 31 March, 2015**

आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एम भास्कर राव अण्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टंट्स
मेसर्स डी वी रमण राव अण्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टंट्स
मेसर्स राममूर्ति (एन) अण्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टंट्स
मेसर्स नरसिंह राव अण्ड असोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउण्टंट्स

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स डी ज़ेड आर अण्ड कंपनी
लागत लेखाकार

कर परामर्शदाता

बंसल अण्ड दवे
चार्टर्ड अकाउण्टंट्स

विधि सलाहकार

श्री के श्रीनिवास मूर्ति
श्री डी रवि शंकर राव

बैंकर्स

आंध्रा बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
ऐक्सिस बैंक

पंजीकृत कार्यालय

कंचनबाग पोस्ट
हैदराबाद-500058
तेलंगाना, भारत
ईपीएबीएक्स - 040-24587466 एवं 040-24587777
फैक्स - 040-24340464

ई-मेल

bdlitd@bdlgov.in

वेबसाइट

http://bdl.ap.nic.in

Internal Auditors

M/s. M. Bhaskara Rao & Co., Chartered Accountants
M/s. D.V.Ramana Rao & Co., Chartered Accountants
M/s. Ramamoorthy (N) & Co., Chartered Accountants
M/s. Narasimha Rao & Associates, Chartered Accountants

Cost Auditors

M/s DZR & Co.
Cost Accountants

Tax Consultant

Bansal & Dave
Chartered Accountants

Legal Advisers

Shri K Srinivas Murthy
Shri D Ravi Shankar Rao

Bankers

Andhra Bank
State Bank of India
Axis Bank

Registered Office

Kanchanbagh Post
Hyderabad – 500 058
Telangana, India

Epabx 040-24587466 & 040-24587777
Fax – 040 24340464

E-Mail

bdlitd@bdlgov.in

Website

http://bdl.ap.nic.in

दस वर्षों पर दृष्टिपात
TEN YEARS AT A GLANCE

(₹ करोड़ Crore)

विवरण Particulars	इकाई Units	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06
बिक्री Sales	₹ Cr.	2799.68	1779.89	1074.71	959.12	939.16	627.23	464.82	454.38	433.51	531.53
निर्माणाधीन कार्य / संव्यवहाराधीन भण्डार में परिवर्तन Changes in WIP/SIT	₹ Cr.	(29.63)	24.60	100.81	33.82	(28.18)	4.38	58.24	51.47	(47.67)	2.75
उत्पादन मूल्य Value of Production	₹ Cr.	2770.05	1804.49	1175.52	992.94	910.98	631.61	523.06	505.85	385.84	534.28
सामग्री की खपत Material Consumption	₹ Cr.	1855.10	1226.01	779.57	633.53	580.14	438.01	364.84	351.99	239.89	329.01
परिवर्द्धित मूल्य Value Added	₹ Cr.	914.95	578.48	395.95	359.41	330.84	193.60	158.22	153.86	145.95	205.27
कर पूर्व लाभ Profit Before Tax	₹ Cr.	614.19	508.59	419.06	348.19	79.17	50.63	74.23	72.49	50.80	118.81
कराधान के बाद लाभ Profit After Tax	₹ Cr.	418.57	345.51	288.40	234.96	51.70	33.77	47.67	47.65	32.74	76.72
ईक्विटी Equity	₹ Cr.	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि Reserves & Surplus	₹ Cr.	1418.58	1102.97	838.30	617.38	437.05	412.08	405.13	384.37	363.62	357.79
सकल निरुद्ध (पूँजीगत नि.का. छोड़कर) Gross Block(Excl.Cap.WIP)	₹ Cr.	940.04	834.56	711.55	604.24	488.08	461.20	403.42	376.49	359.09 *	333.51
सामग्री-सूची Inventory	₹ Cr.	1480.12	1382.51	1006.53	602.57	502.19	570.26	623.11	434.25	338.92	454.53
ग्राह्य व्यापार Trade Receivables	₹ Cr.	865.72	398.81	281.55	88.39	45.15	33.58	8.95	21.54	19.51	13.87
कार्यगत पूँजी Working Capital	₹ Cr.	908.28	812.68 $	614.58	458.97	370.66 #	360.44	404.86	384.96	371.79	361.94
नियोजित पूँजी Capital Employed	₹ Cr.	1302.14	1172.29 $	892.59	670.64	511.79 #	503.66	508.81	478.59	458.15 *	437.84
निवल मालियत Net Worth	₹ Cr.	1533.37	1217.75	953.08	732.19	551.85	526.88	519.93	495.55	470.86 *	457.09
कर्मचारियों की संख्या Number of Employees	Nos.	3183	3266	3300	3142 @	2897	2894	2788	2715	2742	2814
कर्मचारी पर लागत Employee Costs	₹ Cr.	313.07	307.28	258.99	240.32	234.53	178.84	151.16	149.63	94.71	84.71
पारिश्रमिक प्रति ₹ पर परिवर्द्धित मूल्य Value Added per ₹ of Wage	₹	2.92	1.88	1.53	1.50	1.41	1.08	1.05	1.03	1.54	2.42
परिवर्द्धित मूल्य प्रति कर्मचारी Value Added per Employee	₹ Lakh	28.74	17.71	12.00	11.44 @	11.42	6.69	5.67	5.67	5.32	7.29
प्रति शेयर अर्जन (ई पी एस) Earnings per Share (EPS)	₹	3640	3004	2508	2043	450	294	415	414	285	667

* वर्ष 2006-07 की स्थायी परिसंपत्तियों की अनुसूची के पुनर्समूहन के कारण वर्ष 2007-08 में पुनर्व्यवस्थीकरण किया गया.
Re-adjusted due to regrouping of Fixed Assets Schedule of 2006-07 in the year 2007-08.

परिवर्द्धित अनुसूची-VI के अनुरूप लेखा प्रस्तुत करने के कारण वर्ष 2011-12 से पुनःसमायोजित.
Re-adjustment due to Presentation of Accounts as per Revised Schedule VI from 2011-12 onwards.

@ अस्थायी कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए पुनर्व्यवस्थीकरण किया गया.
Re-adjusted to include temporary Employees.

$ वर्ष 2013-14 की चालू परिसंपत्तियों तथा चालू देयताओं के पुनर्समूहन के कारण वर्ष 2014-15 में पुनर्व्यवस्थीकरण किया गया.
Re-adjusted due to re-grouping of Current Assets and Current Liabilities of 2013-14 in 2014-15

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	निदेशकों का परिचय	1
2.	अध्यक्ष की कलम से	4
3.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	12
4.	लेखा-नीति	73
5.	तुलन-पत्र	79
6.	लाभ-हानि लेखा	80
7.	वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ	81
8.	नक़द प्राप्ति विवरण	95
9.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट	96
10.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक	100
11.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणी	106

निदेशकों का परिचय

वी उदय भास्कर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री वी उदय भास्कर दि. 01 अगस्त, 2013 से बी डी एल के निदेशक मंडल में निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किये गये. इन्होंने प्लास्टिक टेकनोलॉजी में इंजीनियरिंग स्नातक तथा पॉलीमर साइंस टेकनोलॉजी में एम.टेक. की उपाधियाँ प्राप्त हैं.

श्री वी उदय भास्कर को इनवार, कांकूर्स-एम का देशीकरण, मिसाइल संयोजन, समाकलन व परीक्षण तथा विक्रेता विकास जैसे मिसाइल उत्पादन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 23 से भी अधिक वर्ष का अनुभव प्राप्त है. श्री उदय भास्कर वर्ष 2010-11 के लिए ग्रुप / वैयक्तिक श्रेणी में गौरवपूर्ण 'रक्षा मंत्री नवोन्मेष पुरस्कार' से सम्मानित हैं.

मिसाइल टेकनोलॉजी के क्षेत्र में इनके विस्तृत अनुभव, प्रबंधन कौशल और व्यावसायिक क्षमताओं को देखते हुए इन्हें दि. 30 जनवरी, 2015 से बी डी एल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया.

श्रीमती कुसुम सिंह दिल्ली कॉलेज ऑफ इकनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त हैं. ये 1984 बैच की आई आर पी एस अधिकारी हैं. श्रीमती कुसुम सिंह ने रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव (कार्मिक एवं समन्वयन) / (ईएस) के पदभार से पहले रेल मंत्रालय में सी आर आई एस (रेल सूचना प्रणाली केंद्र) के विभिन्न पदों पर काम किया है.

श्रीमती कुसुम सिंह दि. 23 सितंबर, 2015 से बी डी एल के निदेशक मंडल में मनोनीत सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हैं.

कुसुम सिंह
संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय

आर जी विश्वनाथन
अपर वित्त सलाहकार (आर अण्ड डी), डी आर डी ओ
संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय

श्री आर जी विश्वनाथन 1987 बैच के आई ए अण्ड ए एस अधिकारी हैं. ये वर्ष 2001 से 2006 के दौरान ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय सलाहकार रहे. इन्होंने नवंबर, 2006 से मई, 2011 तक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली के प्रधान निदेशक का पदभार सँभाला. इनके इस पदभार के अंतर्गत भारत सरकार के सभी वैज्ञानिक मंत्रालय / विभागों की लेखापरीक्षा का दायित्व शामिल रहा. ये मार्च, 1998 से दिसंबर, 2001 तक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक कार्यालय, भारतीय लेखापरीक्षा कार्यालय, लंदन के निदेशक भी रहे.

श्री आर जी विश्वनाथन दि. 15 जून, 2011 से बी डी एल के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में शामिल हैं.

एअर वाइस मार्शल एन बी सिंह, अविसेमे, विसेमे (नि.) दि. 01 जनवरी, 1979 को भारतीय वायु सेना के एअरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स) स्ट्रीम में कमीशन हुए थे. इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पढ़ाई की और इनका शैक्षणिक रिकॉर्ड उत्कृष्ट रहा. ये अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर्स (एफ आई ई टी ई) के सदस्य हैं. इन्होंने भारतीय वायु सेना में अपने 35 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर उत्तरदायित्व का निर्वाह किया.

एवीएम एन बी सिंह,
अविसेमे, विसेमे (नि.)
निदेशक (तकनीकी)

एस डब्ल्यू ए सी मुख्यालय में वरिष्ठ अनुरक्षण स्टाफ अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए इन्होंने लड़ाकू विमान तथा भू-उपकरणो की युद्धक प्रयोज्यता की दृष्टि से रखरखाव उपलब्धता में सुधार लाने का काम किया. ये, वायुसेना के युद्धाभ्यास 'आयरन फिस्ट-13' की योजना समूह के भी हिस्से रहे जो राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित विदेशी राजनयिक सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति और प्रशंसा का गवाह बना. इस सैन्य अभ्यास में भारतीय वायु सेना ने परिधि केंद्रित वातावरण के भीतर अपनी आक्रमण क्षमता दर्शायी थी. इनकी ऐसी ही विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा इन्हें 26 जनवरी, 2013 को 'अति विशिष्ट सेवा मेडल' से सम्मानित किया गया.

एअर वाइस मार्शल एन बी सिंह, अविसेमे, विसेमे (नि.) ने दि. 01 अप्रैल, 2014 को भारत डायनामिक्स लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) के रूप में पदभार ग्रहण किया.

श्री एस पिरमनायगम विज्ञान में स्नातक एवं भारत के सनदी लेखाकार संस्थान के सहायक सदस्य हैं. बी डी एल में निदेशक (वित्त) का पदभार सँभालने से पूर्व ये बी ई एम एल के रेल एवं मेट्रो संव्यवहार के वित्तीय कार्यों के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत रहे. इससे पूर्व इन्होंने बी डी एल के मध्य प्रबंधकीय कैडर में भी अपनी सेवाएँ दीं. लेखापरीक्षा, लेखा, वित्त और कराधान के क्षेत्र में इनका विस्तृत अनुभव है.

श्री पिरमनायगम दि. 01 जनवरी, 2015 से बी डी एल के निदेशक (वित्त) नियुक्त किये गये.

एस पिरमनायगम
निदेशक (वित्त)

वी गुरुदत्त प्रसाद
निदेशक (उत्पादन)

श्री वोलेटि गुरुदत्त प्रसाद ने दि. 10 सितंबर, 2015 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में बी डी एल के निदेशक मंडल में पदभार ग्रहण किया. इस नियुक्ति से पहले ये बी डी एल, भानूर इकाई के प्रधान व महाप्रबंधक रहे. इन्होंने बेंगलूर विश्वविद्यालय से बी.टेक की उपाधि प्राप्त की है. साथ ही, इन्होंने जे एन टी यू, हैदराबाद से औद्योगिक इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन में एम.टेक भी किया है.

श्री गुरुदत्त प्रसाद को मिसाइल उत्पादन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में 30 से भी अधिक वर्ष का अनुभव प्राप्त है. इनमें सिस्टम इंजीनियरिंग, घटक उत्पादन, संयोजन और मिलान -2टी ए टी जी एम का एकीकरण तथा परीक्षण सुविधाएँ स्थापित करना आदि शामिल है. मिलान 2-टी ए टी जी एम के घटक, मशीन व परीक्षण उपकरणों के त्वरित देशीकरण में इनकी मुख्य भूमिका रही है.

वार्षिक विवरण 2014 - 15
अध्यक्ष की कलम से

प्रिय सदस्य,

मुझे वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आपकी कंपनी की उपलब्धियाँ तथा वित्तीय विशेषताएँ तथा कंपनी की भावी योजनाओं के संबंध में आपको जानकारी देते हुए खुशी हो रही है.

कार्यनिष्पादन की स्थिति :

(i) आपकी कंपनी ने अब तक का अत्यधिक बिक्री टर्नओवर ₹ 2799.68 करोड़ रुपये तथा ₹ 2770.05 करोड़ का उत्पादन मूल्य हासिल किया जो पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 57% और 54% अधिक है.

(ii) वित्तीय दृष्टि से आपकी कंपनी ने लगातार लाभांश प्रदान करने का रिकॉर्ड हासिल किया है. पिछले वर्ष के 69 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 83.71 करोड़ का लाभांश भुगतान किया गया.

रिपोर्टाधीन वर्ष की मुख्य बातें :

(i) वर्ष के दौरान कंपनी ने अत्यधिक ए टी जी एम की बिक्री की. वर्ष के दौरान टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्रों की बिक्री पिछले वर्ष की बिक्री से अधिक है.

(ii) कंपनी ने आकाश प्रभाग के लिए आई एस ओ 9001 : 2001 गुणता प्रबंधन प्रमाण-पत्र हासिल किया.

(iii) कंपनी ने मिसाइल के पुनर्सज्जीकरण एवं कार्यावधि विस्तार के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य किया है.

(iv) कंपनी ने मई, 2015 में थल सेना अध्यक्ष की उपस्थिति में आकाश अस्त्र प्रणाली को उसके प्रयोक्ता भारतीय थल-सेना को सौंपा.

नई दिल्ली में संपन्न आकाश अस्त्र प्रणाली समावेशन समारोह में संबोधित करते हुए श्री वी उदय भास्कर, सी एम डी.

भविष्य दृष्टि :

(i) फिलहाल कंपनी के पास ₹ 16357 करोड़ के कार्य-आदेश हैं जिससे आने वाले वर्षों में उत्पादन शालाएँ व्यस्त बनी रहेंगी. साथ ही, भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' नीति कंपनी के लिए भी शुभदायी है.

(ii) अत: परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए विनिर्माण लाइन स्थापित करने, विक्रेता आधार को विस्तार देने तथा प्रभावी परियोजना प्रबंधन प्रणाली तैयार करने के लिए आधारभूत ढाँचे को विभिन्न प्रांतों तक फैलाने की आवश्यकता महसूस की गई है.

(iii) इस वर्ष में आपकी कंपनी को क्यू आर सैम के उत्पादन एजेंसी के रूप में चुना गया है. एम आर सैम, एल आर सैम, विश्रॉड तथा स्पाइक परियोजनाएँ प्रक्रियाधीन हैं. अत: विभिन्न प्रांतों में अपनी विनिर्माण तथा भण्डारण सुविधाओं का विस्तार करना हमारी वर्तमान जरूरत बन गया है.

पर्यावरण पहल :

कंपनी हमेशा की तरह पर्यावरण हितैषी रही है तथा अपनी सभी विनिर्माण इकाइयों में साफ-सुथरा व हरित पर्यावरण बनाये रखी है. संभावित क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण उपाय अपनाये जा रहे हैं. कंपनी, पर्यावरण की सुरक्षा एवं अनुरक्षण के लिए निर्धारित सभी मानकों की पूर्ति के लिए तत्पर है.

ग्राहकों के साथ नियमित संपर्क :

कंपनी, सेनाओं से प्राप्त माँग-पत्रों की आपूर्ति स्थिति तथा उनकी प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए प्रयोगकर्ताओं के साथ नियमित बैठकें आयोजित कर रही है. समय-समय पर, रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में भी बैठकें की जाती हैं. कंपनी ने सशस्त्र सेनाओं के लिए सामग्री आपूर्त करने की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखी है.

विक्रेता विकास :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा विक्रेता विकास नीति के कार्यान्वयन की दृष्टि से निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की गई है. इस तरह की विक्रेता विकास नीति दीर्घावधि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपूर्ति शृंखला के विकास में कंपनी को सहायता प्रदान करेगी. साथ ही, इससे नये विक्रेताओं की पहचान व इन्हें विकसित करने में भी पारदर्शिता आएगी. प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी की आउटसोर्सिंग तथा विक्रेता विकास मैनुअल का नियमित रूप से समीक्षा व संशोधन किया जा रहा है.

प्रौद्योगिकी :

कंपनी ने पहली पीढ़ी के टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र SS11B1 के विनिर्माण से अपनी यात्रा शुरू की थी. मूल उपकरण विनिर्माता (ओ ई एम), एअरोस्पेशियल, फ्राँस से प्राप्त प्रौद्योगिकी अंतरण को अपनाते हुए बी डी एल ने दूसरी पीढ़ी के ए टी जी एम टेकनॉलॉजी की ओर कदम बढ़ाया. बी डी एल ने यूरो मिसाइल, फ्राँस से मिलान-2, रूस से कांकूर्स जैसे ए टी जी एम को अपने बेड़े में शामिल कर लिया. इन मिसाइलों का दूसरी पीढ़ी से आगे के मिलान-2टी तथा कांकूर्स-एम तथा उच्च गति वाले लेजर बीम राइडर मिसाइल इनवार 3यूबीके 20 के रूप में परिवर्द्धित किया गया. ये सभी मिसाइलें ई आर ए युक्त टैंक को भेदने में सक्षम हैं. पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश जैसी डी आर डी ओ की परियोजनाओं से कंपनी की टेकनॉलॉजी आमेलन क्षमताओं में और भी विकास हुआ है. ग्राहकों को जी एस डी सहित ए टी जी एम व अन्य मिसाइल की आपूर्ति कर बी डी एल ने भारतीय रक्षा बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनायी है. संप्रति बी डी एल तृतीय एवं इससे आगे की पीढ़ी की टेकनॉलॉजी प्राप्त करने के द्वार तक पहुँच चुका है. बी डी एल विभिन्न प्रकार की मिसाइलों के पुनर्सज्जीकरण एवं कालावधि विस्तार के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में भी पहचाना गया है.

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सातत्यता विकास :

(ए) नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनी का एक जुड़ा हुआ हिस्सा माना जाता है. एक अच्छे नैगमिक संगठन के नाते बी डी एल सामाजिक एवं कल्याण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी पारदर्शिता एवं निष्ठा के साथ महती भूमिका निभा रहा है.

(बी) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने वृद्ध-जनों के लिए स्वास्थ्य संरक्षण, स्कूली बच्चों के लिए मध्याहृन भोजन, शुद्ध पेय-जल के अलावा ई - एस ए जी यू, शौचालयों के निर्माण, गंगा बचाओ निधि, स्वच्छ भारत कोश में योगदान जैसे नये कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ₹ 416.65 करोड़ का खर्च किया.

माननीय रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर मेसर्स अक्षय पात्र फाउण्डेशन को प्रदत्त मध्याहृन भोजन वाहन को हरी झंड़ी दिखाकर रवाना करते हुए. इस अवसर पर उपस्थित श्री वी उदय भास्कर, सी एम डी तथा अन्य अधिकारी.

(सी) कंपनी ने अपनी सी एस आर गतिविधियाँ संपन्न करने के उद्‌देश्य से 'गाँव अपनाओ कार्यक्रम' के अंतर्गत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में गाँवों की पहचान की है.

पुरस्कार :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान संबंधित कार्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए आपकी कंपनी तथा इसके सदस्यों को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है -

(i) वर्ष 2014 के लिए ग्रीन-टेक पर्यावरण पुरस्कार.

अध्यक्ष, ग्रीनटेक फाउण्डेशन से 15वाँ वार्षिक ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार-2014 प्राप्त करते हुए एवीएम एन बी सिंह, अविसे, विसेमे (नि.), निदेशक (तकनीकी).

(ii) गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार - 2015

श्री प्रकाश जावड़ेकर, माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री से गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार-2015 प्राप्त करते हुए श्री वी उदय भास्कर, सी एम डी.

(iii) उत्तम मानव संसाधन कार्य-नीति के लिए ग्रीनटेक एच आर अवार्ड-2015.

(iv) वर्ष 2013-14 के दौरान न.रा.का.स. (उपक्रम) के उत्कृष्ट कार्य के लिए इंदिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार.

(v) राष्ट्रीय क्वालिटी सर्कल उत्कृष्टता पुरस्कार - 2014.
(अक्तूबर, 2015 में दक्षिण कोरिया में संपन्न होने वाले क्वालिटी सर्कल संकल्पना पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन-2015 के लिए चयित टीम)

नई उत्पादन सुविधाएँ :

(ए) भविष्य की परियोजनाओं के विस्तार को देखते हुए तेलंगाना राज्य के इब्राहिमपट्टणम में और महाराष्ट्र के अमरावती में भूमि-अधिग्रहण का कार्य संपन्न किया जा चुका है. साथ ही, अमरावती में चहारदीवारी बनाये जाने का काम चल रहा है. भारत सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियागत परियोजनाओं की आवश्यकताएँ पूरा करने के लिए इन प्रदेशों में इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी अभी शेष है.

(बी) कंपनी की भावी आवश्यकताएँ पूरा करने आपकी कंपनी ने नई दिल्ली में कार्यालयी स्थल लिया है.

नैगमिक अभिशासन :

(i) कंपनी में पेशेवर रुख तथा जवाबदेही तय करने के लिए सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था कायम है. नैगमिक अभिशासन के संबंध में कंपनी का मुख्य उद्देश्य अपनी सभी गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, उचित प्रकटीकरण करना, कानून का अनुपालन करना, नैतिक मूल्य बनाये रखना तथा सभी स्टेकधारकों के हितों को ध्यान में रखना है.

(ii) सार्वजनिक उद्यमों के लिए डी पी ई, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट, नैगमिक अभिशासन की रिपोर्ट तथा कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा दिया गया अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ संलग्न है.

(iii) डी पी ई दिशा-निर्देशानुसार नैगमिक अभिशासन के संबंध में त्रैमासिक एवं वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित फार्मेट में रक्षा मंत्रालय को अग्रेषित की जा रही है.

(iv) कंपनी की गतिविधियों का अनुवीक्षण सांविधिक लेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार, केंद्रीय सतर्कता आयोग, रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) जैसी विभिन्न बाह्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है.

कंपनियों के कुलसचिव (आर ओ सी) / नैगमिक कार्य मंत्रालय (एम सी ए) के साथ ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग :

कंपनी एमसीए-21 अभिशासन का पालन करती है. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन कंपनी के सभी प्रकार के फॉर्म एवं विवरणिकाएँ डिजीटल हस्ताक्षर सहित ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा फाइल की जा रही हैं. कंपनी का सी आई एन नंबर है - U24292TG1970GOI01353.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन :

कंपनी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान का पालन कर रही है. इस अधिनियम के तहत आवेदकों द्वारा माँगी गयी जानकारी आर टी आई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप दी गई है.

आभार-प्रदर्शन

मैं, हमारे प्रयोक्ता, संव्यवहार सहभागियों तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विशेषकर रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग सहित तीनों सेनाओं द्वारा दिये गये सहयोग के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ. मैं, अमूल्य परामर्श और सहयोग के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक मेसर्स गर्रे अण्ड कंपनी तथा वाणिज्यिक लेखापरीक्षक के प्रधान निदेशक और लेखापरीक्षा बोर्ड के पदेन सदस्य के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. हमारे अधिकारी और कर्मचारियों की हर स्तर पर प्रतिबद्धता इस कंपनी की ताकत रही है. प्रबंधन के प्रत्येक क्षेत्र में सलाह व सहयोग के लिए मैं निदेशक मंडल के अपने साथियों को धन्यवाद देता हूँ. हमें इस ताकत को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए ताकि भविष्य की चुनौतियों और विकास की गति को अनवरत रखा जा सके. अंत में, यही कहना चाहूँगा कि आपकी कंपनी भविष्य की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है जिससे इसका भविष्य उज्ज्वल बनेगा.

शुभकामनाओं सहित,

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 27 जुलाई, 2015

वी उदय भास्कर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्य,

आपके निदेशक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए इस उद्यम के लेखा-परीक्षित लेखे सहित 45वाँ वार्षिक विवरण सहर्ष प्रस्तुत करते हैं.

2. परिचालन के मुख्य अंश :

2.1 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने ₹ 2799.68 करोड़ का बिक्री कारोबार हासिल किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 57% अधिक है.

2.2 बढ़ाई गई क्षमताओं का भरपूर उपयोग करते हुए पिछले वर्षों की तुलना में कांकूर्स-एम ए टी जी एम की अब तक की सर्वाधिक बिक्री हासिल की गई है.

3. कार्य-निष्पादन :

3.1 वित्तीय मामलों के संबंध में कंपनी के कार्य-निष्पादन का सार इस प्रकार है -

विवरण	करोड़ रुपये में		% वृद्धि / (अपवृद्धि)
	2013-14	2014-15	
बिक्री मूल्य	1779.89	2799.68	57.29%
उत्पादन मूल्य	1804.49	2770.05	53.51%
कराधान पूर्व लाभ	508.59	614.19	20.76%
कराधान बाद लाभ	345.51	418.57	21.15%
मल्य-वर्द्धन	578.48	914.95	58.16%

3.2 निम्नलिखित विवरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित है -

विवरण	करोड़ रुपये में		% वृद्धि / (अपवृद्धि)
	2013-14	2014-15	
सकल निरुद्ध	834.56	940.04	12.64%
मूल्यह्रास प्रारक्षण	474.95	546.18	15.00%
निवल निरुद्ध	359.61	393.86	9.52%
कार्यगत पूँजी	812.68*	908.28	11.76%
नियोजित पूँजी	1172.29*	1302.14	11.08%
निवल मालियत	1217.75	1533.37	25.92%

* वर्ष 2013-14 की चालू परिसंपत्तियाँ तथा चालू देयताओं के पुनर्समूहन के कारण समायोजित.

4. लाभांश एवं सामान्य प्रारक्षण में अंतरण :

4.1 आपकी कंपनी ने लगातार लाभांश प्रदान करने का रिकॉर्ड हासिल किया है. कंपनी ने अपने पूर्व रिकॉर्ड से आगे बढ़ते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 83.71 करोड़ का लाभांश प्रदत्त किया. इस लाभांश में फरवरी, 2015 में प्रदत्त 48.90 करोड़ का अंतरिम लाभांश भी शामिल है. निदेशकगण ₹ 318.00 करोड़ की राशि सामान्य प्रारक्षण में अंतरित करने की सिफारिश भी करते हैं.

दि. 11 फरवरी, 2015 को माननीय रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर को वर्ष 2014-15 के लिए अंतरिम लाभांश चेक भेंट करते हुए श्री वी उदय भास्कर, सी एम डी. चित्र में हैं - श्री मोहन कुमार, सचिव, रक्षा उत्पादन, श्री जे रामकृष्ण राव, संयुक्त सचिव (ई एस), एवीएम एन बी सिंह, अविसेमे, विसेमे (नि.), निदेशक (तक.), श्री एस पिरमनायगम, निदेशक (वित्त) और श्री राधाकृष्णन, उप महाप्रबंधक (वित्त), संपर्क कार्यालय.

5. वित्त :

5.1 कुल प्रदत्त पूँजी 115.00 करोड़ रुपये ही रही. कंपनी की कुल परिसंपत्तियाँ (विशेष औज़ार और उपकरण सहित) ₹ 940.04 करोड़ की रहीं जो वर्ष 2013-14 की तुलना में ₹ 105.48 करोड़ अधिक है.

6. अनुबंध ज्ञापन प्रलेख की दृष्टि से कार्य-निष्पादन :

6.1 वर्ष 2013-14 में आपके उद्यम ने कार्य-निष्पादन में 'उत्कृष्ट' दर्जा प्राप्त किया. वर्ष 2014-15 के दौरान अनुबंध ज्ञापन प्रलेख के कार्य-निष्पादन के लिए भी 'उत्कृष्ट' दर्जा प्राप्त होने की संभावना है.

7. लागत में कमी :

7.1 रक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में लागत में कमी को प्राथमिकता देते हुए इसके उपाय किए गए हैं. एक कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में लागत में कमी पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है. वार्षिक लक्ष्य हासिल

करने में की गई प्रगति के अनुवीक्षण के लिए आवधिक अंतराल से पुनरीक्षण बैठकें आयोजित की जा रही हैं. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान ₹ 62.29 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य के प्रति लागत में कमी के तहत ₹ 64.12 करोड़ की बचत की गई है.

7.2 संभावित क्षेत्रों में ई-रिवर्स ऑक्शन लागू किया गया है जिससे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतें तथा सामग्री लागत में कमी लाने में सफलता मिली है. साथ ही, ऊर्जा ऑडिट के अंतर्गत ऊर्जा बचत के उपकरण भी प्रयोग किए जा रहे हैं. विभिन्न परियोजनाओं के लिए विक्रेताओं की संख्या बढ़ाने के सतत प्रयास भी जारी हैं जिनसे उम्मीद है कि सामग्री की लागत में कमी आएगी.

8. मितव्ययता :

8.1 व्यय प्रबंधन, मितव्ययता और व्यय के युक्तीकरण से संबंधित वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के क्रम में कंपनी ने वर्ष 2014-15 के दौरान यात्रा व्यय, विज्ञापन तथा प्रचार-व्यय, नये वाहनों की खरीदी, संगोष्ठी एवं सम्मेलन का आयोजन, विनोद कार्यक्रम इत्यादि क्षेत्रों में राजकोषीय विवेक तथा मितव्ययता नीति अपनायी है.

8.2 ऊर्जा की खपत, चल एवं अचल ऊपरी व्यय तथा आकस्मिक व्यय की निरंतर समीक्षा कर इसे न्यूनतम रखा गया है.

9. आधुनिकीकरण एवं उन्नयन :

9.1 आधुनिकीकरण एवं उन्नयन कार्यक्रम के तहत ए टी जी एम एवं अन्य उत्पादों की उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है. रोबोटिक वेल्डिंग मशीन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उत्पादन शृंखला में ऑटोमैटिक लोडिंग तथा प्रोग्रेस, उप-प्रणालियों का उष्णन तथा शीतलन का एकीकरण / ऑटोमैशन, डीप ड्राइंग प्रक्रिया की जगह फ्लो फार्मिंग के प्रयोग से भविष्य में सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान क्षमताओं में वृद्धि संभव हो पायी है.

10. विदेश मुद्रा : अर्जन तथा व्यय :

10.1 वर्ष के दौरान ₹ 1.55 करोड़ की विदेश मुद्रा अर्जित की गई तथा ₹ 616.93 करोड़ मूल्य की विदेश मुद्रा का व्यय हुआ.

11. प्रदर्शनियाँ :

11.1 वर्ष 2014-15 के दौरान वरिष्ठ कार्यपालक तथा निदेशकों ने राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रतिभाग लिया है. इस तरह की प्रतिभागिता के परिणामस्वरूप आधुनिक टेकनोलॉजी का परिचय, अन्य विशेषज्ञों से चर्चा तथा ज्ञान-अंतरण का अवसर प्राप्त हुआ. साथ ही, अन्य देशों के पेविलियन की यात्रा से वहाँ उपलब्ध प्रणालियों की जानकारी मिली जिससे बी डी एल को भविष्य में अपने स्वयं की संव्यवहार योजनाएँ बनाने में मदद मिलेगी. बी डी एल ने वर्ष 2014-15

के दौरान निम्न प्रदर्शनियों में प्रतिभाग लिया :

- दि. 07 से 13 जनवरी, 2015 के दौरान अहमदाबाद में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो - 2015.
- दि. 18 से 22 फरवरी, 2015 के दौरान बेंगलूरु में आयोजित एअरो इंडिया - 2015.

बेंगलूरु में संपन्न एअरो इंडिया-2015 प्रदर्शनी में ले. जनरल फिलिप कंपोस, पविसेमे, अविसेमे, विसेमे, एडीसी, थल सेना उपाध्यक्ष को उत्पादों का परिचय देते हुए श्री वी उदय भास्कर, सी एम डी एवं एवीएम एन बी सिंह, अविसेमे, विसेमे (नि.), निदेशक (तकनीकी).

- दि. 14 से 17 अप्रैल, 2015 के दौरान ब्राज़िल में आयोजित एल ए ए डी - 2015 प्रदर्शनी.

12. निदेशक मंडल :

12.1 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की सात बैठकें संपन्न हुई तथा वर्ष 2014-15 की आम सभा दि. 26 सितंबर, 2014 को संपन्न हुई.

12.2 श्रीमती कुसुम सिंह, संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग के स्थान पर दि. 19 नवंबर, 2014 से श्री जे रामकृष्ण राव, आई ए एस, संयुक्त सचिव (ई एस), सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए.

12.3 श्री एस पिरमनायगम, दि. 01 जनवरी, 2015 से निदेशक (वित्त) के पद पर नियुक्त किये गये.

12.4 श्री वी उदय भास्कर दि. 30 जनवरी, 2015 से बी डी एल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किये गये. इससे पूर्व श्री उदय भास्कर दि. 01 अगस्त, 2013 से निदेशक (उत्पादन) के पद पर कार्यरत थे.

12.5 श्री ए के कपूर, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक का कार्यकाल दि. 15 फरवरी, 2015 को समाप्त हुआ. इससे पहले प्रो. आर के मिश्र, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा श्री के एल मेहरोत्रा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक का कार्यकाल दि. 07 मार्च, 2014 को समाप्त हुआ. इस प्रकार दि. 31 मार्च, 2015 तक तीन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक पद रिक्त हैं.

13. मानव संसाधन विकास :

13.1 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने ज्ञानाधारित, विकासोन्मुख तथा आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जिनमें कंपनी के 1048 अधिकारी तथा 625 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है. कंपनी की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यक्रम आंतरिक तथा बाह्य एजेंसियों द्वारा आयोजित किये जाते हैं.

13.2 आपकी कंपनी ने प्रबंधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आई आई एम, अहमदाबाद, बेंगलूरु, जमशेदपुर के एक्स एल आर आई जैसी प्रमुख संस्थाओं के माध्यम से 41 वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये.

13.3 कंपनी की संव्यवहार कार्य-नीति के तहत विदेशी ओ ई एम एवं भारतीय पार्टियों के साथ संयुक्त परियोजना की आवश्यकता पहचानते हुए निदेशक (वित्त) एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने दि. 16-18 फरवरी, 2015 के दौरान आई आई एम, बेंगलूरु में संयुक्त परियोजना पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया.

13.4 मिसाइल टेकनोलॉजी पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आपकी कंपनी लगातार डी आई ए टी, पुणे के लिए अधिकारियों को प्रायोजित करती आ रही है. साथ ही, कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए कौशल प्रोन्नयन तथा इसके पुनःअधिप्रमाणन के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किये हैं.

13.5 आपकी कंपनी ने प्रशिक्षित पेशेवर परियोजना प्रबंधकों का एक समुदाय बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की है. बी डी एल ने भारत में स्वयं परीक्षा केंद्र स्थापित कर, अक्तूबर, 2014 के दौरान पी एम पी की पेपर आधारित परीक्षा आयोजित की है. वर्ष 2014-15 के दौरान तीस कार्यपालकों में से बारह कार्यपालकों ने पी एम पी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की.

14. औद्योगिक संबंध एवं कर्मचारी कल्याण :

14.1 आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त तथा पंजीकृत ट्रेड यूनियन तथा असोसिएशन के साथ समता एवं मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाये रखे हैं. कार्यकारी समिति, सुरक्षा समिति तथा कैंटीन समिति जैसी सांविधिक समिति एवं

संयंत्र स्तर की समितियों ने कार्य-स्थल के सभी स्तरों पर अनुशासन में सहयोग दिया है.

14.2 सांविधिक कल्याण प्रावधानों का अनुपालन ध्यानपूर्वक किया जा रहा है. कंपनी के विद्यालय शुल्क, कैंटीन भत्ता, यूनिफार्म, जूते जैसी गैर-सांविधिक सुविधाओं की उपलब्धता जारी रखी गई है. कंपनी बी डी एल चिकित्सा नियमों के तहत कर्मचारी तथा उनके आश्रितों की चिकित्सा ज़रूरतों का ध्यान रख रही है. डी पी ई दिशा-निर्देशानुसार कंपनी ने कार्यपालकों के लिए पेंशन योजना तैयार की है और कंपनी के कार्यपालक तथा कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए सेवा-निवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा योजना भी बनायी है. इन योजनाओं को निदेशक मंडल का अनुमोदन मिल गया है.

15. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण :

15.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित धारा 134 (5) के अनुसार निदेशकों का कथन है कि -

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू लेखा मानकों का अनुसरण, निगत सामग्री के उचित स्पष्टीकरण सहित किया गया है.

(ii) चयित लेखा-नीति का पालन नियमित रूप से किया जा रहा है तथा इस आधार पर लिये गये निर्णय एवं प्राक्कलन उचित हैं. इनसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी की वास्तविक और स्पष्ट कार्य-पद्धति दृष्टिगोचर होती है तथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लाभ-हानि भी परिलक्षित होती है.

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के संशोधनों के प्रावधानानुसार लेखा अभिलेखों के उचित तथा पर्याप्त रखरखाव में सावधानी बरती गयी है ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों को धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचाया जा सके.

(iv) वार्षिक लेखा चालू संबद्ध आधारों पर तैयार किये गये हैं.

(v) कंपनी ने लागू सभी कानून के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों का सृजन किया है और ये प्रणालियाँ पर्याप्त एवं प्रभावी हैं.

16. विदेश यात्राएँ

16.1 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा संव्यवहार यात्राओं के संबंध में विदेश यात्राओं पर रु.116.59 लाख खर्च किये.

17. सुरक्षा :

17.1 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) कंचनबाग तथा भानूर इकाइयों में सुरक्षा तथा अग्नि सेवाएँ प्रदान कर रहा है. विशाखापट्टणम इकाई में भी सी आई एस एफ के समावेशन के प्रयास किये जा रहे हैं. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सी आई एस एफ ने बी डी एल की संपत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है. सी आई एस एफ ने अति संवेदनशील स्थापना को सुरक्षित रखने के लिए भौतिक प्रयासों को प्रौद्योगिकी से जोड़ते हुए कड़े सुरक्षा उपाय अपनाये हैं.

17.2 आई बी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए संयंत्र सुरक्षा परिषद मौजूद है. कड़ी सुरक्षा के लिए नियमित रूप से प्रबंधन और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा समीक्षा की जाती है.

17.3 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान ऑक्टोपस टीम सहित आई बी के अधिकारी, गृह मंत्रालय, एन एस जी टीम ने जोखिम संभावना मूल्यांकन के संबंध में बी डी एल, कंचनबाग का आवेक्षण किया.

17.4 अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए कार्ड स्वाइप करने के अतिरिक्त बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है.

18. संरक्षा :

18.1 कंपनी, कर्मचारियों के अच्छे स्वास्थ्य व संरक्षा के लिए प्रयुक्त मानकों का कड़ा पालन कर रही है. कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो निगम समितियाँ कार्यरत हैं - औद्योगिक सुरक्षा समिति जो सांविधिक है और विस्फोटक संरक्षा समिति. सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण परिस्थितियाँ नियंत्रित करने के लिए नियमित अंतराल पर संरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं. विस्फोटक सुरक्षा के लिए उद्योग अधिनियम, 1948 का अनुपालन करते हुए तथा एस टी ई सी (विस्फोटक का भण्डारण एवं परिवहन समिति) के विनियमों का कड़ा पालन करते हुए कार्य किये जा रहे हैं.

राष्ट्रीय संरक्षा समारोह के अवसर पर दीप-प्रज्वलन करते हुए श्री बी एस प्रसाद, अधिशासी निदेशक (सैम) एवं फैक्टरी प्रबंधक. चित्र में हैं - श्री एन संपत कुमार, महाप्रबंधक (सैम), श्री श्रीनिवास, संरक्षा अधिकारी व अन्य.

18.2 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान नई परियोजनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संरक्षा इंजीनियरिंग विभाग ने महाप्रबंधक की अध्यक्षता में संरक्षा मैनुअल का पुनरीक्षण किया. साथ ही, सभी प्रभाग / विभाग में संरक्षा नीति एवं उद्देश्य निदर्शन बोर्ड लगाए गए.

18.3 अग्नि, विस्फोटक तथा पर्यावरण संरक्षा केंद्र (सी एफ ई ई एस), नई दिल्ली द्वारा वार्षिक विस्फोटक संरक्षा लेखापरीक्षा की जाती है और लेखापरीक्षा समिति के निरीक्षणों का अनुपालन किया जाता है. साथ ही, जोख़िम भरे क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए योग्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षाएँ भी करवायी जाती हैं.

19. अनुसूचित जाति / जन-जाति के लिए पदों में आरक्षण तथा कुल मानव-शक्ति :

19.1 कंपनी, अनुसूचित जाति / जन-जाति के लिए पदों में आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति आदेशों का अनुपालन कर रही है.

19.2 कार्यकारी निदेशकों को मिलाकर दि. 31 मार्च, 2015 तक कंपनी में कार्यरत स्थायी कार्मिकों की संख्या 3180 रही और अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 3 रही. इन कुल कार्मिकों में से 79 भूतपूर्व सैनिक, 591 अनुसूचित जाति तथा 212

अनुसूचित जन-जाति वर्ग के हैं. कर्मचारी वर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का प्रतिशत क्रमश: 19.23% और 5.6% है जबकि अधिकारी वर्ग में यह प्रतिशत 16.82% और 9.43% है.

19.3 दि. 31 मार्च, 2015 तक अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 3 रही जिनमें से 2 अनुसूचित जाति के और 1 अनुसूचित जन-जाति वर्ग का है. दि. 31 मार्च, 2015 तक कंपनी की विभिन्न श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार है -

			कर्मचारियों की संख्या			
श्रेणी	कुल संख्या		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन-जाति	
	31-03-2014	31-03-2015	31-03-2014	31-03-2015	31-03-2014	31-03-2015
ग्रुप-ए	753	748	125	120	75	74
ग्रुप-बी	93	132	14	28	7	9
ग्रुप-सी	1901 184*	1975 3*	348 37*	357 2*	98 14*	107 1*
ग्रुप-डी	335	325	87	84	21	21
कुल	**3266**	**3183**	**611**	**591**	**215**	**212**

* अस्थायी कर्मचारी

19.4 वर्ष 2014-15 के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति की भर्ती निम्न प्रकार रही -

पदों का वर्गीकरण	कुल विमोचित रिक्तियाँ	कुल भर्ती	पदों का आरक्षण (कॉलम 2 में से)		वर्ष 2014-15 में की गई भर्ती	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
			अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. जा.	अ. ज. जा.
ग्रुप-ए	2	22	-	-	02	-
ग्रुप-बी	-	-	-	-	-	-
ग्रुप-सी	13	183	03	02	36	13
ग्रुप-डी	-	01	-	-	-	01
कुल	**15**	**206**	**3**	**2**	**38**	**14**

20. महिलाओं का नियोजन :

दीप-प्रज्वलन कर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का शुभारंभ करते हुए श्री वी उदय भास्कर, सी एम डी. चित्र में हैं - श्री एस पिरमनायगम, निदेशक (वित्त), श्रीमती लता, अपर महाप्रबंधक (इनवार) और अन्य.

20.1 रक्षा मंत्रालय के दि. 27 अगस्त, 1999 के पत्र संख्या 39 (6)/99/डी (बी अण्ड सी) में उद्धृत निर्देशानुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के वार्षिक विवरण 1995-96 की संख्या 51 के परिच्छेद (ii) (ए) की सिफारिशों के अनुसार महिला नियोजन

की स्थिति (प्रतिशत) निम्न प्रकार है -

I. कार्यपालक

ग्रेड	कुल	महिलाएँ	प्रतिशत
I	132	21	15.90%
II	226	38	16.81%
III	147	18	12.24%
IV	57	8	14.03%
V	127	13	10.23%
VI	142	1	0.70%
VII	32	1	3.12%
VIII	12	0	0
IX	2	0	0
मुख्य सतर्कता अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	-	-	0
निदेशक	2	-	0
सी एम डी	1	-	0
कुल	**880**	**100**	**11.36%**

II. कार्यपालकेतर

ग्रेड	कुल	महिलाएँ	प्रतिशत
वेज ग्रुप-1	111	13	11.71%
वेज ग्रुप-2	309	26	8.41%
वेज ग्रुप-3	266	43	16.16%
वेज ग्रुप-4	278	52	18.70%
वेज ग्रुप-5	168	21	12.50%
वेज ग्रुप-6	38	6	15.78%
वेज ग्रुप-7	139	8	5.75%
वेज ग्रुप-8	19	1	5.26%
वेज ग्रुप-9	62	3	4.83%
वेज ग्रुप-10	189	10	5.29%
वेज ग्रुप-11	139	21	15.10%
वेज ग्रुप-12	582	38	6.52%
अस्थायी	3	-	0
कुल	**2303**	**242**	**10.50%**

21. दि. 31 मार्च, 2015 तक विकलांग कर्मचारी (कार्यपालक एवं कार्यपालकेतर) :

21.1 दि. 31 मार्च, 2015 तक कंपनी में 107 विकलांग कार्मिक कार्यरत रहे और अपंग कर्मचारियों का कुल प्रतिशत 3.36% रहा.

22. वार्षिक विवरणिका :

22.1 कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार कंपनी द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष की वार्षिक विवरणिका का सारांश प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जिसे सारांश अनुलग्न-I के रूप में संलग्न किया गया है.

23. पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण :

23.1 कंपनी, हरा-भरा वातावरण बनाये रखते हुए पर्यावरण के सभी पहलुओं की दृष्टि से लगातार सुधार कर रही है. अशुद्ध जल को शुद्ध कर अपशेष प्रबंधन, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, फूल लगने वाले वृक्ष तथा बागवानी की गई है. कंपनी ने बी डी एल में व्याप्त विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कार्यकारी स्तर की समिति तथा स्टीरिंग समिति आदि का गठन किया है. ये समितियाँ समय-समय पर प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा कर रही हैं. निर्धारित अवधि में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पुराने डी जी सेट की जगह ध्वनिशोषक डी जी सेट लगवाए जाने की प्रक्रिया जारी है.

24. गुणता :

24.1 बी डी एल एकल प्रयुक्त उत्पादों का विनिर्माण करता है. ये उत्पाद कड़े गुणता मानक तथा उच्च विश्वसनीयता की माँग करते हैं. इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बी डी एल ने पिछले 19 वर्ष से आई एस ओ प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय गुणता प्रबंधन प्रणाली की नीतियाँ अपनायी हैं. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान भानूर इकाई, सीपी-आई जी एम पी, आई टी डी, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग एवं डी अण्ड ई प्रभाग को आई एस ओ 9001 : 2008 गुणता प्रबंधन प्रणाली मानकों से प्रमाणित किया गया है. साथ ही, आकाश प्रभाग ने आई एस ओ 9001 : 2008 गुणता प्रबंधन प्रणाली पत्र भी प्राप्त किया है जिससे प्रयोक्ताओं का विश्वास बढ़ गया है. आगे, कंपनी ने ए एस 9100 सी एअरोस्पेस गुणता प्रबंधन प्रणाली भी कार्यान्वित करते हुए मिलान प्रभाग में आई ए क्यू जी आवश्यकताओं को लागू किया है. भानूर इकाई के इलेक्ट्रॉनिक लैब को आई एस ओ / आई ई सी 17025 : 2005 (एन ए बी एल) का प्रमाणन प्राप्त हुआ है.

दि. 03 फरवरी, 2015 को भानूर इकाई संबंधी एन ए बी एल एक्रिडीएशन प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए श्री वी गुरुदत्त प्रसाद, महाप्रबंधक (भानूर इकाई).

25. निर्यात :

25.1 बी डी एल ने वर्ष 2014 -15 के दौरान किसी प्रकार के निर्यात आदेश का कार्यान्वियन नहीं किया है.

26. भावी योजना :

26.1 भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा आरंभ किये गये आधुनिकीकरण कार्यक्रम के क्रम में कंपनी का भावी समय उत्साहवर्धक प्रतीत होता है. विश्रॉड, एस आर सैम जैसे अधिग्रहण कार्यक्रमों के लिए बी डी एल की पहचान मुख्य एकीकर्ता के रूप में की गई है. बी डी एल तीसरी पीढ़ी के प्रोन्नत ए टी जी एम के लिए भी मुख्य एकीकर्ता है. ये परियोजनाएँ भारत सरकार के अनुमोदन के विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियागत हैं. उपर्युक्त भावी योजना को देखते हुए कंपनी का भविष्य सुखद दिखाई देता है. तथापि, रक्षा अधिग्रहण के सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की सरकारी नीति को ध्यान में रखते हुए बी डी एल को इस बात की जानकारी है कि इसकी मनोनीत उत्पादन एजेंसी स्थिति क्रमशः प्रतिस्पर्धात्मक बिडर का रूप लेती जा रही है. इन सब बदलावों को देखते हुए कंपन को भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए.

27. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उनकी पर्याप्तता :

27.1 कंपनी ने सभी प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों तथा प्रणालियों के वित्तीय औचित्य के सभी मापदंडों को बेहतर बनाने की व्यवस्था की है. बाह्य लेखापरीक्षक फर्म को इनकी पर्याप्तता तथा रिपोर्ट को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया है. बी डी एल के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग तथा आंतरिक लेखा फर्म की रिपोर्टों का विस्तृत विश्लेषण लेखापरीक्षक समिति के समक्ष समीक्षा एवं सलाह के लिए प्रस्तुत किया गया. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की पर्याप्तता की समीक्षा कर रिपोर्ट दी गई है. सरकारी कंपनी होने के नाते बी डी एल के लिए सरकारी लेखापरीक्षा भी आवश्यक है.

28. राजभाषा कार्यान्वयन :

28.1 राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) और इनके अंतर्गत बनाए गए राजभाषा नियमों का समुचित रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है. सी एम डी की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और राजभाषा प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टें संबंधित प्राधिकारी को समय पर भेजी जा रही हैं. सतर्कता जागरूकता सप्ताह, राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह, अग्नि संरक्षा सप्ताह, पर्यावरण सप्ताह एवं स्वच्छ भारत अभियान के अवसर पर अधिक से अधिक कर्मचारियों को इसमें शामिल करने तथा इन विषयों के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए हिंदी, अंग्रेज़ी एवं तेलुगु में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं.

28.2 भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार कंपनी की वेबसाइट हिंदी में तैयार कर समय-समय पर इसका अद्यतन किया जा रहा है. टॉलिक के उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए कंपनी के भूतपूर्व सी एम डी एवं टॉलिक के अध्यक्ष श्री एस एन मंथा ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 'ग' क्षेत्र में तृतीय पुरस्कार के रूप में माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी से इंदिरा गाँधी राजभाषा शील्ड प्राप्त की. साथ ही, कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) एवं टॉलिक (उ) के सदस्य सचिव को भी इसी वर्ष के लिए राष्ट्रपति महोदय ने उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया.

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए इंदिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री एस एन मंथा, भूतपूर्व सी एम डी.

28.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राष्ट्रपति आदेशों के तहत संसद के सामने प्रस्तुत किये जाने वाले कागजात, कंपनी का वार्षिक विवरण, रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख आदि द्विभाषी रूप में तैयार कर प्रस्तुत किये गये.

29. प्रौद्योगिकी संरक्षण एवं नवीकरण ऊर्जा विकास :

29.1 उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधित उपयोग द्वारा विकास प्रक्रिया को पर्यावरण हितैषी पद्धति से आगे बढ़ाने के लिए सतत विकास, राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया है. बी डी एल द्वारा अपनायी जा रही सतत् विकास कार्यान्वयन की कठोर पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा क्षमता के विकास द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आरंभ किये गये हैं.

29.2 सौर ऊर्जा, महत्वपूर्ण नवीकरण ऊर्जा स्रोतों में से एक है जो पिछले कुछ दिनों से लोकप्रिय बन गया है. सौर ऊर्जा शुद्ध एवं उत्सर्जनमुक्त होता है. यह प्रकृति के लिए हानिकारक प्रदूषक या उपजात पैदा नहीं करता. अतः यह पर्यावरणहितैषी भी है. इसे ध्यान में रखते हुए कपनी ने कंचनबाग कांप्लेक्स में वर्ष 2014-15 से 2015-16 की अवधि के दौरान 200 किलावाट का ग्रिड टाईड सोलार पीवी पॉवर प्लांट स्थाति करने का प्रस्ताव रखा है.

29.3 ए सी प्रणालियों के शीतलीकरण तथा वाटर सर्क्यूट के निर्माण के लिए स्थापित जल शुद्धीकरण प्रणाली की स्थापना से ए सी संयंत्र की क्षमता में वृद्धि हुई है.

29.4 पर्यावरण परिरक्षण हमारे राष्ट्र द्वारा शताब्दी विकास लक्ष्य है. राष्ट्र के इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बी डी एल लगातार वृक्षारोपण तथा वर्षा जल संचयन जैसे विकासात्मक कदम निरंतर उठा रहा है ताकि भू-जल के स्तर में बढ़ोत्तरी हो सके. सोलार स्ट्रीट लाइट जैसी ऊर्जा प्रणालियों को अपना कर कार्बन-उत्सर्जन कम करने का प्रास किया गया है. सातत्यता विकास कार्यक्रम एक निरंतर प्रक्रिया है और पर्यावरण सातत्यता प्राप्त करने के लिए बी डी एल इसे अपने दैनंदिन का अंग बनाने में लगा है.

30. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सातत्यता विकास :

30.1 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने स्वास्थ्य संरक्षण, मध्याहृन भोजन, सुरक्षित पेयजल एवं बायो टॉयलेट, ई - एस ए जी यू, स्वच्छ भारत कोष, शुद्ध गंगा निधि के तहत शौचालयों का निर्माण जैसी कई गतिविधियों के लिए ₹ 416.65 लाख की राशि खर्च की है. प्रधानमंत्री कार्यक्रम के तहत कंपनी ने स्वच्छ भारत कोष एवं शुद्ध गंगा निधि के तहत अपनी सी एस आर गतिविधियों के लिए भी अंशदान दिया है.

30.2 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने सातत्यता विकास के तहत सोलार लाइटिंग, ऊर्जा ऑडिट सिफारिशों के आधार पर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए व्यय किया है.

30.3 कंपनी ने तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में गाँव अपनाने के लिए कुछ गाँवों की पहचान की है. इसी तरह स्वच्छ भारत कोष के तहत तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के सरकारी स्कूलों में 175 शौचालयों के निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया है.

30.4 कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार कंपनी द्वारा अपने तुरंत पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त औसतन निवल लाभ में से हर वित्तीय वर्ष में 2% की राशि सी एस आर गतिविधियों पर खर्च किया जाना चाहिए. इस संदर्भ में अधिशासी निदेशक (का. एवं प्रशा.) की अध्यक्षता में बोर्ड से निचले स्तर की समिति कंपनी द्वारा की जा रही गतिविधियों का अनुवीक्षण करती है तथा आवधिक अंतराल पर बैठकें बुलायी जाती हैं. तथापि, कंपनी द्वारा निर्धारित रु. 8.51 करोड़ की राशि में से केवल रु. 4.17 करोड़ की राशि ही खर्च की जा सकी है. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने सी एस आर गतिविधियों के लिए आबंटित कुल रु. 8.51 करोड़ की राशि i) आर ओ प्लांट लगा कर ii) 100 केवी सोलार पॉवर प्लांट iii) बायो टॉयलेट iv) सरकारी स्कूलों में शौचालय निर्माण इत्यादि कर व्यय करने की योजना बनायी है. इन परियोजनाओं के वित्तीय वर्ष 2014-15 में पूर्ण नहीं हो पाने से यह राशि पूरी तरह से खर्च नहीं हो पायी है.

कंचनबाग कांप्लेक्स में आर ओ संयंत्र का शुभारंभ करते हुए श्री वी उदय भास्कर, सी एम डी. चित्र में हैं - श्री एस पिरमनायगम, निदेशक (वित्त), डॉ. एन के राजू, अधिशासी निदेश (का. एवं प्रशा.) तथा अन्य.

31. सतर्कता :

31.1 दि. 27 अक्तूबर, 2014 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने निगम कार्यालय में सतर्कता शपथ दिलायी जिसका सभी इकाइयों में सीधा प्रसारण किया गया. तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री के सी भानू ने मुख्य अतिथि के रूप में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्‌घाटन किया. सतर्कता सप्ताह के लिए मुख्य उद्‌देश्य 'प्रौद्योगिकी के सहारे भ्रष्टाचार पर वार' रहा. भानूर इकाई में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्‌घाटन श्री सी एस आर प्रभू, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के निवृत्त डी जी ने दि. 29 अक्तूबर, 2014 को किया तथा वर्ष के उद्‌देश्य को लेकर अतिथि संबोधन भी दिया.

सतर्कता कंपेंडियम-2014 का विमोचन करते हुए तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री के सी भानू. चित्र में हैं - श्री एस एन मंथा, भूतपूर्व सी एम डी, श्री एस वी सुब्बा राव, भूतपूर्व निदेशक (वित्त), श्री वी उदय भास्कर, निदेशक (उत्पादन), एवीएम एन बी सिंह, अविसेमे, विसेमे (नि.), निदेशक (तकनीकी) और श्री एम ईश्वर, मुख्य सतर्कता अधिकारी व अन्य.

31.2 दि. 31 अक्तूबर, 2014 को आयोजित समापन समारोह में डॉ. जयप्रकाश नारायण, आई ए एस (नि.) मुख्य अतिथि रहे. इन्होंने भी इस वर्ष के उद्‌देश्य पर अपना वक्तव्य दिया.

31.3 सतर्कता विभाग का मुख्य उद्‌देश्य निदानात्मक / अनुकूल क्रियात्मक सतर्कता है. इसे ध्यान में रखते हुए सतर्कता विभाग के क्रियाकलाप, की जाने वाली गतिविधियों में विकासात्मक परिणामों को सूचित करते हैं. तदनुसार, प्रबंधन के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है.

31.4 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान उपस्थिति प्रणाली, अस्थायी कर्मचारियों का आमेलन, विदेश यात्रा, कर्मचारियों को नकद पुरस्कार, विभागीय पदोन्नतियों की प्रणाली में परिवर्द्धन के लिए प्रबंधन को सुझाव दिए गए. विदेशी दौरों पर प्रतिनियुक्त किये जाने वाले कार्यपालकों को सतर्कता अनापत्ति दिये जाने संबंधी प्रणाली परिवर्द्धन के भी सुझाव दिए गए. तदनुसार, प्रबंधन ने कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए इसके सख़्त अनुपालन का आदेश भी जारी किया गया.

32. लेखापरीक्षा समिति :

32.1 बेहतर नैगमिक अभिशासन के लिए एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया था. लेखा-कार्य के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उनकी पर्याप्तता की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान छः बैठकें बुलायी गयीं. गठन के विवरण, विचारार्थ विषय इत्यादि इस रिपोर्ट के साथ संलग्न नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट (अनुलग्नक-III) में बताये जाते हैं.

33. सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणन :

33.1 डी पी ई के दिशा-निर्देशों की ज़रूरत के अनुरूप सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेखापरीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

34. नैगमिक अभिशासन :

34.1 नैगमिक अभिशासन, उत्तम प्रबंधन का निर्वहन, कानून का अनुपालन और नैतिक मूल्यों के पालन से संबंधित है ताकि कंपनी के प्रमुख उद्देश्य शेयर-धारकों की मूल्य-वृद्धि एवं सामाजिक दायित्व का निर्वाह हो सके.

34.2 कंपनी में पेशेवर रुख तथा जवाबदेही तय करने के लिए सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था क़ायम है.

34.3 सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के संबंध में दि. 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18 (8)/2005-जीएम के तहत डी पी ई द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट (अनुलग्नक-II), नैगमिक अभिशासन पर रिपोर्ट (अनुलग्नक-III) तथा कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा कंपनी में नैगमिक अभिशासन की स्थिति पर दिया गया नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-IV) निदेशक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है.

34.4 नैगमिक अभिशासन की त्रैमासिक एवं वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित फार्मेट में रक्षा मंत्रालय को अग्रेषित की जा रही है.

35. लेखापरीक्षक :

35.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मेसर्स लक्ष्मीनिवास नीठ अण्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टंट्स, हैदराबाद को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया. बाद में उस फर्म का नाम मेसर्स गर्रे अण्ड कंपनी में बदल दिया गया है.

36. स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा-पत्र :

36.1 सार्वजनिक उद्यम विभाग ने निगम अभिशासन-2010 पर दिशानिर्देश जारी किये. इसमें सी पी एस ई के निदेशक मंडल का गठन बताता है कि सार्वजनिक उद्यम बोर्ड में कार्यकारी निदेशक, सरकारी निदेशक और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) शामिल होते हैं. भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में दि. 31 मार्च, 2015 तक तीन कार्यकारी निदेशक, दो सरकारी निदेशक मौजूद हैं. कोई अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) नहीं है. दो अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों का कार्यकाल 07 मार्च, 2015 को समाप्त हुआ तथा एक और अंशकालिक गैर-सरकारी

निदेशक का कार्यकाल 15 फरवरी, 2014 को. नये अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में कंपनी ने इसकी काफी पहले ही पहल कर दी थी. यद्यपि, इस संबंध में अभी सूचना प्राप्त होना शेष है. अतः रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार कंपनी स्वतंत्र निदेशक की घोषणा प्राप्त नहीं कर पायी है.

37. कंपनी की आपदा प्रबंधन नीति का अनुपालन :

37.1 सी पी एस ई-2010 के लिए नैगमिक अभिशासन पर डी पी ई दिशा-निर्देश में बताया गया है कि कंपनी का निदेशक मंडल तथा परिचालन उद्देश्यों के साथ आपदा प्रबंधन प्रणाली की एकता तथा मिलान सुनिश्चित करें. यह भी कहा गया है कि आपदा प्रबंधन को सामान्य संव्यवहार के अंग के रूप में लिया जाता है न कि समय-समय पर स्थापित एक अलग कार्यक्रम के रूप में.

37.2 उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आपकी कंपनी द्वारा कंपनी की आपदा प्रबंधन नीति बनायी गयी जो कंपनी के सभी स्तर के लिए तथा सभी इकाइयों के लिए समान रूप से लागू है. आपदा प्रबंधन नीति के उद्देश्यों में से यह सुनिश्चित करना भी एक उद्देश्य है कि कंपनी के सभी वर्तमान तथा भविष्य आपदा क्षेत्रों की पहचान कर, उसका मूल्यांकन एवं गुणीबद्ध कर लगभग उन्हें खत्म कर दिया गया और उनका प्रबंधन भी कर दिया गया.

37.3 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल के अनुमोदनोपरांत आपदा प्रबंधन का विस्तृत प्रचार किया गया. आपदा की वर्तमान स्थिति तथा उन्हें पहचान कर उन्हें मिटाने के मानक तैयार करने तथा उन मानकों के मूल्यांकन के लिए प्रत्येक विभाग द्वारा प्रभागीय स्तर की समितियाँ गठित की गईं. इस संबंध में आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं और हर छमाही में यह रिपोर्ट निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है.

38. कार्य-स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण :

38.1 कार्य-स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में उक्त अधिनियम की आवश्यकताओं के क्रम में कंपनी ने "यौन उत्पीड़न विरोधी नीति" लागू की है. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान किसी प्रकार की कोई यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई.

39. भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणी :

39.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अधीन कंपनी के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (सी ए जी) की 31 मार्च, 2015 को समाप्त लेखाओं पर टिप्पणी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है.

आभार प्रदर्शन

सभी सरकारी एजेंसी विशेषकर रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, डी आर डी ओ प्रयोगशालाएँ, केंद्रीय सरकार के विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, भारत सरकार की गुणता आश्वासन एजेंसियाँ तथा सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा समय-समय पर प्राप्त सहयोग के लिए निदेशकगण आभार व्यक्त करता है.

निदेशक, अपनी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कंपनी को प्रगति पथ पर ले जाने तथा इस विकास को आने वाले वर्षों में बनाये रखने के लिए वर्ष के दौरान किये गये प्रयासों की प्रशंसा अपने अभिलेखों में अभिलिखित करते हैं.

निदेशक मंडल, श्रीमती कुसुम सिंह, संयुक्त निदेशक को अपने सेवा-काल के दौरान दी गई अमूल्य सलाह के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है. दि. 15 फरवरी, 2015 को सेवा-काल पूरा करने वाले अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री ए के कपूर के अपने सेवाकाल के दौरान कंपनी के विकास के लिए दिये सहयोग तथा सुझावों को निदेशक मंडल कंपनी के अभिलेखों में अभिलिखित करता है.

निदेशक मंडल की ओर से तथा निदेशक मंडल के लिए,

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 27 जुलाई, 2015

वी उदय भास्कर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक-I

प्रपत्र संख्या एम जी टी - 9

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरण का सार
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली के नियम 12 (1) के क्रम में)

I. पंजीकरण व अन्य विवरण

i) सी आई एन : U24292TG1970GOI001353

ii) पंजीकरण तिथि : 16 जुलाई, 1970

iii) कंपनी का नाम : भारत डायनामिक्स लिमिटेड

iv) कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी : मिनी रत्न श्रेणी-1

v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण : कंचनबाग, हैदराबाद

vi) क्या सूचित कंपनी है? : हाँ / नहीं

vii) रजिस्टार और स्थानांतरण एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि हो तो : लागू नहीं.

II. कंपनी की प्रमुख संव्यवहार गतिविधियाँ :

कंपनी के कुल कारोबार का 10% या उससे अधिक योगदान देने वाली संव्यवहार गतिवधियों का उल्लेख करें -

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद / सेवाओं का नाम व विवरण	उत्पाद / सेवा का एन आई सी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1.	एम सी ए अधिसूचना के तहत शून्य संख्यक दि. 5 जून, 2015 सूचना के प्रकटन से छूट प्राप्त.		

III. स्वामित्व, अधीनस्थ व सहयोगी कंपनियों का विवरण :

क्र.सं.	कंपनी का नाम व पता	सी आई एन /जी एल एन	स्वामित्व/ अधीनस्थ/ सहयोगी	शेर का %	लागू धारा
- शून्य -					

IV. शेयर धारण की पद्धति (कुल ईक्विटी के प्रतिशत के रूप में ईक्विटी शेयर का पूँजीगत ब्रेकअप,)

i) श्रेणीवार शेयर धारण

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित कुल शेयर				वर्ष के अंत तक कुल शेयर की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डी मैट	भौतिकतः	कुल	कुल शेयर का %	डी मैट	भौतिकतः	कुल	कुल शेयर का %	
ए. प्रचारक									
1) भारतीय									
ए) वैयक्तिक/ एच यू एफ	-	-	-	-	-	-	-	-	
बी) केंद्र सरकार				100% शेयर भारत सरकार के पास				100% शेयर भारत सरकार के पास	-शून्य-
सी) निगम संस्थाएँ	-	-	-		-	-	-		
डी) निगम संस्थाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	
ई) बैंक / वित्तीय संस्थाए	-	-	-	-	-	-	-	-	
एफ) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	
उप-कुल (ए) (1) :				100% शेयर भारत सरकार के पास				100% शेयर भारत सरकार के पास	
2) विदेश									
ए) विदेशी - वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) अन्य - वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सी) निगम संस्थाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) बैंक / वित्तीय संस्थाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ए) (2) :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रचारक के कुल शेयर (ए) = (ए) (1) + (ए) (2)				100% शेयर भारत सरकार के पास				100% शेयर भारत सरकार के पास	-शून्य-

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित कुल शेयर की संख्या				वर्ष के अंत तक कुल शेयर की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डी मैट	भौतिकतः	कुल	कुल शेयर का %	डी मैट	भौतिकतः	कुल	कुल शेयर का %	
ए. सार्वजनिक शेयर धारण									
1. संस्थान									
ए) म्यूचुअल फण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) बैंक / वित्तीय संस्थाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सी) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) वेंचर पूँजी निधियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एफ) इंश्योरेंस कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जी) एफ आई आई एस	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एच) विदेश वेंचर पूँजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आई) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल (बी) - (1) :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थाएँ									
ए) निगम संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) ओवरसीज़	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) वैयक्तिक i) ₹ 1 लाख तक की सामान्य शेयर पूँजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) ₹ 1 लाख से अधिक की सामान्य शेयर पूँजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-

सी) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल (बी) (2) :									
कुल सार्वजनिक शेयरधारण (बी) = (बी) (1) + (बी) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सी. जी डी आर तथा ए डी आर के लिए अभिरक्षक द्वारा लिये गये शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (ए+बी+सी)				100% शेयर भारत सरकार के पास				100% शेयर भारत सरकार के पास	

(ii) प्रचारकों के शेयर

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में धारित कुल शेयर			वर्ष के अंत तक कुल शेयर धारण की संख्या			
		शेयर की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयर में से बंधित / भारित शेयर का %	शेयर की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयर में से बंधित / भारित शेयर का %	
कुल	100% शेयर भारत सरकार के पास	-	-	-	-	-	-	-

(iii) प्रचारकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन न हो तो उल्लेख करें)

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में कुल शेयर धारण		वर्ष के दौरान संचित शेयर धारण	
		कुल शेयर	कंपनी के कुल शेयर का %	कुल शेयर	कंपनी के कुल शेयर का %
	वर्ष के आरंभ में				
	वृद्धि / अपवृद्धि का कारण स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रचारक की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि / अपवृद्धि (उदा. आबंटन / अंतरण / बोनस/स्वेट ईक्विटी आदि) :	- लागू नहीं -			
	वर्ष की समाप्ति पर	- लागू नहीं -			

(iv) उच्चतम शेयरधारकों की शेयरधारण पद्धति (निदेशक, प्रचारक तथा जी डी आर तथा ए डी आर धारकों के अतिरिक्त)

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में मौजूद कुल शेयर धारण		वर्ष के दौरान संचित शेयर धारण	
	प्रत्येक 10 शेयरधारकों के लिए	कुल शेयर	कंपनी के कुल शेयर का %	कुल शेयर	कंपनी के कुल शेयर का %
	वर्ष के आरंभ में				
	वृद्धि / अपवृद्धि का कारण स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रचारकों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि / अपवृद्धि (उदा. आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट ईक्विटी आदि) :	- लागू नहीं -			
	वर्ष की समाप्ति पर (या वर्ष के दौरान अलग हो जाने की स्थिति में अधिवर्षिता की तारीख पर)	- लागू नहीं -			

(v) निदेशक और प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों का शेयरधारण

क्र.सं.		वर्ष के आरंभ में कुल शेयर धारण		वर्ष के दौरान संचित शेयर धारण	
	प्रत्येक 10 शेयरधारकों के लिए	कुल शेयर	कंपनी के कुल शेयर का %	कुल शेयर	कंपनी के कुल शेयर का %
	वर्ष के आरंभ में				
	वृद्धि / अपवृद्धि का कारण स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रचारकों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि / अपवृद्धि (उदा. आबंटन / अंतरण / बोनस/स्वेट ईक्विटी आदि) :	- लागू नहीं -			
	वर्ष की समाप्ति पर	- लागू नहीं -			

(vi) ऋणग्रस्तता :

बकाया ऋण / भुगतान के लिए बकाया नहीं ऐसा प्रोद्भूत ब्याज मिलाकर कंपनी की ऋणग्रस्तता

	निक्षेप के अतिरिक्त लिए गए सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता i) मूल राशि ii) ब्याज शेष लेकिन भुगतान नहीं किया गया iii) ब्याज प्रोद्भूत लेकिन बकाया नहीं	- लागू नहीं -			
कुल (i + ii + iii)	- लागू नहीं -			
वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • जोड़ • कमी				
निवल परिवर्तन	- लागू नहीं -			
वर्ष की समाप्ति पर ऋणग्रस्तता iv) मूल राशि v) ब्याज शेष लेकिन भुगतान नहीं किया गया vi) ब्याज प्रोद्भूत लेकिन बकाया नहीं				
कुल (i + ii + iii)	- लागू नहीं -			

(vii) निदेशक तथा मुख्य प्रबंधन व्यक्तियों का पारिश्रमिक :

ए. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और / या प्रबंधक का पारिश्रमिक :

(₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण			प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेश/प्रबंधक का नाम			कुल राशि
		एस एन मंथा	एस वी सुब्बा राव	वी उदय भास्कर	एवीएम एन वी सिंह	एस पिरमनायगम	
1.	सकल वेतन (ए) आयकर अधिनियम, 1961 के 17 (1) में उल्लिखित प्रावधानानुसार वेतन	28,67,152	23,12,751	33,39,139	35,91,408	7,45,608	1,28,56,058
	(बी) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान 17 (2) अनुसार अनुलाभ	7,91,608	7,06,129	9,56,907	5,36,965	95,986	30,87,595
	(सी) आयकर धारा 17 (3) के समानांतर लाभ	-	-	-	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-	-
3.	स्वेट ईक्विटी	-	-	-	-	-	-
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-	-
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-	-
	कुल (ए)	36,58,760	30,18,880	42,96,046	41,28,373	8,41,594	1,59,43,653

टिप्पणी : (1) श्री वी उदय भास्कर को दि. 29.01.2015 तक निदेशक (उत्पादन) के रूप में और दि. 30.01.2015 से दि. 31.03.2015 तक सी एम डी के रूप में वेतन और अनुलाभ प्राप्त हुए हैं.

(2) श्री एस पिरमनायगम, निदेशक (वित्त) को दि. 01.01.2015 से 31.03.2015 तक वेतन और अनुलाभ मिले हैं.

बी. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

(₹ में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम	कुल राशि
		श्री ए के कपूर	
1.	स्वतंत्र निदेशक • निदेशक मंडल समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	3,80,000 - -	3,80,000 - -
	कुल (1)	3,80,000	3,80,000
2.	अन्य गैर-अधिशासी निदेशक • निदेशक मंडल समिति बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	- - -	- - -
	कुल (2)	-	-
	कुल (बी) = (1+2)	3,80,000	3,80,000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		
	अधिनियम के अनुसार कुल सीमांत		

सी. प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधन व्यक्तियों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधन व्यक्ति	
		एम लक्ष्मीनारायण कंपनी सचिव	कुल
1.	सकल वेतन (ए) आयकर अधिनियम, 1961 के 17 (1) में उल्लिखित प्रावधानानुसार वेतन	15,69,059	15,69,059
	(बी) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान 17 (2) अनुसार अनुलाभ	2,46,948	2,46,948
	(सी) आयकर धारा 17 (3) के समानांतर लाभ	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-
3.	स्वेट ईक्विटी	-	-
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-
	कुल	18,16,007	18,16,007

(viii) अपराध पर जुर्माना / दंड / निपटान

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माना / दंड / निपटान शुल्क के विवरण	प्राधिकरण (आर डी / एन सी एल टी / अदालत)	यदि कोई अपील की गई हो (विवरण दें)
ए. कंपनी					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-
बी. निदेशक					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-
सी. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	-	-

अनुलग्नक-II

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट

1. उद्योग संरचना एवं विकास :

1.1 मिनी रत्न श्रेणी-1 वर्ग की कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना सन् 1970 में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन हुई थी. यह कंपनी टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण की एक अग्रणी कंपनी है. आज कंपनी नवीनतम पीढ़ी के ए टी जी एम, सतह से हवा में मार करने वाली अस्त्र प्रणाली, सामरिक अस्त्र, प्रमोचक, अंतर्जलास्त्र, डिकॉय एवं परीक्षण उपकरण के विनिर्माण के एक संगठित उद्यम के रूप में उभरी है तथा कंपनी कई अत्याधुनिक किस्म के अस्त्र भी बनाने जा रही है.

1.2 कंपनी के सभी उत्पाद एकल प्रयुक्त होते हैं. अत: उच्च स्तरीय विश्वसनीयता की माँग करते हैं. इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कंपनी की गुणता नीति बनायी गयी है. प्रौद्योगिक उत्कृष्टता की चाह संगठन का मार्गदर्शी सिद्धांत रहा है जो 'शांति का आधार अस्त्र-बल' के रूप में जाना जाता है. कंपानी, सहभागिकर्ताओं तथा डी आर डी ओ से प्रौद्योगिकी अंतरण द्वारा रक्षा उपकरणों के विनिर्माण के साथ-साथ, आंतरिक अनुसंधान एवं विकास द्वारा नये उत्पाद भी विकसित कर रही है.

1.3 अस्त्र प्रणाली प्रौद्योगिकी में विश्वस्तरीय कंपनियों एवं डी आर डी ओ के साथ प्रौद्योगिकी सहभागिता ने कंपनी को सशस्त्र सेनाओं के लिए प्रभावी एवं प्रतिस्पर्धात्मक समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाया है. कंपनी दूसरी एवं तीसरी पीढ़ी के टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण के लिए एक प्रमुख उत्पादन अभिकरण है. कंपनी ग्राहकों के लिए आवश्यक सभी वर्ग के सतह से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों के उत्पादन के लिए भी मुख्य उत्पादन अभिकरण है. कंपनी ने सशस्त्र सेनाओं के द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले पुराने प्रक्षेपास्त्रों के पुनर्सज्जीकरण का कार्य भी लिया है.

1.4 दि. 31 मार्च, 2015 तक कंपनी के पास रु. 16357 करोड़ के कार्य-आदेश हैं. अपेक्षित कार्य-आदेश को ध्यान में रखते हुए कंपनी बहुगुणित विकास के लिए तत्पर है. मार्च 2016 तक वर्तमान माँगपत्र के तहत कांकूर्स-एम की आपूर्ति पूरा कर दिये जाने की उम्मीद है और साथ ही, बड़ी मात्रा में कांकूर्स-एम के माँग-पत्र प्राप्त किये जाने की भी उम्मीद है. कंपनी, सैम तथा ए टी जी एम की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए वर्तमान क्षमताओं मे वृद्धि करने तथा कई जगहों पर नई विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित करने की योजना भी बना रही है. सिविल संरचना का निर्माण किया जा रहा है तथा संयंत्र व मशीनरी का आधुनिकीकरण / उन्नयन कार्य जारी है.

1.5 चार दशक से भी अधिक समय से मिसाइल बनाने व मिसाइल एकीकरण के अनुभव ने बी डी एल को मिसाइल के पुनर्सज्जीकरण कार्य के लिए नोडल एजेंसी बना दिया है.

1.6 आवश्यक भूमि खरीद और आवश्यक संरचना के साथ नई उत्पादन व्यवस्था बनाने के लिए तैयार.

1.7 डी आर डी ओ तथा अन्य प्रयोगशालाओं के साथ अभिगम की सुगमता.

1.8 आधुनिक विनिर्माण तथा परीक्षण सुविधाओं से युक्त.

2. भविष्य-दृष्टि :

2.1 भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा आरंभ किये गये आधुनिकता कार्यक्रम के चलते कंपनी की भविष्य-दृष्टि उज्ज्वल दिखाई देती है. मिलान-2टी एवं कांकूर्स-एम ए टी जी एम जैसी वर्तमान परियोजनाओं के नये माँग पत्र प्रयोक्ता द्वारा विचाराधीन हैं और इससे वर्तमान क्षमताओं के भरपूर प्रयोग में सहायता मिलेगी. विश्रॉड, स्पाईक मिसाइल, एम टी ओ टी परियोजना जैसी नई परियोजनाएँ प्रयोक्ता द्वारा विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं.

3. जोख़िम एवं चिंताएँ :

i) अभिकल्पक द्वारा विकसित एकल स्रोत विक्रेता पर निर्भरता.

ii) कुछ परियोजनाओं के संदर्भ में लगातार ओ ई एम पर निर्भरता जारी रहना.

iii) संविदाओं के निष्कर्ष तक पहुँच कर आदेश प्राप्त करने में लगने वाली दीर्घावधि.

iv) सशस्त्र सेनाओं द्वारा अस्त्र-अधिग्रहण में लिया जाने वाला अधिक समय कंपनी के लागत नियंत्रण उपायों के लिए चुनौती खड़ी कर रहा है.

4. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उसकी पर्याप्तता :

4.1 कंपनी ने सभी प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों तथा प्रणालियों के वित्तीय औचित्य के सभी मानदंडों को बेहतर बनाने की व्यवस्था की है. इनकी पर्याप्तता सुनिश्चित करने तथा इस पर रिपोर्ट देने के लिए बाह्य लेखा परीक्षक फर्म को नियुक्त किया गया है. बी डी एल के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग तथा आंतरिक लेखा फर्म की रिपोर्टों का विस्तृत विश्लेषण लेखापरीक्षा समिति के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं.

5. परिचालनीय कार्यनिष्पादन से संबंधित वित्तीय कार्य-निष्पादन पर चर्चा :

5.1 वित्तीय मामलों में कंपनी के कार्य-निष्पादन का सार इस प्रकार है -

विवरण	करोड़ रुपये में		% वृद्धि / (अपवृद्धि)
	2013-14	2014-15	
बिक्री मूल्य	1779.89	2799.68	57.29%
उत्पादन मूल्य	1804.49	2770.05	53.51%
मूल्य वर्धन	578.48	914.95	58.16%
प्रति कर्मचारी मूल्यवर्धन (₹ लाख)	17.71	28.74	62.28%
कराधान पूर्व लाभ	508.59	614.19	20.76%
कराधान बाद लाभ	345.51	418.57	21.15%

5.2 निम्नलिखित विवरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित है -

विवरण	करोड़ रुपये में		% वृद्धि / (अपवृद्धि)
	2013-14	2014-15	
सकल निरुद्ध	834.56	940.04	12.64%
मूल्यह्रास प्रारक्षण	474.95	546.18	15.00%
निवल निरुद्ध	359.61	393.86	9.52%
कार्यगत पूँजी	812.68*	908.28	11.76%
नियोजित पूँजी	1172.29*	1302.14	11.08%
निवल मालियत	1217.75	1533.37	25.92

* वर्ष 2013-14 की चालू परिसंपत्तियाँ तथा चालू देयताओं के पुनर्समूहन के कारण समायोजित.

6.1 मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध, नियोजित कर्मचारियों सहित सामग्री का विकास :

6.1.1 दि. 31 मार्च, 2015 तक बी डी एल की मानव-शक्ति निम्नवत है -

	कार्यपालकेतर	कार्यपालक	कुल
पुरुष	2061	780	2841
स्त्री	242	100	342
कुल	**2303**	**880**	**3183**
पिछले वर्ष	2420	846	3266

टिप्पणी : पिछले एवं रिपोर्टाधीन वर्ष के कार्यपालकेतरों की संख्या में 184 (2013-14) एवं 03 (2014-15) अस्थायी वर्ग के कर्मचारी शामिल हैं.

6.1.2 मानव संसाधन विकास ने बी डी एल में पेशेवर परियोजना प्रबंधन (पी एम पी) के विशिष्ट समुदाय को स्थापित करने की एक उत्कृष्ट परियोजना बनायी है. इस ओर कदम बढ़ाते हुए बी ई क्यू आई, बेंगलूर के सहयोग से पी एम आई, यू एस ए द्वारा तीस कार्यपालकों को प्रशिक्षित कर प्रमाणित करने की योजना बनाई गई है. इस तरह प्रशिक्षित तीस पी एम पी प्रमाणित पेशेवर आंतरिक तौर पर क्रमवार ढंग से परियोजना प्रबंधन पर कार्यपालकों को प्रशिक्षित करेंगे.

6.2 औद्योगिक संबंध :

6.2.1 वर्ष के दौरान समता एवं मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाये रखने में सभी वर्ग के कर्मचारी यथा - मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के संघ तथा अधिकारी संघ का लगातार सहयोग व समर्थन मिलता रहा है. कार्य समिति, संरक्षा समिति, कल्याण समिति जैसी सांविधिक व गैर-सांविधिक समितियाँ सभी स्तरों पर कार्य-स्थल अनुशासन बनाए रखने में सहयोग दे रही हैं.

7. पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरण ऊर्जा विकास :

7.1 उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग द्वारा विकास प्रक्रिया को पर्यावरण हितैषी पद्धति से आगे बढ़ाने के लिए सतत विकास, राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया है. बी डी एल द्वारा अपनायी जा रही सतत् विकास कार्यान्वयन की कठोर पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा क्षमता के विकास द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आरंभ किये गये हैं.

7.2 सौर ऊर्जा, महत्वपूर्ण नवीकरण ऊर्जा स्रोतों में से एक है जो पिछले कुछ दिनों से ध्यानाकर्षित कर रही है. सौर ऊर्जा शुद्ध एवं उत्सर्जनमुक्त होती है. प्रकृति के लिए हानिकारक प्रदूषक या उपजात पैदा नहीं करने के कारण यह पर्यावरणहितैषी भी है. इसे ध्यान में रखते हुए कपनी ने कंचनबाग कांप्लेक्स में वर्ष 2014-15 से 2015-16 की अवधि के दौरान 200 के वी ग्रिड टाईड सोलार पीवी पॉवर प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव रखा है.

7.3 ए सी प्रणालियों के शीतलीकरण तथा वाटर सर्क्यूट के निर्माण के लिए स्थापित जल शुद्धीकरण प्रणाली की स्थापना से ए सी संयंत्र की क्षमता में वृद्धि हुई है.

7.4 पर्यावरण परिरक्षण हमारे राष्ट्र द्वारा शताब्दी विकास लक्ष्य है. राष्ट्र के इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बी डी एल लगातार वृक्षारोपण तथा वर्षा जल संचयन गर्त विकासात्मक कदम निरंतर उठा रहा है ताक भू-जल के स्तर में बढ़ोत्तरी हो सके. सोलार स्ट्रीट लाइट जैसी ऊर्जा प्रणालियों को अपना कर कार्बन-उत्सर्जन कम करने का प्रास किया गया है. सातत्यता विकास कार्यक्रम एक निरंतर प्रक्रिया है और पर्यावरण सातत्यता प्राप्त करने के लिए बी डी एल इसे अपने दैनंदिन का अंग बनाने में लगा है.

8. विदेशी मुद्रा संरक्षण :

8.1 कंपनी, अंतिम उत्पादों के संयोजन में देशीय घटकों को बढ़ावा देते हुए, ओ ई एम से घटक एवं उप-प्रणालियों का आयात घटाते हुए विदेशी मुद्रा संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है.

9. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सातत्यता विकास :

9.1 नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनी का एक जुड़ा हुआ हिस्सा माना जाता है. एक अच्छे नैगमिक संगठन होने के नाते बी डी एल सामाजिक एवं कल्याण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी पारदर्शिता एवं निष्ठा के साथ महती भूमिका निभा रहा है.

9.2 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने स्वास्थ्य संरक्षण, मध्याह्न भोजन, सुरक्षित पेयजल एवं बायो टॉयलेट, ई-एस ए जी यू, स्वच्छ भारत कोष, शुद्ध गंगा निधि के तहत शौचालयों का निर्माण जैसी कई गतिविधियों के लिए रु. 416.65 लाख की राशि खर्च की है. प्रधानमंत्री कार्यक्रम के तहत कंपनी ने स्वच्छ भारत कोष एवं शुद्ध गंगा निधि के तहत अपनी सी एस आर गतिविधियों के लिए भी अंशदान दिया है.

9.3 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने सातत्यता विकास के तहत सोलार लाइटिंग, ऊर्जा ऑडिट सिफारिशों के आधार पर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए व्यय किया है.

9.4 कंपनी ने तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में गाँव अपनाने के लिए कुछ गाँवों की पहचान की है. इसी तरह स्वच्छ भारत कोष के तहत तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के सरकारी स्कूलों में 175 शौचालयों के निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया है.

9.5 कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार कंपनी द्वारा अपने तुरंत पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त औसतन निवल लाभ में से हर वित्तीय वर्ष में 2% की राशि सी एस आर गतिविधियों पर खर्च किया जाना चाहिए. अधिशासी निदेशक (का. एवं प्रशा.) की अध्यक्षता में बोर्ड से निचले स्तर की समिति कंपनी द्वारा की जा रही गतिविधियों का अनुवीक्षण करती है तथा आवधिक अंतराल पर बैठकें बुलायी जाती हैं. तथापि, निर्धारित ₹ 8.51 करोड़ की राशि में से कंपनी द्वारा ₹ 4.17 करोड़ की राशि खर्च की गई है. स्वच्छ भारत के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण, गाँवों को अपनाना आदि कार्य वित्तीय वर्ष के द्वितीयार्थ में होने के कारण यह राशि रिपोर्टाधीन वर्ष में पूरी तरह खर्च नहीं की जा सकी. साथ ही, आर ओ ट्रीटमेंट संयंत्र तथा 100 के डब्ल्यू ग्रिड टाइड सोलार पी वी पॉवर प्लांट का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है. यद्यपि, इन गतिविधियों का संस्थापन तथा परीक्षण पूरा होना है जो वर्ष 2015-16 के दौरान पूरा हो जाएगा. करोड़ की राशि खर्च की गई है. स्वच्छ भारत के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण, गाँवों को अपनाना आदि कार्य वित्तीय वर्ष के द्वितीयार्थ में होने के कारण यह राशि रिपोर्टाधीन वर्ष में पूरी तरह खर्च नहीं की जा सकी. साथ ही, आर ओ ट्रीटमेंट संयंत्र तथा 100 के डब्ल्यू ग्रिड टाइड सोलार पी वी पॉवर प्लांट का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है. यद्यपि, इन गतिविधियों का संस्थापन तथा परीक्षण पूरा होना है जो वर्ष 2015-16 के दौरान पूरा हो जाएगा.

अनुलग्नक - III

नैगमिक अभिशासन पर रिपोर्ट

1. नैगमिक अभिशासन संबंधी कंपनी की विचारधारा :

1.1 कंपनी के सभी कार्यों में पारदर्शिता, उचित बातों का प्रकटीकरण, कानून का अनुपालन, नैतिक मूल्यों के पालन सहित सभी स्वामित्वधारकों के हितों का ध्यान रखना कंपनी की नैगमिक अभिशासन संबंधी विचारधारा है.

1.2 कंपनी अपने व्यावसायिक उपागम के साथ नैगमिक अभिशासन वचनों का लिखित एवं व्यावहारिक रूप में यथावत पालन कर रही है.

1.3 कंपनी की गतिविधियों का सांविधिक लेखापरीक्षक, भारत के निरीक्षक एवं महालेखापरीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग, रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) आदि कई बाह्य एजेंसियों द्वारा अनुवीक्षण किया जाता है.

2. निदेशक मंडल :

2.1 निदेशकों का गठन एवं उनकी श्रेणी -

2.1.1 समय-समय पर संशोधित संस्था के अंतर्नियम के प्रावधान अनुसार बी डी एल के निदेशक-मंडल में न्यूनतम 2 एवं अधिकतम 15 निदेशक होंगे. निदेशकों के क्वालिफिकेशन शेयर रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी.

2.1.2 भारत सरकार द्वारा कंपनी के निदेशक-मंडल का पुनर्गठन किया गया था जिसमें नौ सदस्य हैं यथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित चार पूर्णकालिक निदेशक, दो अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं तीन अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक. इनके अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय के निदेशानुसार चार स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य यथा - वायुसेना के उपाध्यक्ष, नौसेना के उपाध्यक्ष, थल सेना के उपाध्यक्ष एवं डी आर डी ओ के मनोनीत सदस्य शामिल हैं.

2.1.3 दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष से संबंधित बोर्ड के सदस्यों का विवरण निम्नवत है -

(अ) कार्यकारी / पूर्णकालिक निदेशक

(i) **श्री वी उदय भास्कर**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(ii) **एवीएम एन बी सिंह,** अविसेमे, विसेमे
निदेशक (तकनीकी)

(iii) **एस पिरमनायगम**
निदेशक (वित्त)

(आ) **अंशकालिक सरकारी निदेशक**

(i) **श्री जे रामकृष्ण राव,** आई ए एस
संयुक्त सचिव (ई एस)
रक्षा उत्पादन विभाग
रक्षा मंत्रालय

(ii) **श्री आर जी विश्वनाथन,** आई ए अण्ड ए एस
अपर वित्त सलाहकार एवं संयुक्त सचिव (डी आर डी ओ)
रक्षा उत्पादन विभाग
रक्षा मंत्रालय

(इ) **अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक**

-शून्य-

2.1.4 दि. 31 मार्च, 2015 तक निदेशक मंडल की बैठक के वर्तमान स्थायी विशेष आमंत्रितों का विवरण इस प्रकार है -

(i) **वायस एडमिरल सुनील लांबा,** अविसेमे
नौसेना उपाध्यक्ष

(iii) **ले. जनरल सी ए कृष्णन,** उयुसेमे, अविसेमे
थल सेना के उप प्रमुख (पी अण्ड एस)

(iii) **एअर मार्शल आर के शर्मा,** पविसेमे, अविसेमे, विमे, विसेमे, एडीसी
वायु सेना उपाध्यक्ष

(iv) **डॉ. के जयरामन**
निदेशक, डी आर डी एल

2.2 निदेशक मंडल की बैठकें एवं उनमें उपस्थिति; निदेशक की सदस्यता या अध्यक्षता में गठित अन्य बोर्ड या बोर्ड समितियों की संख्या जिनमें निदेशक मंडल सदस्य अथवा अध्यक्ष हों.

2.2.1 वर्ष 2014-15 के दौरान दि. 17 अप्रैल, 2014; दि. 13 जून, 2014; दि. 24 जुलाई, 2014; दि. 25 सितंबर, 2014; दि. 29 नवंबर, 2014; दि. 06 फरवरी, 2015 और दि. 27 मार्च, 2015 को निदेशक-मंडल की कुल सात बैठकें संपन्न हुईं. निदेशक मंडल की बैठक हर तीन महीने में कम से कम एक बार और वर्ष के दौरान ऐसी चार बैठकें होनी आवश्यक है. निदेशक मंडल की सूचना एवं निर्णय के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जाती है.

2.2.2 वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों, वार्षिक आम-सभा में निदेशकों की उपस्थिति तथा उनकी अन्य निदेशक सदस्यता / समिति सदस्यता के विवरण इस प्रकार हैं -

निदेशक	निदेशक मंडल की बैठकें		30 सितंबर, 2014 को संपन्न विगत ए जी एम में उपस्थिति	अन्य निदेशक सदस्यता में संपन्न बैठकें	सभी कंपनियों को मिलाकर समितियों में सदस्यता	
	निदेशकों के कार्यकाल में संपन्न निदेशक-मंडल की बैठकें	कुल बैठकों में प्रतिभाग			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
कार्यकारी निदेशक						
श्री एस एन मंथा सी एम डी (दि. 31 दिसंबर, 2014 तक)	5	5	हाँ	-	2	2
श्री वी उदय भास्कर सी एम डी 30 जनवरी, 2015 से	2	2	-	-	2	-
निदेशक (उत्पादन)	5	5	हाँ	-	4	-
श्री एस वी सुब्बा राव निदेशक (वित्त) (दि. 31 दिसंबर, 2014 तक)	5	5	हाँ	-	-	3
एवीएम एन बी सिंह अविसेमे, विसेमे (नि.) निदेशक (तकनीकी)	7	7	हाँ	-	-	4

निदेशक	निदेशक मंडल की बैठकें		30 सितंबर, 2014 को संपन्न विगत ए जी एम में उपस्थिति	अन्य निदेशक सदस्यता में संपन्न बैठकें	सभी कंपनियों को मिलाकर समितियों में सदस्यता	
	निदेशकों के कार्यकाल में संपन्न निदेशक-मंडल की बैठकें	कुल बैठकों में प्रतिभाग			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
श्री एस पिरमनायगम निदेशक (वित्त) (दि. 01 जनवरी, 2015 से)	2	2	-	-	-	4
अंशकालिक सरकारी निदेशक						
श्री पी के मिश्र संयुक्त सचिव (दि. 31 जुलाई, 2014 तक)	3	3	-	-	-	1
श्रीमती कुसुम सिंह संयुक्त सचिव (दि. 18 नवंबर, 2014 तक)	1	1	-	-	-	-
श्री जे रामकृष्ण राव संयुक्त सचिव (ई एस) (दि. 19 नवंबर, 2014 से)	3	3	-	1	2	1
श्री आर जी विश्वनाथन अपर वित्त सलाहकार एवं संयुक्त सचिव (डी आर डी ओ)	7	5	-	1	-	2
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक						
श्री ए के कपूर (दि. 15 फरवरी, 2015 तक)	6	6	हाँ	-	3	1

2.2.3 अपरिहार्य कारणों से बैठक में भाग नहीं लेने की स्थिति में निदेशकों को अनुपस्थिति अवकाश दिया गया.

2.2.4 इस संदर्भ में डी पी ई दिशा-निर्देशानुसार कोई भी निदेशक अपने कार्यरत सभी कंपनियों में दस से अधिक समितियों का सदस्य या किन्हीं पाँच से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है.

2.3 नये निदेशकों की नियुक्ति :

2.3.1 संस्था के अंतर्नियमों के तहत सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. वर्ष 2014-15 के दौरान श्री पी के मिश्र, संयुक्त सचिव के स्थान पर श्रीमती कुसुम सिंह, संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय को सरकारी निदेशक के रूप में; श्री जे रामकृष्ण राव, संयुक्त सचिव (ई एस), रक्षा उत्पादन विभाग को सरकारी निदेशक के रूप में श्रीमती कुसुम सिंह, संयुक्त सचिव के स्थान पर; श्री एस पिरमनायगम को निदेशक (वित्त) के रूप में और श्री वी उदय भास्कर को बी डी एल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति के संबंध में चार राष्ट्रपति आदेश प्राप्त किए गए.

2.3.2 कुसुम सिंह :

श्रीमती कुसुम सिंह दि. 29 अगस्त, 2014 से बी डी एल के निदेशक-मंडल में सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक के रूप में नियुक्त की गई. इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इकनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त हैं. ये 1984 बैच की आई आर पी एस अधिकारी हैं. श्रीमती कुसुम सिंह ने रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव (कार्मिक एवं समन्वयन) / (ईएस) के पदभार से पहले रेल मंत्रालय में सी आर आई एस (रेल सूचना प्रणाली केंद्र) के विभिन्न पदों पर काम किया है.

2.3.3 जे रामकृष्ण राव :

श्री जे रामकृष्ण राव दि. 19 नवंबर, 2014 से बी डी एल के निदेशक-मंडल में सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये. श्री रामकृष्णराव इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी की इंजीनियरिंग स्नातक उपाधि प्राप्त की है. ये बिहार कैडर के 1985 बैच के आई ए एस अधिकारी हैं. अपनी नियुक्ति के आरंभिक दौर में श्री जे रामकृष्ण राव ने विभिन्न राज्यों में विभन्न मुख्य पदों पर अपनी सेवाएँ दी हैं. इन्होंने अक्तूबर, 2003 से अगस्त, 2004 के दौरान वित्तीय संस्थान के प्रबंध निदेशक के रूप में और अगस्त, 2004 से नवंबर, 2009 के दौरान बी डी एल के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी अपनी सेवाएँ दीं हैं. रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में इस नियुक्ति से पहले श्री जे रामकृष्ण राव, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे.

2.3.4 एस पिरमनायगम :

श्री एस पिरमनायगम ने दि. 01 जनवरी, 2015 को भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य-भार ग्रहण किया. श्री एस पिरमनायगम विज्ञान में स्नातक एवं भारत के सनदी लेखाकार संस्थान के सहायक सदस्य हैं. बी डी एल में निदेशक (वित्त) का पदभार सँभालने से पूर्व ये बी ई एम एल के रेल एवं मेट्रो संव्यवहार के वित्तीय कार्यों के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत रहे. इससे पूर्व इन्होंने बी डी एल के मध्य प्रबंधकीय कैडर में भी अपनी सेवाएँ दीं. लेखापरीक्षा, लेखा, वित्त और कराधान के क्षेत्र में इनका विस्तृत अनुभव है.

2.3.5 वी उदय भास्कर :

श्री वी उदय भास्कर ने दि. 30 जनवरी, 2015 को बी डी एल के निदेशक मंडल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्य-भार ग्रहण किया. इन्होंने हारकोर्ट बट्लर टेकनोलॉजी इंस्टीट्यूट, कानपुर से प्लास्टिक टेकनोलॉजी एवं केमीकल इंजीनियरिंग में बी.टेक. की उपाधि प्राप्त की. पॉलीमर साइंस एवं टेकनोलॉजी में आई आई टी, दिल्ली से एम.टेक. की उपाधि प्राप्त की. इन्हें इनवार, कांकूर्स-एम का देशीकरण, मिसाइल-संयोजन, एकीकरण तथा परीक्षण, सामग्री प्रबंधन, विक्रेता विकास तथा योजना जैसे मिसाइल उत्पादन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 23 से भी अधिक वर्ष का गहन अनुभव प्राप्त है. श्री वी उदय भास्कर वर्ष 2010-11 के लिए गौरवपूर्ण रक्षामंत्री नवोन्मेष पुरस्कार से सम्मानित हैं. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में इस नियुक्ति से पूर्व श्री उदय भास्कर दि. 01 अगस्त, 2013 से बी डी एल के निदेशक मंडल में निदेशक (उत्पादन) थे.

3. निदेशक-मंडल की समितियाँ :

3.1 बी डी एल में दि. 31 मार्च, 2015 तक निदेशक मंडल की पाँच समितियाँ कार्यरत रहीं -

(i) लेखापरीक्षा समिति

(ii) पारिश्रमिक समिति

(iii) खरीद समिति

(iv) मानव संसाधन समिति

(v) कंपनी में सी एस आर योजना एवं सतत विकास के अनुवीक्षण के लिए समिति

3.2 इन समितियों की बैठकों के तुरंत बाद आयोजित की जाने वाली निदेशक मंडल की बैठकों में इनके कार्यवृत्त निदेशक मंडल की सूचना के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं. बहुमत / सर्वसम्मति के आधार पर समितियों द्वारा निर्णय लिये जाते हैं.

4. लेखापरीक्षा समिति :

4.1 विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

4.1.1 डी पी ई द्वारा दि. 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18 (8)/2005 -जीएम के तहत जारी सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के दिशा-निर्देश अनुसार लेखापरीक्षा समिति की भूमिका, अधिकार, जानकारी की समीक्षा क्षेत्र इत्यादि का संशोधन किया गया. अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय प्रस्तुत हैं -

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय हैं, कंपनी की रिपोर्टिंग प्रक्रिया में चूकवश होने वाली कमियों तथा इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन.

(ii) लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारण के संबंध में निदेशक-मंडल को सिफारिश करना.

(iii) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अन्य प्रकार की प्रदत्त सेवाओं के लिए भुगतान का अनुमोदन.

(iv) निदेशक-मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणिकाओं की समीक्षा करना.

(v) आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्य-निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा करना.

(vi) आंतरिक लेखापरीक्षकों और / अथवा लेखापरीक्षकों से चर्चा कर कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना.

(vii) लेखापरीक्षा से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति एवं परिधि के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों से चर्चा करना अथवा लेखापरीक्षा उपरांत किसी चिंतनीय बात की जानकारी प्राप्त करने चर्चा.

(viii) नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा की गई लेखापरीक्षा पर दिए गए निरीक्षणों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना.

4.1.2 वर्ष 2014-15 से कंपनी के कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों की आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य चार सनदी लेखाकार फर्मों को सौंपा गया है जो कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के अतिरिक्त हैं. इन सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्टें समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं.

4.2 गठन, अध्यक्ष व सदस्यों के नाम

4.2.1 दि. 15 फरवरी, 2015 तक लेखापरीक्षा समिति के निम्नलिखित निदेशक सदस्य रहे -
(संकल्प परिपत्र 04/2014 दि. 19 नवंबर, 2014 के तहत पुनर्गठित)

1.	**श्री ए के कपूर** उत्कृष्ट वैज्ञानिक, डी आर डी ओ अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	-	अध्यक्ष
2.	**श्री जे रामकृष्ण राव,** आई ए एस संयुक्त सचिव (ई एस) रक्षा उत्पादन विभाग सरकारी निदेशक (मनोनीत निदेशक)	-	सदस्य
3.	**श्री वी उदय भास्कर** निदेशक (उत्पादन) (कार्यकारी निदेशक)	-	सदस्य
4.	**कंपनी सचिव**	-	सचिव

4.2.2 दि. 15 फरवरी, 2015 को श्री ए के कपूर के कार्यकाल की समाप्ति और श्री वी उदय भास्कर को बी डी एल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करते हुए रक्षा मंत्रालय के पत्र एच-62011/5/2013-डी (बीडीएल), दि. 30 जनवरी, 2015 के क्रम में दि. 06 फरवरी, 2015 को संपन्न निदेशक मंडल की 221 वीं बैठक में लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया. अत: दि. 31 मार्च, 2015 तक लेखापरीक्षा समिति के निम्नलिखित सदस्य रहे -

1.	**श्री जे रामकृष्ण राव,** आई ए एस संयुक्त सचिव (ई एस) रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय सरकारी निदेशक (मनोनीत निदेशक)	-	अध्यक्ष
2.	**श्री आर जी विश्वनाथन** अपर वित्त सलाहकार एवं संयुक्त सचिव (डी आर डी ओ) सरकारी निदेशक (मनोनीत निदेशक)	-	सदस्य
3.	**एवीएम एन बी सिंह,** अविसेमे, विसेमे (नि.) निदेशक (तकनीकी) (कार्यकारी निदेशक)	-	सदस्य
4.	**कंपनी सचिव**	-	सचिव

4.2.3 लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में कार्यकारी निदेशक स्थायी आमंत्रित के रूप में बुलाये जाते हैं तथा सांविधिक लेखापरीक्षक एवं आंतरिक लेखापरीक्षा करने वाले बाह्य सनदी लेखाकार फर्म के प्रतिनिधि आमंत्रण पर उपस्थित हो सकते हैं. कंपनी सचिव इस लेखापरीक्षा समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं.

4.3 वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकें व इनमें उपस्थिति :

4.3.1 रक्षा मंत्रालय द्वारा दि. 29 अक्तूबर, 2012 को जारी परिपत्र संख्या 8 (94)/2012-डी के अनुसार डी पी एस यू मंडल द्वारा गठित लेखापरीक्षा समिति की बैठकें हर दो महीने में एक बार बुलायी जाएँगी. उपर्युक्त परिपत्र के अनुपालन में वर्ष 2014-15 के दौरान दि. 30 मई, 2014; दि. 24, जुलाई, 2014; दि. 25 सितंबर, 2014; दि. 29 नवंबर, 2014; दि. 24 जनवरी, 2015 और दि. 06 फरवरी, 2015 को कुल छ: बैठकें संपन्न हुईं.

क्र.सं.	निदेशक का नाम सर्वश्री	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल उपस्थित बैठकें
1.	श्री ए के कपूर	6	6
2.	श्री पी के मिश्र	2	1
3.	श्री जे रामकृष्ण राव	3	3
4.	श्री वी उदय भास्कर	5	5

5. पारिश्रमिक समिति :

5.1 निदेशक मंडल ने दि. 26 नवंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2 (70)/08/डीपपीई (डब्ल्यू सी) के तहत डी पी ई द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार दि. 30 जनवरी, 2009 को संपन्न अपनी बैठक में पारिश्रमिक समिति का गठन किया और एक स्वतंत्र निदेशक इसके अध्यक्ष नामित किए गए. कार्यपालक वर्ग के कर्मचारियों में वितरित करने के लिए वार्षिक बोनस / परिवर्ती वेतन पूल और नीति का निर्धारण करना, वार्षिक पी आर पी तथा उचित कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली संस्तुत करना इत्यादि इस समिति के विचारार्थ विषय होंगे.

5.2 नैगमिक अभिशासन के संबंध में डी पी ई द्वारा जारी दिशानिर्देश तथा दि. 29 नवंबर, 2014 को संपन्न निदेशक मंडल की बैठक के अनुसार समय-समय पर पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया जाता है. दि. 15 फरवरी, 2015 तक समिति के निम्नलिखित सदस्य रहे -

1. **श्री ए के कपूर** - अध्यक्ष
   उत्कृष्ट वैज्ञानिक, डी आर डी ओ
   अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
   (स्वतंत्र निदेशक)

2. **श्री जे रामकृष्ण राव,** आई ए एस - सदस्य
   संयुक्त सचिव (ई एस)
   रक्षा उत्पादन विभाग
   सरकारी निदेशक
   (मनोनीत निदेशक)

3. **श्री आर जी विश्वनाथन** - सदस्य
अपर वित्त सलाहकार एवं
संयुक्त सचिव (डी आर डी ओ)
सरकारी निदेशक
(मनोनीत निदेशक)

4. **कंपनी के का. एवं प्रशा. प्रमुख** - सचिव

5.3 दि. 15 फरवरी, 2015 को श्री ए के कपूर के कार्यकाल की समाप्ति के फलस्वरूप दि. 06 फरवरी, 2015 को संपन्न निदेशक मंडल की 221वीं बैठक में पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया. अत: दि. 31 मार्च, 2015 तक पारिश्रमिक समिति के निम्नलिखित सदस्य रहे -

1. **श्री जे रामकृष्ण राव,** आई ए एस - अध्यक्ष
संयुक्त सचिव (ई एस)
रक्षा उत्पादन विभाग
रक्षा मंत्रालय
सरकारी निदेशक
(मनोनीत निदेशक)

2. **श्री आर जी विश्वनाथन** - सदस्य
अपर वित्त सलाहकार एवं
संयुक्त सचिव (डी आर डी ओ)
सरकारी निदेशक
(मनोनीत निदेशक)

3. **श्री एस पिरमनायगम** - सदस्य
निदेशक (वित्त)
(कार्यकारी निदेशक)

4. **कंपनी सचिव** - सचिव

5.4 वर्ष 2014-15 के दौरान दि. 13 जून, 2014 और दि. 25 सितंबर, 2014 को पारिश्रमिक समिति की दो बैठकें संपन्न हुईं. इस बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है -

क्र.सं.	निदेशक का नाम सर्वश्री	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल उपस्थित बैठकें
1.	श्री ए के कपूर	2	2
2.	श्री पी के मिश्र	1	1
3.	श्रीमती कुसुम सिंह (दि. 18 नवंबर, 2014 तक)	1	1
4.	श्री आर जी विश्वनाथन, आई ए अण्ड ए एस	2	2

5.5 पारिश्रमिक नीति / सभी निदेशकों को देय पारिश्रमिक के विवरण :

5.5.1 केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति, इनका कार्यकाल तथा इनको देय पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति संबंधी सरकारी पत्र में उनकी नियुक्ति से संबंधित निबंधन एवं शर्तें, कार्यकाल, मूल वेतन, वेतनमान, महँगाई भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता आदि की विस्तृत जानकारी होती है तथा इसमें यह भी सूचित किया जाता है कि जो अन्य निबंधन एवं शर्तें इस पत्र में नहीं दी गई हैं वहाँ कंपनी से संबद्ध नियमावली लागू होगी.

5.5.2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति आरंभिक तौर पर नियुक्ति तिथि से पाँच वर्ष तक अथवा उनकी अधिवर्षिता तक या इस संबंध में अगले आदेश प्राप्त होने तक इनमें से सबसे पहले आने वाली अवधि तक नियुक्ति की जाती है. आयु, कार्य-निष्पादन तथा अन्य निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए यह नियुक्ति आरंभिक अवधि से अगले पाँच वर्ष के लिए अथवा अधिवर्षिता की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले आए उस तिथि तक सेवाएँ विस्तारित की जा सकती हैं. अंशकालिक सरकारी निदेशक सामान्यतः प्रशासनिक मंत्रालय से होते हैं तथा उनका सेवाकाल कंपनी के निदेशक-मंडल में नियुक्ति से लेकर उस मंत्रालय में बने रहने तक होता है. अंशकालिक गैर-अधिशासी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक) की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जाती है.

5.5.3 वर्ष 2014-15 के दौरान पूर्णकालिक निदेशों के पारिश्रमिक के विवरण इस प्रकार हैं -

(₹ में)

निदेशक का नाम सर्वश्री	बकाया वेतन *(ए)	लाभ *(बी)	भविष्य-निधि, पेंशन तथा ग्रेच्युटी में कंपनी का उपदान	प्रोत्साहन राशि *(सी)	पट्टा आवास	कुल
एस एन मंथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दि. 31 दिसंबर, 2014 तक)	1379265	599442	165510	1052711	343611	3540539
एस बी सुब्बा राव निदेशक (वित्त) (दि. 31 दिसंबर, 2014 तक)	1227453	504099	146346	697949	337500	2913347
वी उदय भास्कर निदेशक (उत्पादन) (दि. 29 जनवरी, 2015 तक) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दि. 30 जनवरी, 2015 से)	1631515	744513	189760	1205033	375000	4145821
एवीएम एन बी सिंह, अविसेमे, विसेमे (नि.) निदेशक (तकनीकी)	2202345	541082	228969	992250	0	3964646
एस पिरमनायगम निदेशक (वित्त) (दि. 01 जनवरी, 2015 से)	449085	98103	46869	214988	0	809045

* (ए) वर्ष 2014-15 के वेतन में मूल वेतन, महँगाई भत्ता, एच आर ए, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन-वृद्धि शामिल हैं.

* (बी) लाभ के अंतर्गत प्रावकाश नकदीकरण एवं अनुलाभ शामिल हैं.

* (सी) पी आर पी प्रावधानों के तहत प्रोत्साहन राशि.

5.5.4 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (गैर अधिशासी निदेशक) को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है तथा उन्हें निदेशक मंडल / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भी किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है.

5.5.5 निदेशक मंडल ने दि. 22 नवंबर, 2013 को संपन्न अपनी बैठक में दि. 22 नवंबर, 2013 से अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक) को कंपनी की निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए देय प्रति बैठक का प्रतिभागिता शुल्क ₹ 20,000/- तक बढ़ाया है और बोर्ड स्तर की समितियों में भाग लेने के लिए देय प्रतिभागिता शुल्क ₹10,000/- ही रखा गया है. वर्ष 2014-15 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किये गये शुल्क का विवरण इस प्रकार है

नाम	निदेशक मंडल की बैठक	बोर्ड स्तर की समिति की बैठक	कुल
श्री ए के कपूर अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	1,20,000	2,60,000	3,80,000

6. खरीद समिति

6.1 सी एम डी के अधिकारों से परे मंडल द्वारा दि. 29 जुलाई, 2011 को नई परियोजनाओं (आर अण्ड डी परियोजनाओं सहित) की मंजूरी एवं समीक्षा के लिए समिति गठित की गई. प्रत्येक संदर्भ में अधिकतम ₹ 25 करोड़ की मंजूरी दी जा सकती है और सी एम डी के अधिकारों से परे किंतु बोर्ड के अधिकार अनुसार खरीदी प्रस्ताव का भी अनुमोदन दिया जा सकता है.

6.2 कंपनी ने शक्तियों के प्रत्यायोजन के संशोधन का अनुमोदन लिए निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया है जो दि. 01 जुलाई, 2014 से परिचालनीय है. खरीद समिति निम्नलिखित सीमाओं के अंदर क्रय आदेश रखने संविदा देने की मंजूरी / समीक्षा का अधिकार रखती है -

आधार	पूँजी की प्रकृति	राजस्व की प्रकृति
एकल निविदा / नामांकन एवं उचित संदर्भ	₹ 30 करोड़ तक	₹ 30 करोड़ तक
एकल निविदा संदर्भों से अलग	₹ 60 करोड़ तक	₹ 60 करोड़ तक
एकल निविदा से अलग (वर्क्स)	₹ 100 करोड़ तक	₹ 100 करोड़ तक

6.3 निदेशक मंडल ने दि. 17 अप्रैल, 2014 को संपन्न अपनी बैठक में खरीद समिति का पुनर्गठन किया. दि. 31 मार्च, 2015 तक खरीद समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं -

1.	**श्री एस एन मंथा** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दि. 31 दिसंबर, 2014 तक)	-	अध्यक्ष
2.	**श्री वी उदय भास्कर** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दि. 01 जनवरी, 2015 से)	-	अध्यक्ष
3.	**श्री एसवी सुब्बा राव** निदेशक (वित्त) (दि. 31 दिसंबर, 2014 तक)	-	सदस्य
4.	**श्री ए के कपूर** अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (दि. 15 फरवरी, 2015 तक)	-	सदस्य
5.	**एवीएम एन बी सिंह,** अविसेमे, विसेमे (नि.) निदेशक (तकनीकी)	-	सदस्य
6.	**श्री एस पिरमनायगम** निदेशक (वित्त) (दि. 01 जनवरी, 2015 से)	-	सदस्य

6.4 कंपनी सचिव इस समिति के सचिव होंगे और निगम वाणिज्य विभाग के प्रधान सहयोग के लिए आमंत्रित किये जाएँगे.

6.5 वर्ष 2014-15 के दौरान दि. 13 जून, 2014; दि. 24 जुलाई, 2014; दि. 11 अगस्त, 2014; दि. 25 सितंबर, 2014; दि. 25 सितंबर, 2014; दि. 28 नवंबर, 2014; दि. 24 जनवरी, 2015 और दि. 14 फरवरी, 2015 को समिति की सात बैठकें संपन्न हुईं. इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है -

क्र.सं.	निदेशक का नाम सर्वश्री	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल उपस्थित बैठकें
1.	**श्री एस एन मंथा** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दि. 31 दिसंबर, 2014 तक)	5	5
2.	**श्री एस वी सुब्बा राव** निदेशक (वित्त) (दि. 31 दिसंबर, 2014 तक)	5	5
3.	**श्री वी उदय भास्कर** निदेशक (उत्पादन) (दि. 29 जनवरी, 2015 तक)	6	6
	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दि. 30 जनवरी, 2015 से)	1	-
4.	**एवीएम एन बी सिंह,** अविसेमे, विसेमे (नि.) निदेशक (तकनीकी)	7	7
5.	**श्री एस पिरमनायगम** निदेशक (वित्त) (दि. 01 जनवरी, 2015 से)	2	2
6.	**श्री ए के कपूर** अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (दि. 15 फरवरी, 2015 तक)	7	7

6.6 अधिवर्षिता प्राप्त कर सेवानिवृत्त होने पर श्री एस एन मंथा, भूतपूर्व सी एम डी एवं श्री एसवी सुब्बा राव, भूतपूर्व निदेशक (वित्त) को कार्यमुक्त किया गया. अत: निदेशक मंडल ने दि. 05 जून, 2015 को संपन्न अपनी 224वीं बैठक में खरीद समिति का पुनर्गठन किया. दि. 05 जून, 2015 तक इस समिति के निम्नलिखित सदस्य रहे -

1. **श्री वी उदय भास्कर** - अध्यक्ष
   अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

2. **श्री आर जी विश्वनाथन** - सदस्य
   अपर वित्त सलाहकार एवं
   संयुक्त सचिव (डी आर डी ओ)
   सरकारी निदेशक

3. कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक - सदस्य

4. कंपनी सचिव - सचिव

निगम वाणिज्य विभाग के प्रधान सहयोग के लिए आमंत्रित किये जाएँगे.

7. मानव संसाधन समिति

7.1 मानव संसाधन से संबंधित सभी प्रस्तावों की समीक्षा तथा अनुमोदन के लिए दि. 29 जुलाई, 2011 को निदेशक मंडल द्वारा यह समिति गठित की गई.

7.2 निदेशक मंडल द्वारा दि. 27 सितंबर, 2013 को इस समिति का पुनर्गठन किया गया. दि. 31 मार्च, 2015 तक समिति की रचना इस प्रकार है -

1. **श्री एस एन मंथा** - अध्यक्ष
   अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
   (दि. 31 दिसंबर, 2014 तक)

2. **श्री एसवी सुब्बा राव** - सदस्य
   निदेशक (वित्त)
   (दि. 31 दिसंबर, 2014 तक)

3. **श्री बी उदय भास्कर** - सदस्य
   निदेशक (उत्पादन)
   (दि. 29 जनवरी, 2015 तक)
   अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
   (दि. 30 जनवरी, 2015 से)

4. **एवीएम एन बी सिंह,** अविसेमे, विसेमे (नि.) - सदस्य
   निदेशक (तकनीकी)

5. **श्री एस पिरमनायगम** - सदस्य
   निदेशक (वित्त)
   (दि. 01 जनवरी, 2015 से)

7.3 अधिवर्षिता प्राप्त कर सेवा-निवृत्त होने पर श्री एस एन मंथा, भूतपूर्व सी एम डी एवं श्री एसवी सुब्बा राव, भूतपूर्व निदेशक (वित्त) को कार्यमुक्त किया गया. अतः निदेशक मंडल ने दि. 05 जून, 2015 को संपन्न अपनी 224वीं बैठक में मानव संसाधन समिति का पुनर्गठन किया. दि. 05 जून, 2015 तक इस समिति के निम्नलिखित सदस्य रहे -

1.	**श्री वी उदय भास्कर** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	-	अध्यक्ष
2.	**श्री आर जी विश्वनाथन** अपर वित्त सलाहकार एवं संयुक्त सचिव (डी आर डी ओ) सरकारी निदेशक	-	सदस्य
4.	**एवीएम एन बी सिंह,** अविसेमे, विसेमे (नि.) निदेशक (तकनीकी)	-	सदस्य
5.	**श्री एस पिरमनायगम** निदेशक (वित्त)	-	सदस्य

7.4 कंपनी सचिव इस समिति के सदस्य सचिव होंगे और का. एवं प्रशा. विभाग के प्रधान सहयोग के लिए आमंत्रित किये जाएँगे.

8. कंपनी की सी एस आर योजना एवं सतत् विकास की देखभाल के लिए समिति :

8.1 सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने दि. 12 अप्रैल, 2013 की कार्यालय ज्ञापन संख्या 15(7)/2012-डीपीई (जीएम)-जीएल के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सातत्यता विकास के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किये. उक्त दिशा-निर्देशानुसार दि. 01 अप्रैल, 2013 से सातत्यता विकास समिति तथा कंपनी की सी एस आर योजनाओं की देखभाल के लिए समिति को मिलाकर 'कंपनी की सी एस आर योजना एवं सतत विकास की देखभाल के लिए समिति' नाम से पुनर्गठित करने की आवश्यकता होती है.

8.2.1 दि. 15 फरवरी, 2015 तक कंपनी की सी एस आर योजना एवं सतत विकास की देखभाल के लिए समिति की रचना इस प्रकार है -

1.	**श्री ए के कपूर** अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	-	अध्यक्ष
2.	**श्री एस वी सुब्बा राव** निदेशक (वित्त) (दि. 31 दिसंबर, 2014 तक)	-	सदस्य
3.	**श्री वी उदय भास्कर** निदेशक (उत्पादन)	-	सदस्य

8.2.2 दि. 15 फरवरी, 2015 को श्री ए के कपूर के कार्यकाल की समाप्ति के फलस्वरूप दि. 06 फरवरी, 2015 को संपन्न निदेशक मंडल की 221वीं बैठक में कंपनी की सी एस आर योजना एवं सतत विकास की देखभाल के लिए समिति का पुनर्गठन किया गया. अत: दि. 31 मार्च, 2015 तक इस समिति की रचना इस प्रकार है -

1. **श्री जे रामकृष्ण राव,** आई ए एस - अध्यक्ष
संयुक्त सचिव (ई एस)
रक्षा उत्पादन विभाग
रक्षा मंत्रालय
सरकारी निदेशक

2. **एवीएम एन बी सिंह,** अविसेमे, विसेमे (नि.) - सदस्य
निदेशक (तकनीकी)

3. **श्री एस पिरमनायगम** - सदस्य
निदेशक (वित्त)

8.2.3 कंपनी द्वारा गठित बोर्ड से निचली समिति के अध्यक्ष, कंपनी की सी एस आर नीति एवं सतत विकास समिति के सदस्य सचिव होंगे.

8.3 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दि. 01 जुलाई, 2014; दि. 25 सितंबर, 2015 और दि. 24 जनवरी, 2015 को समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई. इन बैठकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है -

क्र.सं.	निदेशक का नाम सर्वश्री	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल उपस्थित बैठकें
1.	श्री ए के कपूर अंशकालिक गैर-सरीकारी निदेशक	3	3
2.	श्री एस वी सुब्बा राव निदेशक (वित्त) (दि. 31 दिसंबर, 2014 तक)	2	2
3.	श्री वी उदय भास्कर निदेशक (उत्पादन) (दि. 30 जनवरी, 2015 से)	3	3

9. निदेशक मंडल स्तर की समिति :

9.1 निदेशक मंडल ने दि. 17 अप्रैल, 2014 को संपन्न अपनी 216वीं बैठक में आकाश अस्त्रप्रणाली के लिए कंटेनर प्रेजराइजेशन से संबंधित सभी तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए निदेशक मंडल स्तर की समिति का गठन किया.

1. **श्री ए के कपूर** - अध्यक्ष
   अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

2. **एवीएम एन बी सिंह,** अविसेमे, विसेमे (नि.) - सदस्य
   निदेशक (तकनीकी)

9.1.1 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दि. 15 मई, 2014; दि. 29 मई, 2014; दि. 30 जून, 2014; दि. 12 अगस्त, 2014; दि. 28 नवंबर, 2014 और दि. 14 फरवरी, 2015 को इस समिति की छः बैठकें संपन्न हुई. इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है -

निदेशक का नाम सर्वश्री	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल उपस्थित बैठकें
श्री ए के कपूर अंशकालिक गैर-सरीकारी निदेशक	6	6
एवीएम एन बी सिंह अविसेमे, विसेमे (नि.) निदेशक (तकनीकी)	6	6

निदेशक मंडल ने दि. 06 फरवरी, 2015 को संपन्न अपनी बैठक में समिति को दिये गये कार्य की समाप्ति पर इस समिति के विलयन का अनुमोदन दिया.

9.2 निदेशक मंडल द्वारा दि. 17 अप्रैल, 2014 को संपन्न अपनी 216वीं बैठक में सप्लाई चेन प्रबंधन के विकास के अध्ययन तथा उचित सुझाव देने के लिए निदेशक मंडल स्तर की समिति का गठन किया गया. इस समिति के निम्नलिखित सदस्य रहे -

1. **श्री ए के कपूर** - अध्यक्ष
   अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

2. **श्री एस वी सुब्बा राव** - सदस्य
   निदेशक (वित्त)
   (दि. 31 दिसंबर, 2014 तक)

3. **श्री वी उदय भास्कर** - सदस्य
   निदेशक (उत्पादन)
   (दि. 29 जनवरी, 2015 तक)

9.2.1 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दि. 30 मई, 2014 और दि. 01 जुलाई, 2014 को समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं. इन बैठकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है -

निदेशक का नाम सर्वश्री	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल उपस्थित बैठकें
श्री ए के कपूर अंशकालिक गैर-सरीकारी निदेशक	2	2
श्री एस वी सुब्बा राव निदेशक (वित्त) (दि. 31 दिसंबर, 2014 तक)	2	2
एवीएम एन बी सिंह, अविसेमे, विसेमे (नि.) निदेशक (तकनीकी)	2	2

10. अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की विशेष बैठक :

10.1 सार्वजनिक उद्यम विभाग ने दि. 28 दिसंबर, 2012 की कार्यालय ज्ञापन संख्या 16 (4)/2012-जीएम के तहत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के लिए आदर्शात्मक भूमिका एवं दायित्वों के संबंध में पत्र जारी किया जिसके अनुसार अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक को कार्यकारी एवं सरकारी निदेशक तथा कंपनी के प्रबंधन सदस्यों की अनुपस्थिति में वर्ष के दौरान कम से कम एक बैठक में भाग लेना अनिवार्य है. कंपनी अधिनियम, 2013 के क्रम में अधिनियम की अनुसूची IV में स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका और दायित्वों की घोषणा की जाती है. इसमें कहा गया है कि स्वतंत्र निदेशकों को गैर-स्वतंत्र निदेशक और प्रबंधन सदस्यों की अनुपस्थिति में वर्ष में एक बैठक बुलायी जाएगी.

10.2 पिछले वर्ष अर्थात् 2013-14 के दौरान दि. 04 मार्च, 2014 को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की विशेष बैठक आयोजित की गई. दि. 07 मार्च, 2014 को दो अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों का कार्य काल समाप्त हुआ और दि. 31 मार्च, 2015 तक इन रिक्तियों की भर्ती नहीं हुई. इस कारण भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में एक ही अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक हैं और इनका भी कार्यकाल दि. 15 फरवरी, 2015 को समाप्त हो चुका है. इस कारण वर्ष 2014-15 के दौरान अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की बैठक संपन्न नहीं हो पायी.

11. आम-सभाएँ :

11.1 कंपनी की सभी आम सभाएँ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में संपन्न हुईं. विगत तीन वर्षों के दौरान संपन्न ऐसी बैठकों के विवरण इस प्रकार हैं -

वा.आ.स. की संख्या	वित्तीय वर्ष	बैठक की तिथि	बैठक का समय	बैठक का स्थान
42	2011-12	24 सितंबर, 2012	15:30 बजे	पंजीकृत कार्यालय कंचनबाग हैदराबाद
43	2012-13	30 सितंबर, 2013	10:30 बजे	
44	2013-14	26 सितंबर, 2014	14:00 बजे	

11.2 विशेष संकल्पों की सूची :

11.2.1 पिछली तीन आम सभाओं में किसी भी प्रकार के विशेष संकल्प नहीं लिये गये.

12. प्रकटन :

12.1 वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी के निदेशकों के साथ ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया जो कंपनी के हित में न हो. निदेशक मंडल के सदस्य पारिश्रमिक लेने के अतिरिक्त (जहाँ लागू हो) कंपनी के साथ किसी भी प्रकार के आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं रखते हों निदेशक मंडल के निर्णयानुसार फैसला लेने में निदेशकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं.

12.2 सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश से संबद्ध किसी विषय को लेकर किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा विगत तीन वर्ष के दौरान कंपनी पर न कोई जुर्माना लगा और न ही कोई आक्षेप लगाया गया.

12.3 व्हिज़िल ब्लोअर मैकानिज़्म :

डी पी ई द्वारा ज़ारी सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के दिशा-निर्देश 2010 का अनुपालन किया गया है. कंपनी की व्हिज़िल ब्लोअर नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी है कि कोई भी व्यक्ति लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से मिल सकता है. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति या उसके अध्यक्ष से मिलने से मना नहीं किया गया.

12.4 कंपनी वर्गवार रिपोर्टिंग को छोड़कर डी पी ई द्वारा नैगमिक प्रशासन के संबंध में जारी सी पी एस ई 2010 के सभी दिशा-निर्देश का अनुपालन कर रही है. कंपनी ने वर्ष 2013-14 के दौरान आपदा प्रबंधन नीति के संबंध में निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया. संव्यवहार की प्रकृति एवं उद्‌घाटित करने में उसकी संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वर्ग रिपोर्टिंग से संबद्ध एएस-17 को छोड़कर अनुप्रयोज्य सभी लेखा मानदंड़ों का पालन किया जा रहा है. तथापि इसे उद्‌घाटित न करने पर कंपनी की लेखाओं पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होगा. लेखाओं की अंगभूत टिप्पणियों में आवश्यक

प्रकटन किया जा रहा है. संप्रति बोर्ड में सदस्यों की संख्या पाँच (5) है जबकि मंजूर की गई संख्या नौ (9) है. दि. 07 मार्च, 2014 को तथा दि. 15 मार्च, 2015 को तीन अंशकालिक गेर-सरकारी निदेशकों का सेवाकाल पूरा होने की वजह से तीन सदस्यों के स्थान रिक्त हैं जिनकी भर्ती दि. 31 मार्च, 2015 तक की जानी है.

12.5 **प्राप्त राष्ट्रपति निदेश का विवरण तथा उनका कार्यान्वयन :** राष्ट्रपति निर्देश, डी पी ई / मंत्रालय से प्राप्त कार्यालय ज्ञापन का कार्यान्वयन किया जा रहा है. कंपनी के बोर्ड स्तर एवं बोर्ड के निम्न स्तर के कार्यपालकों के वेतन संशोधन के संबंध में डी पी ई द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार संशोधित वेतनमान के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी प्रदान करते हुए दि. 27 अप्रैल, 09 का संख्यक एच-62030/1/0227-डी (बीडीएल) राष्ट्रपति आदेश प्राप्त हुआ. तदनुसार, राष्ट्रपति निर्देश का अनुपालन करते हुए कंपनी ने वेतन संशोधन कार्यान्वित किया है.

12.6 व्यय का कोई भी ऐसा मद लेखा-बही के खर्चे में नहीं दिखाया गया जो संव्यवहार के लिए नहीं रखा गया हो.

12.7 निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंधन के व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए कंपनी ने किसी प्रकार का व्यय नहीं किया.

12.8 प्रशासनिक तथा कार्यालयीन व्यय के विवरण कुल व्यय या वित्तीय व्यय के प्रतिशत के रूप में दिखाए जा रहे हैं

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2013-14
1	कुल व्यय (सामग्री के अलावा)	799.46	600.46
2	प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	13.18	11.64
3	(1) पर (2) का प्रतिशत	1.65	1.94

13. संप्रेषण के माध्यम :

अपने शेयरधारकों, निदेशकों तथा अन्य स्टेकधारकों के साथ कंपनी की संप्रेषण प्रणाली में पत्राचार और कंपनी की अधिकाधिक वेबसाइट (http://bdl.ap.nic.in) के साथ-साथ सभी संप्रेषण चैनलों के माध्यम शामिल हैं. कंपनी की वेबसाइट में (i) अंतरिम लाभांश का भुगतान (ii) अनुबंध ज्ञापन प्रलेख रेटिंग के माध्यम से कंपनी के कार्य-निष्पादन के मानदंड (iii) बी डी एल की सभी इकाइयों के साथ संप्रेषण के लिए वीडियो कांफ्रेंस प्रणाली की स्थापना (iv) कंपनी का परिचय, मील के पत्थर, मिशन एवं भविष्य-दृष्टि, उद्देश्य, उपलब्धियाँ आदि (v) वार्षिक विवरण की सूचना (vi) कंपनी के उत्पाद, (vii) निविदाओं के विवरण (viii) ई-खरीदी (iv) कैरियर (x) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का विवरण आदि जानकारी उपलब्ध होती है. कंपनी की कार्य-निष्पादन संबंधी जानकारी हर माह प्रशासनिक मंत्रालय को दी जाती है.

14. कंपनी असफल वित्तीय विवरण सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है.

15. मौजूदा परियोजनाओं तथा टेकनोलॉजी दृष्टि से ग्राहकों भी भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का रूपायन किया जा रहा है. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त (i) आई आई एम, एम डी आई जैसी प्रमुख संस्थाओं के माध्यम से वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (ii) वर्कशाप में विभिन्न ट्रेड में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पुन:निर्धारण तथा कौशल उन्नयन कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं.

16. निदेशक तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए आचरण संहिता :

16.1 डी पी ई द्वारा जारी सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश 2010 की सुझाव के अनुसार कंपनी द्वारा अपने निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए संव्यवहार नीति एवं आचरण संहिता अपनायी गयी है.

16.2 यह आचरण संहिता कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है. निदेशक एवं वरिष्ठ कार्यपालकों ने वर्ष 2014-15 के दौरान आचरण संहिता के अनुपालन का वचन-पत्र दिया.

16.3 इस संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषण निम्नवत है :

17. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा :

डी पी ई द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम, दि 14 मई, 2010 में उल्लिखित सी पी एस ई के लिए नैगमिक अभिशासन के दिशा-निर्देशन के अनुसार यह घोषणा की जाती है कि निदेशक-मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए ङभारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए संव्यवहार आचरण एवं नैतिक संहिता का अनुपालन किया है.

कृते - भारत डायनामिक्स लिमिटेड

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 27 जुलाई, 2015

वी उदय भास्कर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक - IV

वाई रमेश, एम कॉम, एल एल बी, सी ए आई आई बी, ए सी एस
कार्यरत कंपनी सचिव
मोबाइल : 9849045347

नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र

सेवा में,

सदस्य-गण
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
हैदराबाद.

मैंने, सी पी एस ई के लिए नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश 2010 के अनुसार दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है.

नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है. मेरा यह परीक्षण उपरोक्त दिशा-निर्देश में उल्लिखित नैगमिक अभिशासन प्रमाण-पत्र की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया और कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है. यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा है और न ही विचाराभिव्यक्ति.

मेरी राय में तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूँ कि सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी 'सी पी एस ई के लिए नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश, 2010' के तहत कंपनी ने निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के लिए संव्यवहार नीति आचरण संहिता अपनायी है जिसके तहत यह निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक की जिम्मेदारी है कि आचरण संहिता से स्वयं अवगत हों और उसके मानकों का अनुपालन दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आचरण संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करे.

मैं आगे प्रमाणित करता हूँ कि सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 'सी पी एस ई के लिए नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश, 2010' के तहत कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों के संदर्भ में निदेशक मंडल और तदनुरूप समितियों के गठन को छोड़ नैगमिक अभिशासन के सभी दिशा-निर्देश का अनुपालन किया गया है.

हस्ता./-

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 02 सितंबर, 2015

(वाई रमेश)
सी पी संख्या : 7929

Y. RAMESH COMPANY SECRETARY

947 बालाजी नगर, विद्या नगर, हैदराबाद - 500044.
ई-मेल : racs_y@yahoo.co.in

वृद्धि एवं विकास

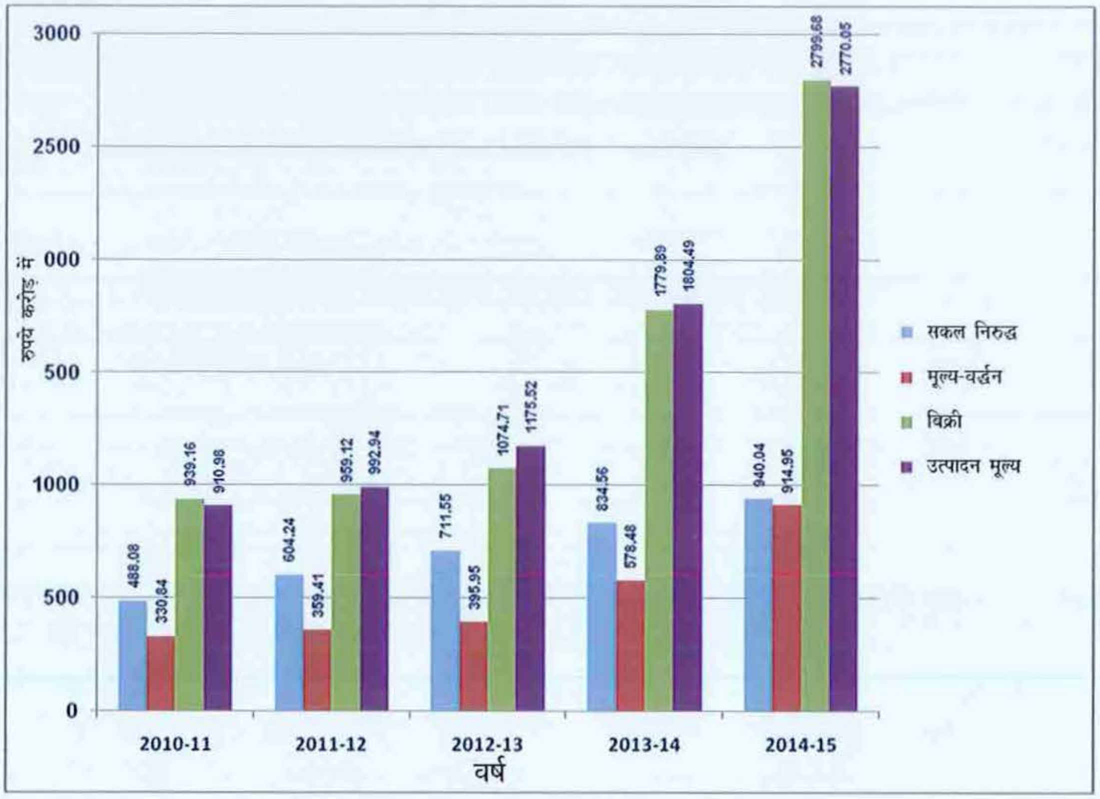

मानव-शक्ति एवं मूल्य-वर्द्धन

लेखा-नीति

1. वित्तीय विवरण तैयार करने के मूल आधार

जब तक कि अन्यथा उद्धृत न हो, वित्तीय विवरणिकाएँ प्रोद्भूत आधार तथा परंपरागत लागत पर कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत भारत में स्वीकृत सामान्य लेखा कार्य-सिद्धांतों के अनुसार तैयार की जाती है.

2. स्थायी परिसंपत्तियाँ

2.1 कंपनी के लेखाओं में भूमि का पूँजीकरण कंपनी लागत पर किया गया है. भूमि समतल बनाने, साफ कराने तथा ग्रेडिंग जैसे भूमि के विकास का पूँजीकरण, भवनों के निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई भूमि के अनुपात में भवन लागत पर किया है तथा बाकी विकास-शीर्ष का पूँजीकरण भूमि लागत पर किया है. किसी भवन के निर्माण से संबंध न रखनेवाले लैंडस्केपिंग या किसी अन्य उद्देश्य के लिए हुआ विकास-शीर्ष भूमि-लागत माना जाता है.

2.2 बाहरी अभिकरणों की संपूर्ण या आंशिक वित्तीय सहायता / सहायिकी से अर्जित स्थायी परिसंपत्ति कंपनी के खातों में निवल लागत पर लेखांकित की गयी है. सरकार से बिना किसी लागत के हस्तांतरित संपत्ति सांकेतिक मूल्य पर लेखांकित की गई है.

2.3 संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण, फिक्चर्स, कार्यालयीन फर्नीचर तथा उपकरणों की मदें जहाँ प्रत्येक मद का मूल्य 5,000/- रुपये या उससे कम है, वहाँ खरीद के वर्ष में संपूर्ण मूल्य-ह्रास किया जाता है. सिविल निर्माण के छोटे कार्यों की लागत जो ₹50,000/- या उससे कम है, ऐसे कार्य, आंतरिक विभाजक दीवारें जिनमें हर कार्य पर ₹50,000/- रुपये से अधिक हो उनका मूल्य-ह्रास 5 वर्ष की अवधि या संबद्ध परिसर के पट्टे की अवधि, इनमें से कम वाली अवधि में किया जाता है. ₹50,000/- या उससे कम है, ऐसे कार्य, आंतरिक विभाजक दीवारें जिनमें हर कार्य पर ₹50,000/- रुपये से अधिक हो उनका मूल्य-ह्रास 5 वर्ष की अवधि या संबद्ध परिसर के पट्टे की अवधि, इनमें से कम वाली अवधि में किया जाता है.

2.4 सामग्री की मदें जो अनुपयुक्त होने से उपयोग में नहीं लायी जातीं उनका जब तक निपटान नहीं होता तब तक लेखाओं में परिशुद्ध लेखा-मूल्य और परिशुद्ध प्राप्णीय मूल्य, इनमें से कम हो उस स्तर पर लेखांकित रखा जाता है. निपटान के बाद उन्हें लेखाओं से हटा दिया जाता है. संपत्ति विक्रय पर मूल लागत से जो अधिक राशि प्राप्त होती है उसे लाभ-हानि विवरण में जमा किया जाता है.

2.5 मशीनरी तथा उपस्करों की स्थिति के पुनःअनुकूलन, स्थायी-पुनर्निर्धारण, पुनरारेखन पर होने वाला व्यय पूँजीकृत नहीं किया गया है.

2.6 संयंत्र, मशीनरी तथा उपस्करों के साथ प्राप्त अतिरिक्त पूर्जों की लागत पूँजीकृत की जाती है तथा इसका मूल्य ह्रास संयंत्र और मशीनरी के मूल्य-ह्रास की भाँति ही किया जाता है.

2.7 पट्टाधारी भूमि के लिए प्रदत्त बीमा-किश्त का पहले पूँजीकरण किया जाता है तथा पट्टे की अवधि या दस साल की अवधि जो भी कम हो, उसके प्रति अपाकरण किया जाता है.

3. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

3.1 सामान्य अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय, व्यय के वर्ष में राजस्व में प्रभारित किया जाता है. कंपनी द्वारा वित्तपोषित विकास संबंधी व्यय तथा जिन विशिष्ट परियोजनाओं के उत्पादनों की तकनीकी संभाव्यता प्रमाणित हो चुकी हो और कंपनी जिनका उत्पादन कर विपणन करना चाहती हो, उन पर विकास का व्यय भविष्य के उत्पादों में संविलयन की दृष्टि से पूँजीकृत किया जाता है, यदि कंपनी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएँ पहले रोक दी जाती हों / त्यागी जाती हों तो रोके जाने तक / त्यागे जाने तक किये गये व्यय, रोके जाने / त्यागने के वर्ष में ही राजस्व में प्रभारित कर बट्टे खाते में डाले जाते हैं.

3.2 कार्मिक प्रशासन पर व्यय, विदेशी तकनीशियनों का शुल्क तथा व्यय आदि परियोजना/उत्पाद विशेष पर उत्पादन-पूर्व व्यय विकासगत व्यय के रूप में प्राक्कलन के आधार से उत्पादन विक्रय पर क्रमिक अपाकरण किया जाता है जो अपाकृत नहीं होता उसे अग्रेषित किया जाता है.

3.3 आंतरिक प्रयोग के लिए तैयार किये गये साफ्टवेयर / बाहरी स्रोतों से प्राप्त किये गये साफ्टवेयर जिनकी कीमत ₹1.00 लाख व उससे अधिक है, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नही है, लेखा-पुस्तिकाओं में अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है तथा इसका क्रमिक अपाकरण तीन सम- भागों में होगा. अपाकरण का आरंभ इसकी प्रयुक्ति के आरंभ से माना जाता है.

4. औज़ार और उपस्कर

विशिष्ट परियोजनाओं / उत्पादों के लिए आवश्यक जिग्स, औज़ारों और फिक्चरों पर होने वाला व्यय आरंभतः तकनीकी मूल्यांकन के आधार से उत्पादन / विक्रय पर क्रमिक अपाकरण के लिए पूँजीकृत किया जाता है और जितना हिस्सा संविलयित नहीं होता, परिसंपत्ति के रूप में अग्रेषित किया जाता है. आंतरिक आधार पर विनिर्मित औजार लागत पर अथवा वसूली योग्य मूल्य पर जो भी कम हो, पूँजीकृत किये जाते हैं. रखरखाव, पुनर्निर्माण, पुनःअनुकूलन, आवधिक निरीक्षण, उपस्कर धारदार बनाना, कटिंग उपस्कर पुनर्भरण तथा समप्रकृति कार्य राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किये जाते हैं

5. परिसंपत्तियों का ह्रास

तुलन-पत्र की तारीख को परिसंपत्तियों की धारित-राशि निर्धारित की जाती है और यदि प्राक्कलित शोध्य राशि, धारित राशि से कम पायी जाती है तो ह्रास हानि आकलित कर प्रावधान किया जाता है.

6. निवेश

6.1 वित्तीय विवरणों में वर्तमान निवेश निम्नतम लागत पर प्रविष्टित होते हैं तथा निवेश समुचित मूल्य अलग-अलग निवेश के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

6.2 दीर्घ-अवधि निवेशों को वित्तीय विवरणों में लागत पर प्रविष्टित किया जाता है तथापि, मूल्य निवेश-मूल के स्थायी आधार पर ह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है.

7. आस्थगित ऋण

आस्थगित सामग्री उपस्करण संचिका की लागत से

संबद्ध आस्थगित निर्बन्धों के अधीन अप्रदत्त भुगतान किश्तें तथा ब्याज और बिक्री किये गये उपकरणों / उत्पादों के आस्थगित राजस्व व्यय ग्राहकों से आस्थगित ऋण के रूप में लेखांकित किये जाते हैं और जब-जब किश्तों की और उस पर ब्याज की अदायगी होती है तो वसूल कर लिया जाता है.

8. सामग्री-सूचियाँ

8.1 सामग्री-सूची निम्न लागत अथवा निवल प्रापणीय मूल्य पर मूल्यांकित की जाती है. कच्चा माल, घटक, निर्माणाधीन सामग्री, खुले औजार और भण्डार की मदों तथा अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन भार की औसत लागत सूत्र के आधार पर किया जाता है.

8.2 मार्गस्थ माल और निर्माणाधीन माल की वास्तविक लागत ली है.

8.3 लेखन-सामग्री, वर्दी, कल्याण संबंधी उपभोज्य सामग्री, चिकित्सा तथा उपहार-गृह, भण्डार सामग्री इनकी प्राप्ति के समय राजस्व में प्रभारित कर बट्टे में डाली जाती है.

8.4 कच्चा माल, घटक, निर्माणाधीन सामग्री, खुले औजार और भण्डार की मदें तथा अतिरिक्त पुर्जों का अधिशिष्ट / अनुपयोगी / अनावश्यक घोषित भण्डार राजस्व में प्रभारित किये जाते हैं.

8.5 मुख्य भण्डार से जारी की गई तथापि वर्ष के अंत तक अप्रयुक्त पड़ी सामग्री पुनः भण्डारों में दाखिल नहीं की जाती.

8.6 5 वर्ष से अधिक समय से अप्रयुक्त कच्चे माल और घटक, भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्जे, निर्माण सामग्री व खुले औज़ार जैसे इतिशेष सामग्री सूची से संबद्ध अनावश्यक सामग्री के अंतर्गत रखने का प्रावधान किया गया है. इसके अतिरिक्त पूर्ण / विशेष परियोजनाओं और निस्तारण के लिए लंबित अतिरिक्त / अनावश्यक सामग्री जैसी सामग्री-सूची के संबंध में भी "अनावश्यक सामग्री" के अंतर्गत डालने के यथावश्यक समुचित प्रावधान किये गये हैं.

9. ट्रेड ग्राह्य

सरकारी विभागों से संबद्ध विवादित / कालातीत ऋण-प्राप्यताओं को संदिग्ध ऋण नहीं माना जाता.

10. आपूर्तिकर्ताओं / बीमाकर्ताओं / संवाहकों / अन्यो पर दावे

आपूर्तिकर्ताओं / बीमाकर्ताओं / संवाहकों / अन्यों पर हानि / क्षति के दावे तब लेखांकित किये जाते हैं जब दावों का प्रवर्तन होता है. सरकारी विभागों से विवादित / कालातीत दावे संदिग्ध दावे नहीं माने जाते हैं.

11. विदेशी मुद्रा का अंतरण

सोवियत रूस (तत्कालीन) द्वारा की गयी आपूर्तियों से प्राप्त सेवाओं से संबंधित आस्थगित भुगतानों की और उन पर देय ब्याज की देयता, भारत सरकार तथा रूस की सरकार के बीच विदेशीकरण व्यवस्था के अंतर्गत आस्थगित भुगतान तथा तदुपरी ब्याज के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर आधारित है. अन्य मुद्राओं की स्थिति में, देयता तुलन-पत्र की प्रदत्त तारीख के प्रभावी विनिमय दर के आधार पर होती है.

विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाला अंतर राजस्व में प्रभारित किया जाता है. पूँजीगत मदों के संबंध में समायोजन संपत्ति की लागत पर किया जाता है.

12. वर्तमान तथा आस्थगित कर के प्रावधान

वर्तमान कर का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार्य लाभ पर विचार करने के बाद किया जाता है. लेखित आय और कर देय आय के बीच 'समयांतर' के परिणामस्वरूप होने वाले आस्थगित कर को अधिनियमित या तुलन-पत्र की तिथि से मूलभूत रूप से अधिनियमित कर दरों तथा कानून के प्रयोग लेखांकित करने के लिए किया जाता है. आस्थगित कर संपत्ति उतनी ही आँकी और अग्रेषित की जाती है जितनी कि भविष्य में इससे वसूली की वास्तविक निश्चितता दिखायी देती है.

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

भूतकालीन कार्यों से वर्तमान दायित्व के लिए एक प्रावधान किया गया है और इस दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी जिसके लिए एक विश्वसनीय प्राक्कलन बनाया जा सकता है. प्रावधान वर्तमान मूल्य आधारित नहीं होकर तुलन-पत्र की प्रवृत तिथि पर दायित्व निपटान के लिए आवश्यक उत्तम प्राक्कलन पर आधारित हैं तथा इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र प्रवृत तिथि पर समीक्षा कर वर्तमान सर्वोत्तम प्राक्कलन में दर्शाये जाते हैं. आकस्मिक देयताएँ वित्तीय विवरणिकाओं में नहीं लेकर टिप्पणियों में प्रकट की जाती हैं. आकस्मिक परिसंपत्तियाँ, वित्तीय विवरणिकाओं में न ली जाती हैं और न ही प्रकट की जाती हैं.

14. वारंटी

करार के अनुबंध एवं शर्तों के अनुसार जहाँ कहीं भी लागू हो, बेचे गये उत्पादों पर वारंटी का प्रावधान किया गया है. वारंटी की शर्तें वर्तमान अवधि एवं अनुबंधों के आधार अनुसार यथावत रहेंगी.

15. बिक्री

15.1 जिन उत्पादों के संबंध में पूर्व-परीक्षण जरूरी होता है वहाँ परीक्षण के बाद स्वीकृत मात्रा के आधार पर बिक्री लेखांकित होती है.

15.2 अन्य सभी उत्पादनों के संबंध में स्वीकृत / प्रत्यक्ष प्रेषण के आधार पर बिक्री लेखांकित होती है.

15.3 जहाँ बिक्री-मूल्य निर्धारित नहीं हुआ वहाँ संभाव्य प्रापणीय मूल्य के आधार पर अंतिम बिक्री मूल्य निश्चित किया जाता है.

15.4 बिक्री-मूल्य में बिक्री-कर / वैट अपवर्जित होता है लेकिन उत्पाद शुल्क तथा सेवा-कर सम्मिलित होते हैं.

15.5

ए) ग्राहकों के लिए निर्माण ठेके से संबद्ध संविदा राजस्व वित्तीय विवरणिकाओं की रिपोर्टिंग तिथि तक पूर्ण कार्य प्रतिशत की पद्धति के आधार पर ठेके संविदा संदर्भित करते हुए दर्शाया जाता है.

बी) संविदा की पूर्णता के स्तर का मापन प्रत्येक संविदा के लिए अनुमानित कुल संविदा लागत के साथ रिपोर्टिंग तिथि तक किये गये कार्य के लिए खर्च की गई संविदा लागत के अनुपात के अनुसार किया जाता है.

सी) चूँकि ऐसी संविदाओं के परिणाम का अनुमान एक हद तक पूर्ण किये गये कार्य के आधार पर ही लगाया जाता है, इसलिए न्यूनतम 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के बाद ही इस राजस्व को शामिल किया जाता है.

डी) कुल संविदा लागत जब कुल संविदा राजस्व से बढ़ सकती हो तो निर्माण संविदा पर संभावित हानि तत्काल खर्च के रूप में दर्शायी जाती है.

ई) चूँकि राजस्व को आनुपातिक आधार पर दर्शाया जाता है, इसलिए ठेके के कार्यान्वयन के दौरान लागत से बढ़कर अधिशेष राजस्व के 30 प्रतिशत के समान राशि के आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है जिसे ठेके की समाप्ति पर वापस लिया जाता है.

15.6

ए) यदि अंतिम तिथि और माल / सेवाओं की आपूर्ति की असली तिथि एक ही लेखा-अवधि में पड़ता हो तो ऐसी स्थिति में ठेके की शर्तों के अनुसार परिसमापन क्षतियों को देरी-अवधि यदि हो तो उसमें लेखांकित किया जाता है.

बी) आपूर्ति सारणी के आगे बढ़ जाने की स्थिति में, परिसमापन क्षतियों की गणना, ठेके शर्त तथा माल / सेवाओं की संभावित आपूर्ति तिथि के अनुसार अंतिम तिथि तथा देरी हुई तिथि के अनुसार की जाती है.

16. कर्मचारियों के लाभ

अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

16.1 अल्पकालीन कर्मचारी लाभ जैसे वेतन पारिश्रमिक (वेज) तथा अल्पकालीन अनुपस्थिति प्रतिपूर्तियाँ सेवाकालीन वर्ष के लाभ-हानि लेखों में बिना किसी रियायती दरों के शामिल की गई हैं.

निर्धारित योगदान योजनाएँ

16.2 कंपनी द्वारा दिये गये / देय कंपनी अनुमोदित सेवा-निवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना (REMI), कर्मचारी हितकारी निधि योजना (EBF), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI), भविष्य निधि अधिनियम तथा पेंशन योजना के अंतर्गत देय भविष्य निधि योगदान राजस्व में प्रभारित किये जाते हैं.

निर्धारित लाभ योजनाएँ

16.3 कंपनी की उपदान, छुट्टी वेतन योजनाएँ निर्धारित लाभ योजनाएँ हैं. उपदान संबंधी वर्तमान दायित्व का मूल्यांकन बीमांकित मूल्यांकन दर्शायी इकाई जमा पद्धति के प्रयोग के आधार पर किया जाता है, जिसमें सेवा की प्रत्येक अवधि पर एक अतिरिक्त इकाई कर्मचारी की लाभ अहूर्यता में जुड़ती है तथा प्रत्येक प्राक्कलित भविष्य नकदी की गणना करती है. बीमांकित लाभ-हानियाँ लाभ-हानि लेखों में शामिल किये गये हैं.

16.4 छुट्टी वेतन के वर्तमान दायित्व का प्रावधान बीमांकित आधारित है. बीमांकित लाभ-हानियाँ,

लाभ-हानि लेखों में शामिल की गयी हैं.

16.5 स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति पर जाने वाले कर्मचारियों को देय प्रतिपूर्ति का सेवा-निवृत्ति वर्ष के लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

17. मूल्य-ह्रास

स्थायी परिसंपत्ति पर मूल्य-ह्रास सीधी लाइन-पद्धति से प्रभारित किया जाता है. मूल्य-ह्रास की मदें संबद्ध परिसंपत्ति की लागत उसके अनुमानित कार्यकाल (आयु) पर परिव्याप्त कर निकाली जाती है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची II के भाग-सी में दिया गया है.

18. लागत का न्यून / अति अवशोषण

यदि एक वर्ष में निर्माण कार्यों पर लेबर और ओवर हेड लागत में अवप्रतिलब्धि / अधिप्रतिलब्धि की मात्रा उस वर्ष में निवल परिचालन व्यय से 0.5% से अधिक नहीं होती तो इन कार्यों पर इस लागत का न्यून अवशोषण / अत्यावशोषण का समायोजन नहीं किया जाता.

संलग्न 1 से 28 तक की अनुसूचियाँ तथा लेखा-नीतियाँ इन लेखाओं के अंगभूत अंश हैं.

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप.

कृते गर्रे अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
पंजीकरण संख्या : 002460S

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

गर्रे सुब्बा राव
(सदस्यता संख्या : 019579)
भागीदारी

एस पिरमनायगम
निदेशक (वित्त)

वी उदय भास्कर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
तारीख :

स्थान : हैदराबाद
तारीख :

एम लक्ष्मीनारायण
कंपनी सचिव

भारत डायनामिक्स लिमिटेड :: हैदराबाद
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का तुलन-पत्र

(₹ लाख)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2015 तक की स्थिति		31 मार्च 2014 तक की स्थिति	
ईक्विटी एवं देयताएं					
शेयर धारकों की निधियाँ					
(ए) शेयर पूँजी	1	11500.00		11500.00	
(बी) आरक्षित एवं अधिशिष्ट निधि	2	141858.13	153358.13	110296.59	121796.59
गैर चालू देयताएँ					
(ए) दीर्घावधि देयताएँ	3	7607.21		6111.10	
(बी) दीर्घावधि प्रावधान	4	7100.58	14707.79	6389.62	12500.72
चालू देयताएँ					
(ए) देय ट्रेड	5	56027.86		39815.45	
(बी) अन्य चालू देयताएँ	6	593927.04		644551.67	
(सी) अल्पावधि प्रावधान	7	26080.31	676035.21	14262.77	698629.89
कुल			**844101.13**		**832927.20**
परिसंपत्तियाँ					
गैर चालू परिसंपत्तियाँ					
(ए) स्थायी परिसंपत्तियाँ					
(i) मूर्त परिसंपत्तियाँ	8	37630.52		34187.54	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	8	1755.61		1772.78	
(iii) निर्माणाधीन कार्यगत पूँजी	9	13510.95		6382.17	
(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	9	715.92		633.16	
(बी) गैर चालू निवेश	10	53.60		53.60	
(सी) आस्थगित परिसंपत्तियाँ (निवल)	11	6571.33		2936.03	
(डी) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	12	1231.42		1177.14	
(ई) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	13	15768.46	77237.81	5886.61	53029.03
चालू परिसंपत्तियाँ					
(ए) सामग्री सूची	14	148012.24		138250.52	
(बी) प्राप्त ट्रेड	15	86572.04		39880.98	
(सी) नकद एवं नक़द तुल्य	16	366892.30		426654.45	
(डी) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	17	148968.76		156182.70	
(ई) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	18	16417.98	766863.32	18929.52	779898.17
कुल			**844101.13**		**832927.20**

लेखा नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं के अंगभूत अंश हैं.

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप.

कृते गर्रे अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
पंजीकरण सं. 002460S

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

गर्रे सुब्बा राव
(सदस्यता सं.019579)
भागीदार

एस पिरमनायगम
निदेशक (वित्त)

वी उदय भास्कर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 27 जुलाई 2015

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 27 जुलाई 2015

एम लक्ष्मीनारायण
कंपनी सचिव

भारत डायनामिक्स लिमिटेड :: हैदराबाद
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

(₹ लाख)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2015 तक की स्थिति		31 मार्च 2014 तक की स्थिति	
I	परिचालन से प्राप्त राजस्व	19		279967.69		177989.16
	घटाव : सीमा शुल्क			-		-
	घटाव : सेवा कर			1766.33		583.87
				278201.36		177405.29
II	अन्य आय	20		49870.01		53057.22
III	कुल राजस्व (I+II)			**328071.37**		**230462.51**
IV	व्यय :					
	खपत सामग्री की लागत	21		185509.89		122601.02
	प्रत्यक्ष व्यय			2661.00		11.28
	तैयार माल की सामग्री सूची में परिवर्तन, निर्माणाधीन कार्य, कार्यगत भंडार	22		2962.94		(2459.57)
	कर्मचारी लाभकारी व्यय	23		31307.20		30728.06
	वित्त लागत			31.08		44.46
	मूल्यह्रास एवं क्रमिक अपाकरण व्यय	8		6928.87		4140.78
	अन्य व्यय	24		23527.00		18442.00
	प्रावधान	25		14859.29		7078.62
				267787.27		**180586.65**
	घटाव : पूँजीगत एवं अन्य लेखाओं से संबंधित व्यय	26		1134.76		982.96
				266652.51		179603.69
V	कर पूर्व लाभ (III-IV)			**61418.86**		**50858.82**
VI	कर व्यय					
	चालू कर - पूर्व वर्ष		(21.03)		(316.75)	
	चालू वर्ष		23218.27		15430.98	
	आस्थगित कर	11	(3635.30)	19561.94	1193.18	16307.41
VII	अवधि के लिए लाभ (हानि) (V-VI)			**41856.92**		**34551.41**
VIII	प्रति शेयर अर्जन :					
	मूल तथा विलयित (रु. में)	27		**₹ 3640**		**₹ 3004**

लेखा नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं के अंगभूत अंश हैं.

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप.

कृते गर्रे अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
पंजीकरण सं. 002460S

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

गर्रे सुब्बा राव
(सदस्यता सं.019579)
भागीदार

एस पिरमनायगम
निदेशक (वित्त)

वी उदय भास्कर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 27 जुलाई 2015

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 27 जुलाई 2015

एम लक्ष्मीनारायण
कंपनी सचिव

भारत डायनामिक्स लिमिटेड :: हैदराबाद

31 मार्च 2015 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	31 मार्च 2015 तक की स्थिति		31 मार्च 2014 तक की स्थिति	
1	**शेयर पूँजी**				
	प्राधिकृत				
	प्रति शेयर 1,000/- रु. मूल्य के 12,50,000/- ईक्विटी शेयर		12500.00		12500.00
	जारी किए गए, अंशदत्त एवं अभिदत्त				
	प्रति शेयर 1,000/- रु. मूल्य के 11,50,000/- ईक्विटी शेयर पूर्णतः प्रदत्त		11500.00		11500.00
			11500.00		11500.00
	5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारकों का विवरण		100% शेयर भारत सरकार द्वारा लिए जाते हैं		100% शेयर भारत सरकार द्वारा लिए जाते हैं
2	**प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि**				
	प्रारक्षित पूँजी				
	विगत तुलन-पत्र के अनुसार	21.60		21.60	
	जोड : वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
	तुलन-पत्र की तिथि पर इतिशेष		21.60		21.60
	सामान्य प्रारक्षण				
	विगत तुलन-पत्र के अनुसार	110241.66		83741.66	
	घटाव : मूल्यह्रास समायोजन	226.71		-	
		110014.95		83741.66	
	जोड : लाभ-हानि विवरण से हस्तांतरण	31800.00		26500.00	
	तुलन-पत्र की तिथि पर इतिशेष		141814.95		110241.66
	अधिशेष				
	विगत तुलन-पत्र के अनुसार	33.33		66.60	
	जोड : लाभ-हानि विवरण से हस्तांतरण	41856.92		34551.42	
		41890.25		34618.02	
	घटाव : विनियोजन				
	अंतरिम लाभांश	4890.00		5800.00	
	अंतरिम लाभांश पर कर	1001.21		985.71	
	प्रस्तावित अंतिम लाभांश	3481.39		1110.29	
	प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर	696.07		188.69	
	प्रारक्षित पूँजी को हस्तांतरण			-	
	सामान्य प्रारक्षित को हस्तांतरण	31800.00		26500.00	
	तुलन-पत्र की तिथि पर इतिशेष		21.58		33.33
			141858.13		110296.59
3	**दीर्घावधि देयताएं**				
	देय ट्रेड - 45 वर्ष के लिए आस्थगित जमा		7607.21		6111.10
			7607.21		6111.10
4	**दीर्घावधि प्रावधान**				
	कर्मचारी हित के लिए प्रावधान				
	उपचित अवकाश		7100.58		6389.62
			7100.58		6389.62

भारत डायनामिक्स लिमिटेड :: हैदराबाद

31 मार्च 2015 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	31 मार्च 2015 तक की स्थिति	31 मार्च 2014 तक की स्थिति
5	**व्यापारिक देयताएं**		
	अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम	911.88	1,318.27
	आस्थगित देयताओं की चालू अवधि समाप्ति	345.78	195.60
	अन्य ट्रेड देयताएं	54770.20	38301.58
		56027.86	**39815.45**
5.1	अति लघु, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम के अंतर्गत जानकारी :		
(i)	वर्ष की समाप्ति पर पूर्तिकर्ता के लिए बाकी मूल धन एवं ब्याज अप्रदत्त.	**911.88**	**1318.27**
(ii)	लेखा वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद पूर्तिकर्ता के लिए भुगतान की गई राशि सहित ब्याज राशि.	**-**	**-**
(iii)	भुगतान में की गई विलंब की अवधि के लिए देय एवं बकाया ब्याज राशि (अधिनियम में निर्धारित ब्याज के बिना नियम तिथि के बाद किया गया भुगतान)	**5.28**	**4.79**
(iv)	लेखा वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज की राशि तथा अप्रदत्त बकाए की राशि	**97.77**	**71.30**
(v)	बकाया ब्याज की राशि जिसका पूर्ववर्ती वर्षो में उस तिथि तक भुगतान किया जा सकता है जब तक कि एम एस एम ई अधिनियम की धारा 23 के तहत घटाव व्यय के रूप में अस्वीकृत होने के प्रयोन से उपर्युक्त ब्याज की राशि लघु उद्यमों को वास्तविक रूप से भुगतान किया जाता है.	-	-
6	**अन्य चालू देयताएँ**		
	भारत सरकार से अग्रिम	548738.64	576577.86
	अन्य अग्रिम	19804.26	46692.07
	जमा राशियाँ	1141.52	1344.86
	अन्य देयताएँ	24242.62	19936.88
		593927.04	**644551.67**
7	**अल्पावधि प्रावधान**		
	कर्मचारी के लिए लाभकारी प्रावधान		
	उपचित अवकाश के लिए प्रावधान	385.51	347.17
	अन्य प्रावधान		
	वारंटी	4046.48	1984.09
	परिसमापन क्षतियाँ	11373.20	9602.46
	आकस्मिक व्यय - विनिर्माण करार	1638.50	-
	प्रस्तावित अंतिम लाभांश	3,481.39	1110.29
	प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर ब्याज	696.07	188.69
	सी एस आर, सतत विकास एवं अन्य	4459.16	1030.07
		26080.31	**14262.77**

31 मार्च 2015 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

8. स्थायी परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख)

विवरण	सकल निरुद्ध				मूल्य ह्रास / क्रमिक अपाकरण				निवल मालियत	
	वर्ष के आरंभ में लागत की	वर्ष के दौरान जोड/समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष की समाप्ति पर कुल लागत	वर्ष के आरंभ में संचित मूल्य ह्रास / क्रमिक अपाकरण	वर्ष के लिए मूल्य ह्रास / क्रमिक अपाकरण	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष के समाप्ति पर संचित मूल्य ह्रास / क्रमिक अपाकरण	31 मार्च 2015 तक की स्थिति	31 मार्च 2014 तक की स्थिति
मूर्त परिसंपत्तियाँ										
भूमि - पूर्ण स्वामित्व पर @	6139.65	5.39	0.00	6145.04	0.00	0.00	0.00	-	6145.04	6139.65
- पट्टे पर	3926.87	0.00	0.00	3926.87	57.02	392.69	0.00	449.71	3477.16	3869.85
इमारतें *	11333.09	499.18	0.00	11832.27	4791.62	287.12	0.00	5078.74	6753.53	6541.47
तार घेरा तथा चाहर दीवारी	1003.89	69.80	0.00	1073.69	403.95	219.52	74.19	697.66	376.03	599.94
सड़कें तथा नालियाँ	997.15	131.16	0.00	1128.31	524.44	70.54	56.83	651.81	476.50	472.71
जल आपूर्ति संस्थापनाएँ	666.91	21.99	0.00	688.90	586.91	3.29	0.00	590.20	98.70	80.00
संयंत्र, मशीनरी तथा उपस्कर #	26491.00	6229.33	-28.99	32691.34	17735.16	818.85	-33.27	18520.74	14170.60	8755.84
फर्नीचर तथा उपकरण	4720.29	488.50	-6.81	5201.98	3332.33	744.66	96.09	4173.08	1028.90	1387.96
परिवहन वाहन वाहन	523.47	23.57	0.00	547.04	346.07	34.66	0.00	380.73	166.31	177.40
विशेष औज़ार एवं उपकरण	17521.79	2126.15	0.00	19647.94	11359.08	3351.11	0.00	14710.19	4937.75	6162.71
कुल	73324.11	9595.07	-35.80	82883.38	39136.58	5922.44	193.84	45252.86	37630.52	34187.53
विगत वर्ष	62707.41	10441.56	175.14	73324.11	35974.32	3162.48	-0.22	39136.58	34187.53	26733.09
अमूर्त परिसंपत्तियाँ										
विकास व्यय	9797.41	894.45	0.00	10691.86	8109.37	910.17	0.00	9019.54	1672.32	1688.04
कंप्यूटर साफ्टवेयर	334.06	94.81	0.00	428.87	249.32	96.26	0.00	345.58	83.29	84.74
कुल	10131.47	989.26	0.00	11120.73	8358.69	1006.43	0.00	9365.12	1755.61	1772.78
विगत वर्ष	8447.77	1683.70	0.00	10131.47	7380.39	978.30	0.00	8358.69	1772.78	1067.38
कुल योग	83455.58	10584.33	-35.80	94004.11	47495.27	6928.87	193.84	54617.98	39386.13	35960.31
विगत वर्ष	71155.18	12125.26	175.14	83455.58	43354.71	4140.78	-0.22	47495.27	35960.31	27800.47

@ (i) भारत सरकार के संगठन को 5 एकड़ 01 गुण्टा भूमि लीज़ पर दी गई है और इस पर उनका स्वामित्व है. इसी प्रकार 2 एकड़ 8 गुण्टे की ज़मीन भारत सरकार के संगठन के अनुमति आधार पर दी गई और इस पर उनका स्वामित्व है.

(ii) राज्य सरकार से मुफ्त में प्राप्त 151 एकड़ 33 गुण्टे की भूमि सहित 244 एकड़ 37 गुण्टे की भूमि (विगत वर्ष 244 एकड़ 37 गुण्टा) के लिए अंतरण रसीद प्राप्त करना शेष है. यह भूमि 397.79 लाख (विगत वर्ष 397.79 लाख) में पूँजीगत की गई और यह राशि कंपनी द्वारा भुगतान / उपलब्ध की जा चुकी है.

(iii) इब्राहिमपट्टणम में स्वामित्व में लिए जा चुके 590-22.50 गुण्टे की ज़मीन के लिए अंतरण रसीद प्राप्त करना शेष है. अनुमानित कीमत के आधार पर भुगतान की गई राशि पूँजीगत की गई.

* जिस पर कंपनी की माल्कियत नहीं है, ऐसी भूमि पर निर्मित इमारतों का मूल्य ₹ 111.01 लाख (विगत वर्ष ₹ 111.01 लाख) सम्मिलित है.

\# ₹ 209.16 लाख (विगत वर्ष ₹ 58.43 लाख) सकल मूल्य की उपयोग में अनुपयुक्त सामग्री मदें सम्मिलित.

सरकार द्वारा मुफ्त में हस्तांतरित परिसंपत्तियाँ वर्तमान वर्ष के लिए ₹ शून्य के अंकित मूल्य (विगत वर्ष रु. शून्य) से ली गई.

नौसेना (आई एन एस-डेगा) से विशाखापट्टणम में लीज़ पर ली गई 3.63 एकड़ की ज़मीन सम्मिलित नहीं है.

भारत डायनामिक्स लिमिटेड :: हैदराबाद
31 मार्च 2015 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	31 मार्च 2015 तक की स्थिति	31 मार्च 2014 तक की स्थिति
8.1	वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में स्थाई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास संबंधी लेखा नीति में परिवर्तन किए गए हैं. इस परिवर्तन के प्रभाव से वर्ष के लाभ में ₹ 692.63 लाख की वृद्धि हुई है.		
9	**निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य एवं विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ**		
	निर्माणाधीन कार्यगत पूँजी	13510.95	6382.17
	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	715.92	633.16
		14226.87	**7015.33**
9.1	पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य शीर्ष के अंतर्गत 40.09 लाख रु. (पिछले वर्ष 40.09 लाख रु.) मूल्य की इमारतें सम्मिलित हैं जिनका निर्माण आस्थगित रखा गया है. विवादित जमीन संबंधी मामलों के लिए उप जिलाधीश तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद इस उत्पन्न विवाद के वास्तविक तथ्य को जानने के लिए सहायक निदेशक, सर्वेक्षण निपटान तथा लैंड रिकॉर्ड्स, रंगारेड्डी से रिपोर्ट प्राप्ति के बाद कंपनी द्वारा लेखा पुस्तिकाओं में आवश्यक समायोजन किया जाएगा.		
10	**लागत पर गैर-चालू निवेश** (गैर व्यापारिक / असूचित दर) 9,21,920 (3,85,920 बोनस शेयर सहित) पूर्णतः भुगतान किया गया आन्ध्र प्रदेश गैस पॉवर निगम लिमिटेड के ₹ 10 प्रति शेयर के ईक्विटी शेयर	53.60	53.60
		53.60	**53.60**
11	**आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)** आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ तथा आस्थगित कर देयताओं का विवरण (लेखा मानक 22 के अनुसार) इस प्रकार है :		
	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
	<u>आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ</u>		
ए)	प्रावधान	7920.29	4656.12
बी)	धारा 43 बी अस्वीकरण	217.85	227.89
सी)	मूल्यह्रास तथा संबंधित मदें	104.09	-
		8242.23	**4884.01**
	<u>आस्थगित कर देयताएँ</u>		
ए)	मूल्यह्रास तथा संबंधित मदें	-	333.52
बी)	विकास व्यय	1,670.90	1614.46
सी)	धारा 43 बी गैर भत्ते (डिस्सलवेंसेस)	-	-
		1670.90	**1947.98**
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ / (देयता)	**6571.33**	**2936.03**
12	**दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम**		
	ए) प्रतिभूत, शोध्य माल		
	ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी	454.40	405.70
	बी) अप्रतिभूत - शोध्य माल		
	पूँजीगत अग्रिम	660.30	660.30
	ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी	116.72	111.14
		1231.42	**1177.14**

भारत डायनामिक्स लिमिटेड :: हैदराबाद
31 मार्च 2015 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	31 मार्च 2015 तक की स्थिति		31 मार्च 2014 तक की स्थिति	
13	**अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ**				
	अप्रतिभूत, शोध्य माल				
	आस्थगित ऋण		7397.04		5886.61
	प्राप्य राशि - अन्य		8371.42		-
			15768.46		**5886.61**
14	**सामग्री सूची ***				
	(प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अनुसार)				
	कच्चा माल तथा घटक	108384.98		90979.64	
	घटाव : निष्प्रयोजनता के लिए प्रावधान निरीक्षणाधीन एवं	1030.47		637.48	
	मार्गस्थमाल	8585.63		12747.27	
			115940.14		103089.43
	निर्माणाधीन कार्य #	30469.83		30695.83	
	घटाव : निष्प्रयोजनता के लिए प्रावधान	253.11		178.42	
			30216.72		30517.41
	तैयार माल	504.95		3241.89	
	घटाव : निष्प्रयोजनता के लिए प्रावधान	15.09		15.09	
			489.86		3226.80
	भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्ज़े	761.11		750.01	
	घटाव : निष्प्रयोजनता के लिए प्रावधान	208.62		192.25	
	निरीक्षणाधीन एवं मार्गस्थ माल	23.87		6.81	
			576.36		564.57
	शिथिल औजार	915.75		904.47	
	घटाव : निष्प्रयोजनता के लिए प्रावधान	189.31		150.48	
	निरीक्षणाधीन एवं मार्गस्थ माल	19.16		22.28	
			745.60		776.27
	अन्य				
	निर्माण सामग्री	20.69		20.69	
	घटाव : निष्प्रयोजनता के लिए प्रावधान	-		-	
	निरीक्षणाधीन एवं मार्गस्थ माल	-		-	
			20.69		20.69
	भण्डार एवं उपकरण - कल्याण	278.14		264.42	
	घटाव : क्रमिक अपाकरण	277.36		254.81	
			0.78		9.61
	विविध भण्डार		22.09		45.74
			148012.24		**138250.52**
	* उप-ठेकेदारों तथा अन्यों के लिए जारी सामग्री सम्मिलित		14838.22		10503.35
	# ग्राहकों के पास सामग्री सूची सम्मिलित		403.39		1525.47
15	**ट्रेड प्राप्तियाँ**				
	अप्रतिभूत - शोध्य माल				
	छह महीने से अधिक अवधि के लिए				
	बकाया ऋण		11983.57		4370.68
	अन्य ऋण				
	ग्राहक		74252.24		35320.11
	आस्थगित ऋणों की चालू अवधि समाप्ति		336.23		190.19
			86572.04		**39880.98**

भारत डायनामिक्स लिमिटेड :: हैदराबाद
31 मार्च 2015 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	31 मार्च 2015 तक की स्थिति		31 मार्च 2014 तक की स्थिति	
16	**नक़द एवं नक़द तुल्य**				
	बैंकों में इतिशेष :				
	चालू खाते से संबद्ध	3691.30		11544.13	
	अल्पावधि निक्षेपों से संबद्ध	363200.00	366891.30	415100.00	426644.13
	नक़द राशि		0.43		9.11
	अग्रदाय धारकों के पास राशि		0.57		1.21
			366892.30		**426654.45**
17	**अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम**				
	ए) प्रतिभूत - शोध्य माल				
	माल एवं सेवाएँ		39749.66		28112.80
	बी) अप्रतिभूत - शोध्य माल				
	माल एवं सेवाएँ	95480.98		113916.24	
	घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.41		0.41	
			95480.57		113915.83
	कर्मचारी		54.00		253.00
	प्राप्त दावें / बकाया	1417.75		1072.99	
	घटाव : संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	21.47		21.47	
			1396.28		1051.52
	पूर्व प्रदत्त व्यय		147.63		73.23
	निक्षेप		8010.85		7170.89
	अग्रिम आय कर		2687.33		3918.63
	अग्रिम सेवा कर		1442.11		1673.23
	प्राप्त सेनवेट जमा (ईडी)		-		-
	प्राप्त सेनवेट जमा (सेवा कर)		0.33		13.57
			148968.76		**156182.70**
18	**अन्य चालू परिसंपत्तियाँ**				
	उपचित ब्याज लेकिन बकाया नहीं				
	- अल्पावधि निक्षेप		16401.04		18911.15
	- अन्य		16.94		18.37
			16417.98		**18929.52**

भारत डायनामिक्स लिमिटेड :: हैदराबाद
31 मार्च 2015 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
19	**परिचालन से प्राप्त राजस्व**				
	उत्पादों की बिक्री				
	तैयार माल	240130.50		166383.17	
	अतिरिक्त पुर्ज़े	1689.51		3556.06	
	विविध	2903.85	244723.86	2284.71	172223.94
	सेवाओं की बिक्री				
	मरम्मत एवं ओवरहॉल्स	1656.56		1255.36	
	प्रशिक्षण	14.67		18.34	
	जॉब वर्क	14211.98	15883.21	4176.46	5450.16
	अन्य परिचालन राजस्व				
	विनिर्माण करार		18540.76		-
	रद्दी की बिक्री		35.18		33.14
	अन्य		784.68		892.02
	पूर्वावधि मदें		-		(610.10)
	परिचालन से सकल राजस्व		**279967.69**		**177989.16**
20	**अन्य आय**				
	ब्याज :				
	अल्पावधि निक्षेप		38497.52		41184.79
	विविध अग्रिम - कर्मचारी एवं अन्य		73.18		55.04
	अन्य निक्षेपों पर		637.55		345.16
	परिवहन - कर्मचारी		18.13		16.85
	टाउनशिप		165.90		150.92
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)		1.76		-
	दीर्घावधि तक आवश्यक नहीं ऐसे प्रावधानों की वापसी				
	परिसमापन क्षतियाँ	3853.70		1654.41	
	वारंटी के लिए प्रावधान	741.95		1585.14	
	निष्प्रयोजनता के लिए प्रावधान	97.84		287.95	
	सीएसआर के लिए प्रावधान	401.50		220.84	
	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा (रेमी)	-		937.05	
	अन्य	160.98	5255.97	-	4685.39
	देयताओं की वापसी		20.56		14.76
	आपूर्तिकर्ताओं से परिसमापन क्षतियों की वसूली		4065.81		4801.52
	विदेशी मुद्रा लेन-देन पर निवल लाभ		-		1189.48
	विविध		1133.63		613.31
			49870.01		**53057.22**

भारत डायनामिक्स लिमिटेड :: हैदराबाद
31 मार्च 2015 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
21	**उपभुक्त सामग्री की लागत**		
	भण्डार का अथशेष	92654.81	55610.85
	जोड : क्रय	231421.67	182178.18
		324076.48	237789.03
	घटाव : भण्डार का इतिशेष	110082.53	92654.81
		213993.95	145134.22
	घटाव : भण्डार की प्रयुक्ति		
	आस्थगित राजस्व व्यय	41.53	314.67
	उपकरण एवं जिग्स	27.12	0.32
	व्यय लेखा एवं अन्य परिसंपत्तियाँ	28415.41	22218.21
		28484.06	22533.20
	पूर्वावधि प्रयुक्ति	-	-
		185509.89	**122601.02**
22	**तैयार माल तथा निर्माणाधीन कार्य की सामग्री सूची में परिवर्तन**		
	(वृद्धि)/अपवृद्धि		
	अथशेष		
	(i) निर्माणाधीन कार्य	30695.83	31275.72
	(ii) तैयार माल	3241.89	202.43
		33937.72	**31478.15**
	इतिशेष		
	(i) निर्माणाधीन कार्य	30469.83	30695.83
	(ii) तैयार माल	504.95	3241.89
		30974.78	**33937.72**
		2962.94	**(2459.57)**
23	**कर्मचारी लाभकारी खर्च**		
	वेतन तथा मजदूरी		
	वेतन तथा मजदूरी	26841.30	24703.13
	भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	2822.17	4997.48
	कर्मचारी कल्याण खर्च	1643.73	1027.45
	पूर्वावधि	-	-
		31307.20	**30728.06**
23.1	पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक	**159.44**	**146.41**

भारत डायनामिक्स लिमिटेड :: हैदराबाद
31 मार्च 2015 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

23.2	संशोधित लेखापरीक्षा मानक 15 के प्रावधानानुसार उपादान के संबंध में निम्नलिखित सूचना का प्रकटन किया जाता है.	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1	धारणाएँ		
ए)	रियायती दर (प्रति वर्ष)	8.00%	8.00%
बी)	वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	6.00%	6.00%
2	दायित्व के वर्तमान दर में परिवर्तन दर्शाती तालिका		
ए)	वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान दर	9925.52	9507.50
बी)	ब्याज लागत	794.00	760.60
सी)	वर्तमान सेवा लागत	240.25	251.40
डी)	वास्तविक - प्रदत्त लाभ	690.43	788.67
ई)	वर्ष के अंत तक संभावित देयताएँ	10269.34	9730.83
फ)	वर्ष के अंत तक दायित्व का वर्तमान दर	10328.87	9925.52
जी)	वास्तविक लाभ / (हानि)	(59.53)	(194.69)
3	योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
ए)	वर्ष के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	9925.52	9507.49
बी)	योजित परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	875.14	825.68
सी)	अंशदान	-	381.02
डी)	प्रदत्त लाभ	690.43	788.67
ई)	वर्ष के अंत तक योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	10110.23	9925.52
4	योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य की तालिका		
ए)	वर्ष के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	9925.52	9507.49
बी)	योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति	875.14	825.68
सी)	अंशदान	-	381.02
डी)	प्रदत्त लाभ	690.43	788.67
ई)	वर्ष के अंत तक योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	10110.23	9925.52
एफ)	आवंटित निधि की स्थिति	(218.64)	-
5	वास्तविक हानि या प्राप्ति सूचित		
ए)	वर्ष के लिए वास्तविक हानि - दायित्व	(59.53)	(194.69)
बी)	वर्ष के लिए कुल हानि	(59.53)	(194.69)
सी)	सूचित वास्तविक हानि	(59.53)	(194.69)
6	तुलन-पत्र मे सूचित राशि		
ए)	वर्ष के अंत तक दायित्व का वर्तमान मूल्य	10328.87	9925.52
बी)	वर्ष के अंत तक योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	10110.23	9925.52
सी)	आवंटित निधि की स्थिति	(218.64)	-
डी)	तुलन-पत्र मे सूचित निवल देयता / परिसंपत्ति	(218.64)	-
7	आकलित खर्च लाभ-हानि खाते का विवरण		
ए)	वर्तमान सेवा लागत	240.25	251.40
बी)	ब्याज लागत	794.00	760.60
सी)	योजित परिसंपत्तियों पर संभावित प्राप्ति	875.14	825.68
डी)	वर्ष के दौरान आकलित निवल वास्तविक लाभ / (हानि)	(59.53)	(194.69)
ई)	लाभ हानि खाते में आकलित व्यय	218.64	381.01

भारत डायनामिक्स लिमिटेड :: हैदराबाद

31 मार्च 2015 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
23.3	क्षतिपूरक अनुपस्थितियाँ		
	कंपनी के कर्मचारियों की संचित अनुपस्थितियों की वास्तविक देयता	7486.09	6736.79
	रियायती दर	8.00%	8.00%
	वेतनवृद्धि दर	6.00%	6.00%
	सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
23.4	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना		
	ए) 01 जनवरी, 2007 के बाद सेवानिवृत्त कार्यपालकों के लिए दिया गया सेवा निवृत्त उपरांत चिकित्सा लाभ का अंशदान	170.72	135.83
	बी) सेवा निवृत्त कमचारी चिकित्सा बीमा (रेमी) की पुरानी योजना के प्रति दिए गए अंशदान	80.19	41.55
24	अन्य खर्च		
	वर्कशॉप से संबद्ध आपूर्ति	628.63	502.87
	बिजली तथा ईंधन	1914.22	1506.12
	पानी का प्रभार	703.16	285.27
	यात्राएँ #	905.51	958.41
	मरम्मत :		
	इमारतें	2061.09	1339.19
	संयंत्र, मशीनरी तथा उपस्कर	922.03	740.78
	फर्नीचर तथा उपस्कर	5.04	3.59
	वाहन	43.27	71.87
	अन्य	156.10	156.76
	वाहन व्यय - पेट्रोल तथा डीज़ल	73.99	43.04
	शिथिल औज़ार तथा उपस्कर	195.21	267.93
	बीमा	190.79	173.44
	दरें तथा कर	153.86	126.65
	डाक, तार, टेलेक्स तथा टेलीफोन	151.13	128.55
	मुद्रण तथा लेखन सामग्री	131.74	85.47
	प्रचार प्रसार	323.46	210.25
	विज्ञापन	146.48	234.83
	बैंक प्रभार	190.60	126.55
	विधि व्यय	4.02	2.90
	बट्टा खाता :		
	भण्डार	-	194.63
	अन्य	-	11.91
	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक :		
	सांविधिक लेखपरीक्षा शुल्क	3.50	3.50
	कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.35	0.35
	सेवा कर	0.48	0.48
	अभिलेखों का शुल्क एवं कर	-	0.17
	परिसंपत्तियों की विक्री पर हानि (निवल)	-	0.47
	सुरक्षा व्यवस्था	2654.94	2414.96
	परिसमापन क्षतियाँ	6228.05	5682.57
	कंप्यूटर साफ्वेयर तथा विकास	1.43	7.95
	मनोरंजन	0.88	1.45
	शिष्टाचार	84.32	84.62
	निदेशकों का प्रतिभागिता शुल्क	4.27	9.20
	स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षकों का प्रतिभागिता शुल्क	1.70	0.70
	मुद्रा अंतर (निवल)	1763.13	-
	सीएसआर व्यय	416.65	220.84
	विविध परिचालन व्यय	3465.67	2843.73
	पूर्वावधि मदें	1.30	-
		23527.00	**18442.00**
# 24.1	निदेशकों का यात्रा व्यय सम्मिलित	67.97	57.53

भारत डायनामिक्स लिमिटेड :: हैदराबाद
31 मार्च 2015 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
25	प्रावधान		
	प्रतिस्थापन व अन्य प्रभार, वारंटी तथा वैच अस्वीकृतियाँ	2953.08	1074.34
	निष्प्रयोजनीयता प्रावधान	620.73	405.41
	परिसमापन क्षतियाँ	5624.44	4825.93
	सीएसआर तथा सातत्यता विकास	850.56	772.94
	विनिर्माण करार	1638.50	-
	भावी प्रभार एवं अन्य	3171.98	-
		14859.29	7078.62
26	पूँजीगत एवं अन्य लेखों से संबद्ध व्यय		
	अमूर्त परिसंपत्तियाँ (विकास व्यय)	686.85	589.31
	टूल्स व जिग्स	332.39	385.27
	अन्य	115.52	8.38
		1134.76	982.96
27	प्रतिशेयर अर्जन :		
	ए एस-20 के अनुसार परिकलित प्रति शेयर (मूल) अर्जन कराधान के बाद निवल लाभ	41856.92	34551.41
	प्रति शेयर ₹ 1000/- अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयर पूर्णतः प्रदत्त	1150000	1150000
	मूल तथा विलयित अर्जन प्रति शेयर (रु. में)	3639.73	3004.47
	संविलय संभाव्य ईक्विटी शेयर नहीं है		
28	अनिवार्य प्रकटीकरण		
	अप्रावधानित आकस्मिक देयताओं के लिए :		
28.01	ऋण तथा प्रत्याभूतियों के बकाया साख-पत्र		
	(i) साख-पत्र	51988.21	14339.01
	(ii) प्रत्याभूतियाँ तथा प्रति-प्रत्याभूतियाँ	11.89	11.89
	कुल	52000.10	14350.90
28.02	कंपनी के विरुद्ध जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया ऐसे दावें / मांगे :		
	(i) बिक्री कर	20343.15	14793.84
	(ii) सेवा कर	43.57	43.11
	(iii) अन्य	375.18	1534.28
	कुल	20761.90	16371.23
28.03	पूँजीगत लेखों के अंतर्गत बकाया निष्पादित लेखों की अनुमानित राशि तथा अप्रावधनित के लिए.	8782.06	15130.74

लेखा मानकों से संबंधित प्रकटीकरण :

28.04 ₹ 1.00 से अधिक के पूर्वावधि लेन-देन (ए एस-5) के प्रत्येक मामले को लेखाओं में यथावत् प्रकट किया गया है. इस तरह के लेन-देन से वर्ष के लाभ में अपवृद्धि ₹ 1.30 लाख (पिछले वर्ष में ₹ 738.26 लाख की अपवृद्धि) जो निम्नानुसार है

क्रम संख्या	विवरण	टिप्पणी संख्या	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
			लाभांश में कमी	लाभांश में वृद्धि	लाभांश में कमी	लाभांश में वृद्धि
1	बिक्री	19			610.10	
2	मूल्य ह्रास/क्रमिक अपाकरण	8			144.36	
3	प्रत्येक्ष व्यय					16.20
4	अन्य व्यय	24	1.30			
	कुल		1.30	0.00	754.46	16.20
	लाभ पर निवल प्रभाव--> वृद्धि/(अपवृद्धि)			(1.30)		(738.26)

भारत डायनामिक्स लिमिटेड :: हैदराबाद

31 मार्च 2015 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
28.05	निर्माण के राजस्व आकलन से संबंधित लेखा नीति सं. 15.5 के संबंध में एएस 7 (निर्माण संविदा का लेखा) के अनुसार निम्न प्रकटीकरण किए गए हैं.		
ए)	वर्ष के दौरान सूचित संविदा राजस्व	18540.76	-
बी)	अवधि के अंदर सूचित संविदा राजस्व के निर्धारण के लिए समापन प्रतिशत पद्धति का प्रयोग किया गया है. अनुमानित कुल संविदा लागत के प्रति 31 मार्च 2015 तक निष्पादित कार्य के लिए व्यय किए गए		
सी)	संविदा लागत की मात्रा के आधार पर कार्य समाप्ति की स्थिति का निर्धारण किया जाता है.		
डी)	व्यय की गई कुल लागत की राशि	14724.70	2082.78
ई)	31 मार्च 2015 तक सूचित लाभ	3816.06	-
फ)	31 मार्च 2015 तक अग्रिम प्राप्त एवं बकाया राशि	16815.67	7796.06
28.06	ए एस-11 के अनुसार विदेश मुद्रा दर में हुए परिवर्तन का प्रभाव		
ए)	वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में समायोजित विभेदक विनिमय दर	8.96	83.69
बी)	पूँजी परिसंपत्तियों के संबंध में लाभ-हानि लेखा में सूचित विनिमय दर विचलन	-	-
सी)	आस्थागित ऋण का पुनर्निर्धारित भाग प्रेटोकाल के अनुसार लागू विनिमय-दर पर मूल्यांकित है.		
	i) कंपनी से संबंधित बढ़ी देयताएँ	91.28	117.53
	ii) ग्राहक की बढ़ी देयता को देय लेखा में समान राशि के प्राप्य दावों के साथ दर्शाया गया है जो कि कंपनी पर हस्तांतरित नहीं है.	3212.84	4136.79
डी)	आस्थगित देयताओं में भारत सरकार के अनुदेशों अनुसार पुस्तिकाओं में अनुपार्जित ब्याज के रूप में सम्मिलित है.	-	-

28.07 संव्यवहार की प्रकृति तथा प्रकटन की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यही विवेकशील समझा गया कि ए एस 17 के किसी प्रकार आवश्यक सेगमेंट रिपोर्टिंग की जानकारी का प्रकटन न किया जाए. इस प्रकार के अप्रकटन से कंपनी लेखों पर किसी प्रकार का वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है.

28.08 संबंधित पार्टी से लेनदेन (ए एस 18) का विवरण निम्नानुसार है :

पार्टी का नाम	संबंध	लेनदेन	चालू वर्ष	विगत वर्ष
सार्वजनिक उद्यम संस्थान हैदराबाद	श्री आर के मिश्र, स्वतंत्र निदेशक तथा आई पी ई के निदेशक	(i) अन्य प्रचार-प्रसार व्यय	-	1.30
		(ii) सी एस आर	-	10.54
		(iii) प्रशिक्षण, संगोष्ठी, पाठ्यक्रम शुल्क आदि	-	7.90
	कुल		-	**19.74**

संबंधित अनुसूची 23 एवं 24 में दर्शायी गयी जानकारी के अनुसार केवल पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक को छोड़कर किसी भी संबद्ध पार्टी के साथ लेन-देन नहीं किया है.

28.09 उत्पाद सुधार सहित अनुसंधान एवं विकास के संबंध में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान किया गया व्यय संबंधित समरूप लेखा शीर्षों में प्रभारित किया गया है :

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
राजस्व व्यय के रूप में	2066.04	1674.91
पूँजीगत व्यय के रूप में (पूँजीगत परिसंपत्तियाँ)	206.11	313.97

28.10 वर्ष के दौरान ए एस 28 के अनुसार इंपेर्मेंट हानि पायी गयी	शून्य	शून्य

भारत डायनामिक्स लिमिटेड :: हैदराबाद
31 मार्च 2015 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

28.11 प्रावधान तथा आकस्मिक देयताएँ - ए एस 29 के अनुसार आवश्यकता का प्रकटीकरण इस प्रकार है :

चालू वर्ष

क्रम सं.	प्रावधान का प्रकार	अथ शेष	वर्ष के दौरान रखा गया प्रावधान	वर्ष के दौरान प्रयुक्ति	वर्ष के दौरान परिवर्तन	इति शेष
1	वारंटी	1984.09	2953.08	-	890.69	4046.48
2	परिसमापन क्षति	9602.46	5624.44	3581.66	272.03	11373.21
3	अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ	825.32	170.72	-	-	996.04
4	अनावश्यक	1173.72	620.73	0.02	97.84	1696.59
5	संदिग्ध अग्रिम / दावे	21.88	-	-	-	21.88
6	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व	833.93	850.56	401.49	-	1283.00
7	निर्माण करारें	-	1638.50	-	-	1638.50
8	भावी खर्च एवं अन्य	196.14	3171.98	30.98	160.98	3176.16
		14637.54	15030.01	4014.15	1421.54	24231.86

विगत वर्ष

क्रम सं.	प्रावधान का प्रकार	अथ शेष	वर्ष के दौरान रखा गया प्रावधान	वर्ष के दौरान प्रयुक्ति	वर्ष के दौरान परिवर्तन	इति शेष
1	वारंटी	2494.89	1074.34	-	1585.14	1984.09
2	परिसमापन क्षति	6430.94	4825.93	1654.41	-	9602.46
3	अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ	937.05	-	-	937.05	-
4	अनावश्यक	1056.25	405.41	191.52	96.42	1173.72
5	संदिग्ध अग्रिम / दावे	21.88	-	-	-	21.88
6	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व	477.97	576.80	220.84	-	833.93
7	भावी खर्च	-	196.14	-	-	196.14
		11418.98	7078.62	2066.77	2618.61	13812.22

टिप्पणी 28.01 एवं 28.02 में संदर्भित आकस्मिक देयताएँ संविदा दायित्वों की शर्तों, आक्रमण, संबंधित पार्टियों द्वारा उठायी जाने वाली माँगों तथा न्यायालय/ विवेचन/कोर्ट के बाहर के समझौते/अपीलों के निपटान पर आधारित हैं.

28.12 अन्य प्रकटीकरण

ए) ठेके का निष्पादन नहीं होने पर ब्याज सहित 17.19 लाख रुपय की अग्रिम राशि आदि की वसूली के लिए कंपनी ने एक आपूर्तिकर्ता पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है. कंपनी के नाम 48.10 लाख की राशि के लिए जिला न्यायालय ने डिक्री जारी किए जाने पर भी यह राशि प्राप्य दावे/आय के रूप में नहीं मानी जाएगी क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय से आपूर्तिकर्ता को डिक्री के प्रचालन पर स्टे प्राप्त हुई है और आज तक वह मामला विचाराधीन है.

बी) एक और आपूर्तिकर्ता के संदर्भ में कंपनी ने ब्याज सहित ₹ 4.45 लाख की अग्रिम राशि वसूल करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरु की है. यह राशि सामग्री खरीदी के लिए भुगतान की गई, तदुपरान्त अस्वीकृत होने से आपूर्तिकर्ता ने सामग्री वापस ले ली और सही सामग्री की आपूर्ति में विफल हो गया. यह मामला सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद में लंबित है और आज की तिथि में विचाराधीन है.

28.13 देनदार, लेनदार, प्राप्त दावे, ठेकेदार / उप ठेकेदारों के साथ सामग्री अग्रिम, जमा राशि एवं अन्य के संबंध में शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र भेजे गये हैं. प्राप्त उत्तरों के आधार पर जहाँ कहीं भी आवश्यक हो समाधान / प्रावधान / समायोजन किए जाते हैं.

28.14 कंपनी ने ग्राहकों से समय पूर्व समाप्त तीन संविदाओं के लिए प्राप्त ₹ 42454.91 लाख (पिछले वर्ष ₹ 42454.91लाख) की अग्रिम राशि में से विशेष औजार एवं उपकरण तथा सामग्री की खरीदी के लिए आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए हैं. इन भुगतानों में आपूर्तिकर्ता के खाते में विशेष औजार एवं उपकरण (टिप्पणी 8) के लिए ₹ 114.05 लाख (पिछले वर्ष ₹114.05 लाख) चालू परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिम (टिप्पणी संख्या 14 से 18) के लिए ₹ 11014.16 लाख (पिछले वर्ष ₹ 11014.16 लाख) तथा सामग्री खाते मे ₹ 7897.46 लाख (पिछले वर्ष ₹ 8048.28 लाख) शामिल है जो कुल मिलाकर ₹ 19025.67 लाख (पिछले वर्ष ₹ 19176.49 लाख) है. कंपनी ने फर्म के आदेशों के आधार पर तथा ग्राहक द्वारा दिए गए निधि में से खरीदी गई संपत्ति के लिए व्यय किया. दीर्घकालीन बकाया अग्रिम एवं अचल विशेष औजार एवं सामग्री की वजह से कंपनी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है. अतः किसी भी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है. आगे, इन समय पूर्व समाप्त संविदाओं के संबंध में कंपनी ने प्राप्त अग्रिम का समायोजन कर ₹ 2787.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2787.00 लाख) के निवल व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए ग्राहकों से संपर्क किया, अतः सरकार/ग्राहक से यह राशि निश्चित करने के लिए कंपनी की लेखा बही में लाभ के प्रति किसी भी प्रकार का दावा / प्रभाव नहीं पाया गया.

भारत डायनामिक्स लिमिटेड :: हैदराबाद
31 मार्च 2015 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

28.15	पिछले वर्ष के आंकडों को आवश्यकता अनुसार पुनर्समूहित या पुनर्व्यवस्थित किया गया है. ऋणात्मक संख्याएं कोष्ठक में दिखायी गयी है.

लेखा नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ 1 से 28 इन वित्तीय विवरणिकाओं के अंगभूत अंश हैं.

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप.

कृते गर्रे अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
पंजीकरण सं. 002460S

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

गर्रे सुब्बा राव
(सदस्यता सं.019579)
भागीदार

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 27 जुलाई 2015

एस पिरमनायगम
निदेशक (वित्त)

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 27 जुलाई 2015

वी उदय भास्कर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एम लक्ष्मीनारायण
कंपनी सचिव

भारत डायनामिक्स लिमिटेड :: हैदराबाद

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नक़द प्राप्ति विवरण

विवरण	31 मार्च 2015		31 मार्च 2014	
ए. परिचालनीय कार्यकलापों से नक़द प्राप्त :				
कराधान से पूर्व निवल लाभ तथा असाधारण मदें		61418.86		50858.82
समायोजन :				
मूल्यह्रास एवं क्रमिक अपाकरण	6928.87		4140.78	
ब्याज से आय	(39208.25)		(41584.99)	
ब्याज से व्यय	31.08		44.46	
अचल परिसंपत्ति के बिक्री पर लाभ	(1.76)		0.47	
कार्यगत पूँजी के परिवर्तनों से पूर्व परिचालनीय लाभ	29168.80		13459.54	
(वृद्धि)/अपवृद्धि ट्रेड देनदारों में	(46691.06)		(11726.26)	
(वृद्धि)/अपवृद्धि सामग्री सूची में	(9761.72)		(37597.17)	
(वृद्धि)/अपवृद्धि ऋणों तथा अग्रिमों में (अग्रिम कर, उपचित ब्याज छोड़कर)	(3953.49)		(10185.78)	
वृद्धि/(अपवृद्धि) विविध देनदारों देयताओं एवं प्रावधानों में	(23266.09)		84794.26	
परिचालन से अर्जित नक़द		(54503.56)		38744.59
प्रदत्त आयकर		(21965.94)		(18567.43)
असाधारण मदों से पूर्व नक़द प्राप्ति		(76469.50)		20177.16
असाधारण मदों से प्राप्त		-		-
परिचालन कार्यकलापों से निवल नक़द (ए)		**(76469.50)**		**20177.16**
बी. विनियोजन कार्यकलापों से नक़द प्राप्ति :				
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(17794.52)		(12367.50)	
परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि	3.35		3.67	
प्राप्त ब्याज	41719.79		35214.13	
विनियोजन कार्यकलापों से निवल नक़द (बी)		**23928.62**		**22850.30**
सी. वित्तीय कार्यकलापों से नक़द प्राप्त				
आस्थगित देयताओं का पुनर्भुगतान				
आस्थगित ऋणों से अपवृद्धि				
प्रदत्त ब्याज	(31.08)		(44.46)	
प्रदत्त लाभांश	(7190.19)		(12554.11)	
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नक़द (सी)		**(7221.27)**		**(12598.57)**
निवल वृद्धि/(अपवृद्धि) नक़द तथा नक़द तुल्यों में		**(59762.15)**		**30428.89**
वर्ष के प्रारंभ में नक़द तथा नक़द तुल्यों में		**426654.45**		**396225.56**
वर्ष के अंत में नक़द तथा नक़द तुल्य		**366892.30**		**426654.45**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप.

कृते गर्रे अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
पंजीकरण सं. 002460S

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

गर्रे सुब्बा राव
(सदस्यता सं.019579)
भागीदार

एस पिरमनायगम
निदेशक (वित्त)

वी उदय भास्कर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 27 जुलाई 2015

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 27 जुलाई 2015

एम लक्ष्मीनारायण
कंपनी सचिव

GARRE & CO
Chartered Accountants

Head Office : 5-9-29/40
Basheerbagh Palace Colony
14 Gopal Bhavan, Hyderabad.
email garre1998@gmail.com garreandco@gmail.com web garreco.icai.org.in
Ph:23228838, Dir 23228310 M:9848049666

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण

भारत डायनामिक्स लिमिटेड

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक-1 अर्थात् सी ए आर ओ 2015 के अधीन रिपोर्ट के संदर्भ में भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा किए गए निरीक्षणों के अनुपालन में रिपोर्ट का संशोधन किया जाता है. यह रिपोर्ट हमारी 29 जुलाई, 2015 की पिछली रिपोर्ट का अधिक्रमण करती है.

वित्तीय विवरणिकाओं की रिपोर्ट

हमने भारत डायनामिक्स लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं के अंतर्गत 31 मार्च, 2015 तक की अवधि संबंधी तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखे और साथ ही, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के नक़द प्राप्ति विवरण तथा प्रमुख लेखा-नीतियों का सार व विवरणात्मक सूचना की लेखापरीक्षा की है.

वित्तीय विवरणिकाओं के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) के विषयों के अनुपालन में भारत में स्वीकार्य लेखा मानदंड तथा अधिनियम की धारा 133 के तहत कंपनी नियमावली (लेखा) 7 के साथ पठित निर्धारित लेखा मानदंड के अनुरूप कंपनी की सही व पारदर्शी वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नक़द प्राप्ति प्रतिबिंबित करने वाली वित्तीय विवरणिकाएँ तैयार करवाना कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है. इस उत्तरदायित्व में, कंपनी की परिसंपत्तियों का परिरक्षण, धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की पहचान कर उनका निवारण करना, उचित लेखा नीतियों का चयन व अनुप्रयोग, उचित व विवेकशील निर्णय, वास्तविक एवं पारदर्शी तथा धोखाधड़ी से या गलती के कारण होने वाली वास्तविक अकथनों से मुक्त वित्तीय विवरण की तैयारी व प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण का अभिकल्पन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण के लिए अधिनियम के तहत पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का अनुरक्षण भी शामिल होता है.

D.No. 27-37-133/1, Near Bundar Locks, M.G Road, Governorpet, VIJAYAWADA-2. Ph: 0866 2575085, Cell.93929 75085

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

अपनी लेखापरीक्षा द्वारा इन वित्तीय विवरणिकाओं पर अपनी राय देना हमारा उत्तरदायित्व होता है.

हमने, अधिनियम के प्रावधान, लेखा एवं लेखापरीक्षा मानक, अधिनियम के प्रावधान तथा उसके तहत बनाये गये नियमों के अधीन लेखापरीक्षा में शामिल किये जाने वाले विषयों को ध्यान में रखा है.

हमने लेखापरीक्षा, अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप की है. इन मानकों में अपेक्षित होता है कि हम लेखापरीक्षा नैतिक मूल्यों के अनुरूप करें और इसकी योजना तथा कार्यनिष्पादन से उचित आश्वासन कायम कर सके कि ये वित्तीय विवरणिकाएँ वास्तविक अकथनों से मुक्त हैं.

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणिकाओं की राशि एवं प्रकटीकरण से संबंधित लेखासाक्ष्य प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं. लेखापरीक्षा के लिए अपनायी जाने वाली पद्धतियाँ, धोखाधड़ी या गलती से हुये वित्तीय विवरणिकाओं के वास्तविक अकथनों से होने वाले जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षकों के फैसले पर निर्भर होती हैं. आपदा प्रबंधन के दौरान लेखापरीक्षक, संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता के बारे में अपनी राय देने के लिए नहीं बल्कि स्थितियों के अनरूप आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता को दर्शानेवाली लेखापरीक्षा पद्धतियों को तैयार करने में कंपनी की वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखा जाता है. लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखानीतियों की उपयुक्तता, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किये गये लेखा-अनुमान की विश्वसनीयता सहित वित्तीय विवरणिकाओं की सर्वांगीण प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होते हैं.

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्रकट किये जाने वाले लेखापरीक्षा राय के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा साक्ष्य पर्याप्त एवं उचित हैं.

GARRE & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS HYD

राय

हमारी राय में तथा हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, संलग्न वित्तीय विवरणिकाएँ, अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक सूचना जिस रूप में दी जानी आवश्यक हो तथा भारत में स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सत्य व स्पष्ट विचार देती है.

जहाँ तक -

ए) दिनांक 31 मार्च, 2014 तक के कंपनी-कार्यों से संबंधित तुलन-पत्र का संबंध है.

बी) इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ-हानि लेखे और लाभ का संबंध है. तथा,

सी) इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की नक़द प्राप्ति, नक़द प्राप्ति विवरण का संबंध है.

अन्य विधि एवं नियमिति आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संबंध में भारत सरकार द्वार जारी कंपनी आदेश (लेखापरीक्षको की रिपोर्ट), 2015 की आवश्यकतानुसार, परिच्छेद 3 तथा 4 में इस विषय पर निर्दिष्ट हमारा विवरण अनुलग्नक-1 में संलग्न है.

अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुरूप टिप्पणी की जाती है कि -

ए) लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सभी स्पष्टीकरण व सूचनाएँ हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार प्राप्त कर ली गयीं.

बी) हमारी राय में बही खातों के परीक्षण से विदित होता है कि कंपनी ने लेखा-बही विधि अनुरूप रखे हैं. (जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया उनसे हमें लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक पर्याप्त व उचित विवरणियाँ प्राप्त हुईं.

GARRE & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS

(सी) इस रपोर्ट के अंतर्गत आने वाले तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा व नक़द प्राप्ति विवरण लेखा-पुस्तकों के अनुसार हैं.

डी) हमारी राय में, इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाली वित्तीय विवरणिकाएँ अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के लेखा मानकों के अनुरूप रखे गये हैं.

ई) दि. 31 मार्च, 2014 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभिवेदन तथा निदेशक मंडल से लिये गये रिकॉर्ड के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 164 (2) के तहत निदेशक पद पर कार्यभार ग्रहण करने से लेकर दि. 31 मार्च, 2014 तक कोई भी निदेशक अक्षम नहीं पाया गया.

एफ) लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल अन्य विषय के संबंध में तथा हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार -

i. कंपनी ने अपनी वित्तीय विवरणिकाओं में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों की घोषणा की है - वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पणी संख्या 28.02 का संदर्भ लें.

ii. डेरिवेटिव संविदा सहित कंपनी की किसी भी प्रकार का दीर्घावधि संविदा नहीं हैं.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत जारी निदेशों पपर जारी रिपोर्ट अनुलग्नक-II में दी गई है.

कृते गर्रे अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 002460S

हस्ता./-
(जी सुब्बा राव)
सदस्यता संख्या 019579

GARRE & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS HYD

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 24.8.10.5

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक-I

<u>कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2015 (सी ए आर ओ 2015) के तहत रिपोर्ट</u>

यह अनुलग्नक, दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड (कंपनी) के निदेशक मंडल को प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में है. बताया जाता है कि -

1. (ए) कंपनी ने आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव किया है जिसमें पूर्ण विवरणों के साथ-

   साथ मात्रात्मक विवरण व स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति भी दर्शायी गयी है.

   (बी) हमें उपलब्ध करायी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों का सत्यापन किया गया जो कंपनी के विस्तार और परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए ठीक है. इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान कुछ परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन में सामग्री संबंधी कोई विसंगति दृष्टिगोचर नहीं हुई.

2. (ए) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान तीसरी पार्टी के साथ स्टॉक सहित सामग्री सूचियों का प्रत्यक्ष

   सत्यापन किया है. तीसरी पार्टी के पास उपलब्ध सामग्री-सूची, उनके द्वारा सुनिश्चित किया गया है. हमारी राय में ये सत्यापन पर्याप्त अंतराल से किये गये हैं.

   (बी) हमारे विचार से सामग्री सूचियन के प्रत्यक्ष सत्यापन की जो पद्धति प्रबंधन ने अपनायी है वह कंपनी के आकार और संव्यवहार की दृष्टि से उचित है.

   (सी) हमारी जाँच के आधार पर कंपनी ने सामग्री सूचियों के समुचित अभिलेखों का रखरखाव किया है.

3. कंपनी ने, कंपनी अधिनियम की धारा 189 के अधीन पंजी में सूचीबद्ध फर्म / कंपनी या अन्य पार्टियों से न तो ऋण लिया है और न ही किसी को ऋण दिया है. अत: उक्त आदेश के उपबंध 3 (iii), (iii) ए के प्रावधान लागू नहीं होंगे.

4. हमारे विचार से और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास अपने आकार और संव्यवहार की प्रकृति के अनुरूप सामग्री की खरीद, स्थायी परिसंपत्तियों और उत्पादों की बिक्री के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया व्यवहृत है. आगे, कंपनी के लेखा-बही व रिकॉर्ड के परीक्षण तथा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार न हमारे ध्यान में आया और न ही हमें सूचित किया गया कि उपर्युक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमजोरी को सुधारने में कंपनी लगातार असफल नहीं रही.

5. हमारे विचार से और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 73, 74, 75 तथा 76 या तत्संबंधी नियमावली के अंतर्गत जनता से किसी भी प्रकार का निक्षेप स्वीकार नहीं किया है.

GARRE & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS HYD

6. ए. कंपनी ने अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण किया है.

बी. हमने, कंपनी अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन उत्पादों के विनिर्माण से संबंधित लेखे की विस्तृत समीक्षा की है. हमारी राय में मूलतः कंपनी ने तत्संबंधी सभी आवश्यक अभिलेखों का रखरखा किया है. तथापि इन अभिलेखों की सटीकता या पूर्णता के बारे में अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की गई है.

7. (ए) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा परीक्षित कंपनी के अभिलेखों के अनुसार कंपनी द्वारा भविष्य निधि, इन्वेस्टर एजुकेशन अण्ड प्रोटेक्शन फंड, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुक्ल, उत्पाद शुल्क, सी ई एस एस तथा अपने लिए लागू सभी अन्य अविवादित सांविधिक शुल्क उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कराया जाता है.

(बी) कंपनी द्वारा दि. 31 मार्च, 2015 तक दिये जाने वाले केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, मूल्यवर्द्धित कर भुगतान में विवाद है. प्राधिकारियों के पास मामले लंबित होने के कारण दि. 31 मार्च, 2015 तक राशि जमा नहीं की गई है, इनका विवरण परिशिष्ट-ए में संलग्न है.

(सी) कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान और इसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन निधि में राशि अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है.

8. कंपनी पाँच वर्ष से भी अधिक समय से पंजीकृत है. अतः उपबंध 3 (viii) लागू नहीं है.

9. न कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था या बैंक से ऋण लिया है और न ही तुलन-पत्र की तारीख तक कंपनी ने किसी प्रकार का डिबेंचर जारी किया है, अतः आदेश के उपबंध 3 (ix) के प्रावधान लागू नहीं होंगे.

10. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण अनुसार, कंपनी ने किसी के द्वारा बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों से लिये ऋण के लिए गारंटी नहीं दी है. तदनुसार, आदेश के उपबंध 3 (x) के प्रावधान लागू नहीं होंगे.

11. कंपनी ने कोई मियादी ऋण नहीं लिये हैं. तदनुसार, आदेश के उपबंध 3 (xi) के प्रावधान लागू नहीं होंगे.

12. कंपनी की लेखा-बही के परीक्षण के दौरान, सामान्यतः स्वीकार्य लेखापरीक्षा पद्धतियों तथा हमें दी गई जानकारी एवं

GARRE & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS

स्पष्टीकरण के अनुसार इस वर्ष के दौरान कंपनी को या कंपनी द्वारा किसी प्रकार की सामग्री धोखाधड़ी हुई है और न ही इसकी कोई सूचना प्रबंधन द्वारा दी गई है.

कृते गर्रे अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 002460S

हस्ता./-
(जी सुब्बा राव)
भागीदार
सदस्यता संख्या 019579

GARRE & CO. HYD CHARTERED ACCOUNTANTS

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 24.8.10.5

परिशिष्ट-ए

रु. 14626.01 लाख की विवादित सांविधिक राशि उपयुक्त प्राधिकारियों के पास लंबित होने के कारण जमा नही की गई है, इनका विवरण इस प्रकार है -

क्र.सं.	संविधि का नाम	बकाया राशि का प्रकार	किस फोरम के पास मामला लंबित है	(₹ लाखों में)
1	सी एस टी अधिनियम	सी एस टी	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	1462.67
2	सी एस टी अधिनियम	सी एस टी	आंध्र प्रदेश बिक्री कर अपीली न्यायाधिकरण	7269.19
3	सी एस टी अधिनियम	सी एस टी	अपीलेट उप आयुक्त (सीटी) पंजागुट्टा प्रभाग	5841.45
4	वित्त अधिनियम	सेवा कर	आयुक्त हैदराबाद-II सेवा कर	43.56
5	ए पी वेट अधिनियम	वेट	अपीलेट उप आयुक्त (सीटी) पंजागुट्टा प्रभाग	9.14
			कुल	14626.01

GARRE & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS HYD

लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक-II

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए जारी दिशानिर्देश.

यह अनुलग्नक, दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यों को प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट से संदर्भित है.

क्र.सं.	मुद्दा	समाधान
1	यदि कंपनी, विनिवेश के लिए चयित की गई है तो परिसंपत्तियाँ (स्थाई व ज़मीन सहित) व देयताओं (निर्दिष्ट व सामान्य प्रारक्षण सहित) मूल्य-निर्धारण संबंधी पूर्ण स्थिति रिपोर्ट का परीक्षण, विनिवेश की प्रक्रिया की पद्धति और वर्तमान स्थिति की जाँच की जाए.	विनिवेश के लिए कंपनी का चयन नहीं किया गया है.
2	कृपया बताएं कि बकाया / ऋण / ब्याज आदि संबंधी अधित्याग / बट्टे खाते संबंधी कोई मामला है, रिपोर्ट करें. यदि हाँ तो तत्संबंधी राशि और इसके कारणों की जानकारी दें.	अधित्याग / बकाया/ऋण/ब्याज का कोई मामला नहीं है.
3	क्या तीसरी पार्टी के पास रखी गई सामग्री सूची / भारत सरकार या अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त उपहार के उचित रिकॉर्ड रखे गये हैं?	हाँ, तीसरी पार्टी के पास रखी गई सामग्री सूची का उचित रिकॉर्ड रखा जाता है. लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान सरकार या अन्य प्राधिकरण से उपहार स्वरूप प्राप्त कोई भी संपत्ति नहीं है.
4	लंबित होने या बने रहने के कारण/ सभी विधि मामलों पर व्यय के लिए अनुवीक्षण पद्धति की प्रभाविता सहित लंबित विधि / मध्यस्थता मामलों की कालवार विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करें.	कंपनी के विधि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी दि. 31 मार्च, 2015 तक लंबित मामलों की सूची की समीक्षा की गई. इन मामलों पर कालवार विश्लेषण संलग्न किया गया है. विधि संबंधी मामलों पर होने वाले खर्च पर ध्यान रखने के लिए कंपनी में एक प्रभावी पद्धति लागू है.

कृते गर्रे अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 002460S

हस्ता./-
(जी सुब्बा राव)
भागीदार
सदस्यता संख्या 019579
स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 24.8.10.5

GARRE & CO. HYD CHARTERED ACCOUNTANTS

वर्ष 2014-15 के लिए मेसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक-II का संलग्नक

दि. 31 मार्च, 2015 तक लंबित न्यायिक / मध्यस्थता मामलों का कालवार विश्लेषण

कुल 88 मामलों में से 74 मामले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के उच्च न्यायालय में हैं और 14 मामले निम्न अदालत व श्रमिक ट्रिब्यूनल में हैं.

कालवार ब्रेक-अप तथा तत्संबंधी वित्तीय प्रभाव इस प्रकार है -

क्र.सं.	फोरम	एक वर्ष के अंदर		1-3 वर्ष		3 वर्ष से अधिक	
		मामलों की संख्या	राशि लाखों में	मामलों की संख्या	राशि लाखों में	मामलों की संख्या	राशि लाखों में
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय	1	गणना नहीं की गई	17	गणना नहीं की गई	56	गणना नहीं की गई
2	अन्य उच्च न्यायालय	–	लागू नहीं	–	लागू नहीं	–	लागू नहीं
3	निम्न न्यायालय तथा श्रमिक ट्रिब्यूनल	–	–	4	गणना नहीं की गई	10	गणना नहीं की गई
	कुल	1		21		66	

स्थिति : उपर्युक्त मामले विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं और कानूनी कार्रवाई जारी है.

क्र.सं	मामलों का विवरण	कुल मामले
1	भर्ती संबंधी मामले	25
2	पदोन्नति संबंधी मामले	10
3	अनुशासनिक मामले	8
4	ज़मीन संबंधी मामले	3
5	अनुकंपा आधारित नियुक्ति	1
6	आयकर मामले	3
7	चिकित्सा मामले	2
8	श्रमिक मामले	11
9	वेतन अनियमितता / सेवा संबंधी मामले	11
10	यूनियन संबंधी मामले	1
11	विविध	13
	कुल	88

GARRE & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS HYD

सं./No. Inspection/BDL (2014-15)/2015-16/202

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बेंगलूर – 560 001
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT and Ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD, BANGALORE - 560 001.

दिनांक / DATE. 25.08.2015

सेवा में,

श्री वी उदय भास्कर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
पो.ओ. कंचनबाग
हैदराबाद-500058.

महोदय,

विषय : दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं पर कपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ.

मैं, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के लेखाओं की कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी शून्य टिप्पणियाँ प्रमाण-पत्र अग्रेषित करता हूँ.

यह सुनिश्चित किया जाए कि टिप्पणियाँ -

(i) बिना किसी संस्करण के संपूर्णतः मुद्रित किया जाए.

(ii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अनुसार ए जी एम के समक्ष प्रस्तुत किया जाए. तथा,

(iii) वार्षिक रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के बाद रखा जाए और अनुक्रमणिका में इसे उचित रूप से दर्शाया जाए.

कृपया पत्र की पावती दें.

भवदीय,

हस्ता./-
(वी के गिरिजावल्लभन)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

संलग्नक : यथोपरि

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
पहला तल, बसव भवन, श्री बसवेश्वर रोड, बेंगलूर – 560 001
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basavesware Road, Bangalore - 560 001

दू.भा / Phone : 2226 7646 / 2226 1168
Email : mabbangalore@cag.gov.in
फैक्स / Fax : 080-2226 2491

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के लेखाओं की कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ.

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय अभिलेखन रूपरेखा के अनुपालन में दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व उद्यम के प्रबंधन का है. अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व है कि वह इस अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत पेशेवर निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुपालन में की गयी स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय दें.

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से दि. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है. यह लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षा के कार्य-पत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी जो प्राथमिकत: सांविधिक लेखापरीक्षा की पड़ताल और उद्यम के कार्मिकों तथा कुछ चुने हुए लेखा अभिलेखों की परीक्षा तक सीमित है. स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक-I, अर्थात सी ए आर ओ रिपोर्ट-2015 में किये गये संशोधनों की दृष्टि से, पूरक लेखापरीक्षा के दौरान उल्लिखित मेरे लेखापरीक्षा निरीक्षणों के परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट / अनुपूरक रिपोर्ट पर कुछ भी टिप्पणी करने योग्य नहीं पाया गया.

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता./-
(वी के गिरिजावल्लभन, आई ए अण्ड ए एस)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखपरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, बेंगलूरु

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 25 अगस्त, 2015